,;jykbu ,ykbM lfollsl fyfeVsM

fo"k; lwph

		i"B la[;k
1.	निदेशक मंडल	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	7
4.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	18
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	51
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	52
7.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	86
8.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि खाता	87
9.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	88
10.	नकदी प्रवाह विवरण	89
11.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में टिप्पणियां	90

fun’kd eMy dh lwph ¼26-09-2019½

श्री अश्वनी लोहानी v/;{k
श्री वी. हेजमाड़ी
श्री अंशुमाली रस्तोगी
श्री प्रांजोल चन्द्रा

eq[; dk;Zikyd vf/kdkjh

श्री सी.एस. सुब्बैया

eq[; foRrh; vf/kdkjh

श्री अम्बर कुमार मण्डल

dEiuh lfpo

श्रीमती मंजिरी एम. वझे

ys[kk ijh{kd

मैसर्स एम. वर्मा एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
1209, हेमकुंत चैम्बर्स,
89 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली–110019

iathd`r dk;kZy;

एलाइंस भवन
अन्तरदेशीय, टर्मिनल–1
आई.जी.आई. एयरपोर्ट,
नई दिल्ली–110037.

v/;{k dk Hkk"k.k

fiz; 'ks;j gksYMjks]

मुझे आपके समस्त कम्पनी की वर्ष 2018–19 की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. देश की अग्रणी क्षेत्रीय एयरलाइन है, जो भारत में टायर II व III के शहरों व मूल कम्पनी एअर इंडिया लि. और इसकी सहायक कम्पनी एअर इंडिया एक्सप्रेस लि. के लिए फीडर के रूप में सम्पर्क उपलब्ध करवाती है। कम्पनी अपने विमान बेड़े में अधिक विमानों को शामिल करके पैन इंडिया आधार पर अपने प्रचालनों के विस्तार की प्रक्रिया में है। यह विमान देश के अन्दर छोटे मार्गों के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे और भविष्य में विदेशों के लिए भी प्रचालन करेंगे।

voyksdu&ukxj foekuu m|ksx

भारत का नागर विमानन उद्योग पहले की अपेक्षा अब अधिक परिपक्व बाजार बन रहा प्रतीत होता है। उद्योग में प्रचालकों की संख्या अभी भी काफी अधिक है। चालू वर्ष में क्षेत्रीय हवाई अड्डों के आरंभ हो जाने से बड़ा परिवर्तन आया है जिससे देश भर में कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी इसके अलावा, नीतिगत परिवर्तनों के तहत घरेलू एयरलाइंस में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान करने से बाजार परिदृश्य में परिवर्तन आया है। यात्री यातायात में भी लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि उपभोक्ता रेल से हवाई यात्रा में विशेषतः टायर II और टायर III शहरों में अधिक स्थानांतरित हो रहे हैं।

gokbZ ;k=k esa o`f)

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों से ज्ञात होता है कि घरेलू यात्री हवाई यातायात वर्ष 2017 में 117 मिलियन यात्रियों की तुलना में वर्ष 2018 में 18.60 प्रतिशत बढ़कर 139 मिलियन यात्री तक पहुंच गया।

हाल के वर्षों में यह साफ देखने में आया है कि यात्री कम बजट एयरलाइंस को प्राथमिकता दे रहे हैं अब स्थिति यह है कि कम लागत वाले वाहक आसमान में लगभग 70 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ हावी हैं।

Hkkjr rhljk lcls cM+k foekuu cktkj gksxk

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के अनुसार, देश वर्ष 2025 तक यूके से आगे बढ़कर, भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने के लिए तैयार है।

विदेशी निवेश के प्रवाह से पिछले सात वर्षों में उद्योग के विकास में गति आई है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 के बीच हवाई परिवहन (एयर फ्रेट सहित) में एफडीआई प्रवाह 1.59 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, देश में अगले दशक में एयरपोर्ट के क्षेत्र में 25 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश और 13% की यातायात वृद्धि होगी। इसके आंकलन के अनुसार देश में संयुक्त हवाई और रेल यात्रा में हवाई यात्रा का हिस्सा 2027 तक 7.9 प्रतिशत से बढ़कर 15.2 प्रतिशत हो जाएगा।

नागर विमानन क्षेत्र के लिए बड़े निवेश की योजना के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि देश हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक बड़े आकस्मिक परिवर्तन के लिए तैयार है। इसमें विस्तार के लिए बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि हवाई परिवहन देश के अधिकांश

लोगों की पहुंच से परे है। रेल यात्रा लगातार और अधिक महंगी हो गई है। इसके विपरीत, हवाई यात्रा गति के साथ आराम भी प्रदान करती है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागर विमानन को गुणवत्ता, लागत और यात्री रुचि पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो इसे 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने में सक्षम बनाएगा।

ईंधन की कीमतें

एयरलाइनों की परिचालन लागत में ईंधन की कीमतें लगभग 30% से 40% होती है। 2018 में ईंधन की कीमतों में वर्ष में अधिकाशंतः वृद्धि हो रही है। यदि इनमें वृद्धि जारी रहती है तो यह मूल्य निर्धारण और उड़ान में सीट ऑक्यूपेंसी को भी प्रभावित करेगा। भारतीय उपभोक्ता मूल्य पर काफी ध्यान देते हैं और एयरलाइनों द्वारा देखा गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी से मांग में तत्काल गिरावट आती है। इसके लिए, हालांकि, उद्योग को लागत में कटौती और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यात्री सेवा में सुधार करने के लिए परिचालन में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

संक्षेप में, भारतीय विमानन उद्योग एक बड़े आकस्मिक परिवर्तन के कगार पर है। उम्मीद की जा सकती है कि नीतिगत वातावरण इसके विकास के लिए अनुकूल रहे ताकि उद्योग आने वाले सालों में अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सके।

ubZ ukxj foekuu uhfr&{ks=h; lEidZ ;kstuk

भारत सरकार द्वारा नई क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (उड़े देश का आम नागरिक) (उड़ान) प्रारंभ की गई है जो 10 वर्षों तक चलेगी और मौजूदा हवाईअड्डों और हवाईपट्टियों को पुर्नःजीवित करने का कार्य करेगी। इस योजना के तहत बोली के प्रथम राउंड में सरकार द्वारा लगभग 128 क्षेत्रीय रूट दिए गए हैं।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के दूसरे, तीसरे और 3.1 दौर में, पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में उड़ान सेवाओं में वृद्धि के उद्देश्य से एयरलाइनों और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को क्रमशः 325 मार्ग, 235 मार्ग और 44 मार्ग दिए गए हैं। इस योजना के तहत एयरलाइन ऑपरेटरों को आधी सीटें रियायती दरों पर देनी होंगी जिसमें सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) या एयरलाइंस को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

आरसीएस की शुरूआत के साथ, एलाइंस एअर के लिए असेवित और अल्पसेवित एयरपोर्टों के लिए कई नए मार्ग खुल गए हैं और इसे बोली प्रक्रिया के क्रमशः 1, 2, 3 और 3.1 दौर में 17 मार्ग, 26 मार्ग, 40 मार्ग और 12 मार्ग आबंटित किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को शिमला–दिल्ली क्षेत्र की पहली 'यूडीएएन' उड़ान का शुभारंभ किया और एलाइंस एअर को लॉन्च वाहक होने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। एलाइंस एअर द्वारा 31 मार्च, 2019 तक 29 मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं और बोली लगाने के पहले दौर में दिए गए सभी मार्गों पर संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। भारत सरकार के सहयोग से फिक्की द्वारा आयोजित विंग्स इंडिया 2018 के तहत, एलाइंस एअर को 'आरसीएस के तहत सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर' का विजेता घोषित किया गया है।

चूंकि असेवित व अल्पसेवित मार्गों पर प्रचालन हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इससे टायर II/III के शहरों को जोड़ने वाले क्षेत्रीय मार्गों पर प्रचालन में वृद्धि होगी। अपने युवा एटीआर विमान बेड़े में एलाइंस एअर क्षेत्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान ले सकती है। अतः कम्पनी की आरसीएस बिडिंग के अगले चरण में भी तत्परता से भाग लेने की योजना है।

o"kZ dk nkjku dEiuh dk fu"iknu

वर्ष के दौरान कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2018–19 (2,709.25 मिलियन रु.) में 2965.67 मिलियन रु. की निवल हानि हुई। यद्यपि कुल राजस्व में 2,227.84 मिलियन रु. की वृद्धि हुई, व्यय में 2,484.25 मिलियन रु. की वृद्धि के कारण, हानि में 256.41 मिलियन रु. की वृद्धि हुई। हानि के कारण निम्नानुसार हैं :–

- विदेशी पायलटों की संख्या में वृद्धि विस्तार, योजनाओं हेतु सभी विभागों में अतिरिक्त मानव शक्ति की भर्ती के कारण वेतन और भत्तों में लगभग 24% की वृद्धि हुई है।
- प्रचालन में वृद्धि के कारण एटीएफ लागत में 810.33 मिलियन रु. की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप मात्रा में वृद्धि और औसत एटीएफ दर में 25% की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2017–18 में 6 विमानों को शामिल करने के कारण और वर्ष 2018–19 में 04 नए विमानों को शामिल किए जाने के कारण (1804.15 मिलियन रु. से 2122.50 मिलियन रु.)लीज़ प्रभार में 318.35 मिलियन रु. की पूर्ण वर्ष में वृद्धि हुई।
- एओजी, एचएसआई, जीएमएसए और प्रयुक्त सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण अनुरक्षण प्रभार में 451.36 मिलियन रु.(2,121.33 मिलियन रु. से 1,669.97 मिलियन रु.) की वृद्धि हुई।
- प्रस्थान में 37% और दर में 65 % की वृद्धि के कारण हैंडलिंग प्रभार में 171.03 मिलियन रु. की वृद्धि हुई।
- अन्य – लागत में वृद्धि का कारण है – 02 एटीआर–42 विमानों की खरीद 04 एटीआर – 72 विमानों को बेड़े में शामिल करना, एअर इंडिया को देय बकाया राशि पर ब्याज व मूल कंपनी के साथ एमएसए के माध्यम से विभिन्न लागत, जो मूल कम्पनी को देय है।

jktLo e of) dh e[; fo'k"krk, uhp nh xbl g %&

- यात्री वहन में 0.316 मिलियन रु. की वृद्धि के निवल प्रभाव के कारण यात्री राजस्व में 1,733.29 मिलियन रु. की वृद्धि हुई व प्रति यात्री यील्ड में 321 प्रति यात्री की वृद्धि हुई।
- एआईएल और एएएसएल के बीच हस्ताक्षर किए गए एमएसए के अनुसार 2018–19 में कोड शेयर राजस्व 239.90 मिलियन रु. रहा जो 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी था।
- चालू वर्ष में आरसीएस मार्गों में विस्तार के कारण आरसीएस, वीजीएफ और चार्टर राजस्व में 354.80 मिलियन (891.21 मिलियन से 1246.01 मिलियन रु.) की वृद्धि हुई।

Hkkoh ;ktuk,

सभी एयरलाइनों द्वारा क्षमता लगाए जाने व किरायों के किफायती होने के कारण भारत में विमानन बाजार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हालांकि बड़ी एयरलाइनों ने छोटे हवाई अड्डों में क्षमताएं तैनात करनी शुरू कर दी है तथापि टायर II व III के शहरों की वृद्धि अभी भी अप्रयुक्त है।

एलाइंस एअर द्वारा जनवरी, 2003 से एटीआर विमानों का प्रचालन किया जा रहा है। टायर II व III के शहरों हेतु प्रचालन करने के अपने दशक से भी अधिक अवधि के अनुभव का कम्पनी लाभ उठाना चाहती है। कम्पनी के विमान बेड़े में 2 एटीआर–42–320 व 18 एटीआर 72–600 विमान शामिल हैं। वर्तमान बेड़े को 55 स्टेशनों के नेटवर्क पर दैनिक 87 उड़ानों हेतु तैनात किया गया है। कम्पनी की अपने नेटवर्क का विस्तार पड़ोसी देशों तक करने की योजना है। साथ ही वर्ष 2021 तक विमान बेड़े में वृद्धि कर विमानों की संख्या 40 तक करने की योजना है। कम्पनी प्रतिकूल वित्तीय पैरामीटरों के ट्रेंड को उलट कर कम्पनी की वित्तीय स्थिति में भी सुधार करेगी। हमें आशा है कि वर्ष 2019–20 में राजस्व में वृद्धि, व्यय व हानिप्रद मार्गों में कटौती कर हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा ।

/kU;okn iLrko

मैं, एअर इंडिया लि. और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिए गए सम्पूर्ण सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैं, बैंक तथा नियामक एजेंसियों सहित सभी अन्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं तथा विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रगति के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखेंगे और एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं बोर्ड के अपने सभी सहयोगियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. के सभी कर्मचारियों को एलाइंस एअर को यात्रियों की पहली पसंद बनाने में उनके योगदान व सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

बोर्ड की ओर से, सदैव की भांति, मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

हस्ता./–
¼v'ouh ykgkuh½
v/;{k

fotu

एअर इंडिया के साथ सम्पूर्ण तालमेल में, टायर II व III के शहरों के बीच सम्पर्क उपलब्ध करवाने वाली प्रमुख क्षेत्रीय एयरलाइन व नेटवर्क पर फीडर एयरलाइन बनना।

Yk{; o mnn';

प्रमुख अंतरदेशीय एयरलाइन

xkgd

- सुरक्षित, विश्वसीय एवं समय पर सेवाएं प्रदान करना।
- ग्राहकों को सर्वोत्तम संतोषजनक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाना।
- एयरलाइन बाजार में नये यात्री बेस की संभावना खोजना।
- मुख्य अंतरदेशीय व अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक अबाध यात्रा हेतु मैट्रो शहरों व आगे वन–स्टॉप सम्पर्क उपलब्ध करवाना।

ifØ;k,a

- सुरक्षा एवं कुशलता के मानकों में निरंतर सुधार करना।
- नए एवं आधुनिक विमान बेड़े का प्रचालन व अनुरक्षण।
- एअर इंडिया के मुख्य नेटवर्क के साथ संयोजन में सर्वोत्तम एवं संवर्धित कुशल नेटवर्क उपलब्ध करवाना।
- आर्थिक स्रोतों का सृजन।
- क्षेत्रीय शार्ट–हॉल एयरलाइन प्रचालक की छवि व प्रतिस्पर्धात्मक बाजार प्रतिष्ठा में वृद्धि

ekx&unVod

- सघन रेल यातायात से प्रतिस्पर्धा
- मेट्रो व आगे तीव्र क्षेत्रीय सम्पर्क की अपेक्षाओं को पूरा करना
- वायु सम्पर्क से अछूते शहरों में सम्पर्क उपलब्ध करवाना।

ykx

- अत्यधिक प्रेरित एवं व्यावसायिक टीम का निर्माण करना।
- पारदर्शिता एवं नैतिकता के उच्चतम स्तर को बनाए रखना।
- जिम्मेदार निगमित नागरिक बनना।

funs'kdksa dh fjikVZ

lnL;
,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. के लेखा परीक्षित, लेखा विवरण सहित 36वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1- foŸkh; ,oa okLrfod fu"iknu

गत वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन इस प्रकार हैं :–

foŸkh; fu"iknu

¼#Ik, fefy;u esa½

	2018-19	2017-18
ipkyu jktLo		
निर्धारित राजस्व	6919.34	4947.71
गैर निर्धारित राजस्व	1246.01	891.21
	50.77	206.38
अन्य प्रचालन राजस्व	146.66	86.28
अन्य आय		
कुल राजस्व	8362.78	6131.57
dqy 0;;	11329.17	8844.92
अन्य व्यापक आय	0.72	4.09
वर्ष के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	(2965.67)	(2709.25)
वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ (हानि)	(2965.67)	(2709.25)
'ks;j iwath	4022.5	4022.5

'ks;j iwath

ikf/kd`r 'ks;j iwath

31 मार्च, 2019 को कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2000 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के 20 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

tkjh] vfHknŸk vkj inŸk 'k;j iwth

31 मार्च, 2019 को कम्पनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 402.25 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के 4 करोड़ दो लाख 25 हजार इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

'k;j iwth e ifjorlu] ;fn dkbl gkA

वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

0;olk; dh idfr e ifjorlu

वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है।

ykHkk'k

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 123 के अनुसार कम्पनी की संचित हानि को देखते हुए किसी लाभांश पर विचार नहीं किया गया है।

nkok ugh fd, x, ykHkk'k dk bUoLVj ,tdk'ku vkj ikVD'ku QM e vrfjr djuk

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 125 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते चूंकि पिछले वर्षों में अप्रदत्त/बिना दावे के कोई भी लाभांश नहीं दिया गया।

fj tol e LFkkukrfjr jkf'k

संचित हानि को देखते हुए, वर्ष के दौरान कम्पनी के बोर्ड द्वारा रिजर्व में, कोई भी राशि स्थानांतरित ना करने का निर्णय लिया गया।

ekuo llk/ku

वर्ष के अन्त में कम्पनी में कर्मचारी क्षमता, कॉन्ट्रैक्चूअल कर्मचारियों की संख्या 668 (602) थी, जिसमें मूल कम्पनी एअर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर आए 8 (12), एआईईएसएल से प्रतिनियुक्ति पर आए 21 (26) व एआईएटीएसएल से प्रतिनियुक्ति पर आए 02 (03) कर्मचारी शामिल नहीं हैं। कम्पनी के सभी कर्मचारी नियत अवधि संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। 668 संविदात्मक कर्मचारियों में से 215 (32-19%) महिला कर्मचारी हैं। 31 मार्च, 2019 को कम्पनी में कैडर वार 184 पायलट, 158 केबिन कर्मी, और 326 अन्य वर्गों के कर्मचारी रहे। कम्पनी, एअर इंडिया की आवश्यकतानुसार केबिन कर्मियों व अन्य मानव संसाधन की पूर्ति करती रही है।

31 मार्च, 2019 को कम्पनी में एटीआर–42 व एटीआर–72 बेड़े के 64 विदेशी पायलट हैं। कम्पनी का प्रयास है कि विमान बेड़े के अनुपात में कमांडरों की न्यूनतम आवश्यक क्षमता को बनाए रखने के लिए विदेशी पायलटों की संख्या न्यूनतम रखी जाए।

vkj{k.k uhfr dk dk;kUo;u

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार व वर्ष 1991 और 1996 में संशोधित निर्देशों के साथ आरक्षण नीति लागू की जा रही है।

vu|lfpr tkfr@v-t-tk-@v-fi-ox| & 31 ekp] 2019 dk deipkfj;ka dh l[;k

कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत
668	69	10.33	20	2.99	120	17.96

jktHkk"kk dk;kUo;u& fgUnh dk i;kx

सरकार की राजभाषा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कम्पनी ने सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी में अहम् भूमिका निभाई है। अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजभाषा के उत्तरोतर विकास हेतु प्रत्येक वर्ष हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने विविध प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया व समारोह आयोजित कर विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए।

jkt dk"k e v'knku

कम्पनी द्वारा सरकार के राजकोष में बिक्री कर तथा विमानन टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले अन्य करों के रूप में 209.48 मिलियन रुपए (142.88 मिलियन रुपए) का अंशदान दिया गया।

lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dk vuikyu

कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना के अधिकारों के प्रावधानों का कम्पनी में अनुपालन, सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रही है।

आवेदनों और अपीलों के समय पर निपटान के लिए कम्पनी में सीपीआईओ (केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) और अपीलीय प्राधिकारी हैं।

2018–19 की अवधि के दौरान, 65 अनुरोध/अपील प्राप्त हुए जिसमें से 58 का निपटान किया गया।

शेष 7 आरटीआई आवेदन उत्तर के लिए लंबित है और सूचना का मिलान किया जा रहा है।

lgk;d dEifu;k@l;Dr m|ek@lEc) dEifu;k l lcf/kr lpuk

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सम्बद्ध कम्पनी नहीं है।

egRoi.k ifjorlu o ifrc)rk,

धारा 134 (3)(1) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2019 से बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसने इसे प्रभावित किया हो।

icU/ku ppk vkj fo'y"k.k fjikVl

विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का ब्यौरा अलग से दिया गया है।

fun'kd e.My dh cBdka dh la[;k

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मण्डल की (स्थगित व पुनःस्थगित बैठकों सहित) 6 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई।

Ø-la-	cBd dh frfFk	ckMZ LVsªFk	mifLFkr fun'kdka dh la[;k
1	15.05.2018	5	3
2	18.05.2018	5	4
3	12.09.2018	5	4
4	06.11.2018	5	4
5	30.01.2019	5	4
6	28.02.2019	5	3

fun'kdka dk nkf;Ro lca/kh oDrO;

कम्पनी के निदेशक मंडल पुष्टि करते हैं:–

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ख) निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन तथा उन्हें संगत रूप से लागू किया गया है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

(ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने व फ्रॉड की रोकथाम व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित व पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे ''गोईंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किए हैं।

(ड.) कम्पनी के अनलिस्टिड होने के कारण धारा 134(3) का उपखण्ड (ड.) लागू नहीं

(च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों द्वारा समुचित प्रणाली बनाई गई है तथा इस प्रकार की प्रणाली समुचित है तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से कार्य कर रही है।

y[kk ijh{kk lfefr

लेखा परीक्षा समिति में 3 निदेशक हैं कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सरकारी निदेशकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता की जाती है। वर्ष 2018–19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

fun'kdk dk uke	lfefr esa in	funs'kd dh Js.kh
श्री अंशुमाली रस्तोगी	अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
डॉ. शैफाली जुनेजा (31.8.2018 से सदस्य नहीं रहे)	सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री प्रांजोल चन्द्रा (31.08.2018 को नियुक्ति)	सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री विनोद एस. हेजमाड़ी	सदस्य	नामित निदेशक –एआई
श्री प्रदीप सिंह खरोला (14.02.2019 से सदस्य नहीं रहे)	स्थायी आमंत्रित	अध्यक्ष (एअर इंडिया से नामित)
श्री अश्वनी लोहानी (14.02.2019 को नियुक्ति)	स्थायी आमंत्रित	अध्यक्ष (एअर इंडिया से नामित)

ys[kk ijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा esllZ ,e- oekZ ,.M ,lksfl,V~l को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेखित योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां जिन पर प्रबंध वर्ग के उत्तर सहित स्पष्टीकरण/व्याख्या अपेक्षित है, की रिपोर्ट संलग्न हैं।

वित्तीय विवरणी पर नोट स्वतः स्पष्ट हैं, और इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;ka

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत अपेक्षित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एवं एजी) की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

lfpoh; ys[kk ijh{kk fjiksVZ

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसार बोर्ड ने श्री उपेन्द्र शुक्ला, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, मुम्बई को वित्तीय वर्ष 2018–19 की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं:

lfpoh; ys[kk ijh{kk fjiksVZ ds fufgrkFkZ ij izca/k e.My ds mÙkj ij fVIif.k;ka

¼d½ Lora= funs'kd

(i) निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहतः–

क) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण,

कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, अतः लेखा परीक्षा समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों के बिना किया जाता है। अतः अधिनियम की धारा 177 (2) के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी नियम 2014 के नियम 6 (बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता होती है, का अनुपालन नहीं किया गया।

ख) धारा 178 के साथ पठित कम्पनी नियम (बोर्ड की बैठकें व शक्तियां) 2014 के नियम 6 के अनुसार, कम्पनी द्वारा पारिश्रमिक व नामांकन समिति का गठन नहीं किया गया है।

ग) अधिनियम की धारा 149 के अन्तर्गत अपेक्षित कंपनी में 1 सितंबर, 2018 से एक भी महिला निदेशक नहीं है।

ii) *<u>निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अन्तर्गत टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :</u>*

(क) *डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को गठित नहीं किया गया है, अर्थात् क्रियाशील, नामांकित और स्वतंत्र निदेशकों का कोई अनुकूल संयोजन नहीं है और नामित निदेशकों की संख्या दो की निर्धारित सीमा से .अधिक है।*

(ख) *डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1.4 के अनुसार कंपनी में 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।*

(ग) *चूंकि कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए लेखा परीक्षा समिति का गठन लेखा परीक्षा अवधि के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और 4.1.2 के अनुसार नहीं हुआ।*

(घ) *डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार आवश्यक पारिश्रमिक समिति का गठन कम्पनी द्वारा नहीं किया गया।*

ic/ku dh fVIif.k;k

यह कथन सही है।

एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और एक असूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 सितम्बर 2017 की अधिसूचना सं. 1/22/2013–सीएल–v के अनुसार एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जो एक संयुक्त उद्यम भी है, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या एक शिथिल कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड, अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार के साथ परामर्श कर एअर इंडिया लिमिटेड के कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कर इसे नियंत्रित करेगा जैसा कि कंपनी अधिनियम में प्रयोग किया जाता है। हालांकि, एएएसएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं थे, डॉ शैफाली जुनेजा के बोर्ड में सदस्य नहीं रहने के कारण, एएएसएल में 31 अगस्त 2018 से बोर्ड में कोई भी महिला निदेशक नियुक्त नहीं की गई और इस मामले को एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ उठाया गया।

चूंकि 2018–19 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी स्वतंत्र/महिला निदेशक नियुक्त नहीं किए गए थे, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2), धारा 178 और धारा 149 और खंड 3.1, 3.1.14, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 के प्रावधान के तहत डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा सका।

(ख) बोर्ड / समिति बैठकें

(i) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के अनुसार, बोर्ड की प्रति तिमाही एक व वार्षिक कम से कम चार बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक हैं। इसके अलावा, किन्ही भी दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यह देखा गया है कि कंपनी द्वारा तीन महीनों में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की गई और 18.05.2018 और 12.09.2018 को आयोजित दो बोर्ड बैठकों के बीच अंतर तीन महीने से अधिक रहा।

(ii) इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के अनुसार, ऑडिट कमेटी द्वारा वार्षिक चार बैठकें आयोजित करनी आवश्यक है और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। साथ ही, बैठक के कोरम के लिए न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति होनी चाहिए। यह देखा गया है कि मार्च, 2018 से अक्तूबर, 2018 महीनों के दौरान लेखा परीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकें स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाती हैं।

izca/ku dh fVIif.k;k

यह कथन सही है।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, 6 बोर्ड बैठकें और लेखा परीक्षा समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी को प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें आयोजित करनी आवश्यक है, बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का समय अंतराल न हो। कंपनी को वर्ष के दौरान कम से कम लेखा परीक्षा समिति की 4 बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। हम कंपनी अधिनियम का अनुपालन कर रहे हैं, तथापि, डीपीई दिशानिर्देशों के उपरोक्त प्रावधानों का भविष्य में अनुपालन करेंगे।

¼x½ frekgh foÙkh; ifj.kke

(i) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुबंध IV में निर्धारित न्यूनतम जानकारी को आम तौर पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है, जो तिमाही वित्तीय परिणामों और विदेशी मुद्रा जोखिम और जोखिम को सीमित करने के लिए उठाए गए कदमों को छोड़कर दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के तहत आवश्यक है।

izca/ku dh fVIif.k;k

बोर्ड को अपनी बैठकों में वित्तीय निष्पादन से अवगत कराया जाता है जो तिमाही आयोजित की जाती हैं, हालांकि कोई अलग एजेंडा आइटम नहीं रखा जाता है। भविष्य में इसके अनुपालन के लिए प्रबंधन आवश्यक कार्रवाई करेगा। विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में, इससे संबंधित सूचना कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट के अंतर्गत आती है, जिसे बोर्ड के सामने रखा जाता है।

_.k] xkjVh o fuos'k

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अन्तर्गत कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई गारन्टी व निवेश नहीं किया है। अतः अनुच्छेद 186 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

ÅTkk laj{k.k] rduhd lekos'ku rFkk fons'kh eqnk vk; o vkmVxks

(क) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (ड) के प्रावधानों के तहत, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीक समावेशन से संबंधित आवश्यक विवरण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की गतिविधियों की प्रकृति के मद्देनजर उपलब्ध नहीं करवाए गए।

¼[k½ fon'kh emnk vk; o vkmVxk

	fooj.k	pky o"k 18&19	गत वर्ष 17–18
		¼#- fefy;u e½	¼#- fefy;u e½
क)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान आयात पर व्यय (सीआईएफ)		
	– विमान पूर्जे और औजार	128-73	117.94
	–पूंजीगत मदें–स्थल सहायता उपस्कर एयरफ्रेम रोटेबल एवं एरो इंजीनियरिंग रोटेबल	25-41	32.99
ख)	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान खपत पर व्यय		
	– आयातित–पूर्जे और कंपोनेंट	33-00	120.92
	– स्वदेशी पूर्जे	dkb ugh	कोई नहीं
ग)	विदेशी मुद्रा में आय – इंटरलाइन राजस्व	dkb ugh	कोई नहीं
घ)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	– विमान लीज़ और अनुरक्षण प्रभार	3591-51	2593.59
	– भंडार और उपस्करों की खरीद	154-14	150.93
	– तकनीकी साहित्य	13-73	13.05
	– प्रशिक्षण और यात्रा	12-89	63.01
	– विधिक प्रभार	dkb ugh	0.057

tek

वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया।

egRoi.k o oLrxr vkn'k

कम्पनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रचालन व गोईंग कंसर्न पर प्रभाव डालने वाले कोई महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश नियामकों या कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा जारी नहीं किए गए।

fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro ¼lh,lvkj½

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभ अर्जित न किए जाने के कारण, कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

dk;LFky ij efgykvksa ds ;kSu mRihM+u ¼jksdFkke] fu"ks/k vkSj fuokj.k½ vf/kfu;e 2013 dk vuqikyu

वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी में रिपोर्ट किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

1) संबंधित वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (निपटान कर दिया गया है।)

2) 90 दिनों से अधिक लम्बित मामलों की संख्या शून्य है।

3) यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्याः

   सामान्यतः सामान्य जागरुकता कार्यक्रम आवधिक रुप से आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, कार्यस्थल पर ''क्या करें और क्या ना करें,'' यौन उत्पीड़न संबंधी पोस्टर सभी कार्यस्थलों पर डिस्पले किए गए।

4) कम्पनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायः

   कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार शिकायतों के निपटान व संगठन में जागरूकता लाने हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

fuxfer iz'kklu

कम्पनी द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलवा निगमित प्रशासन की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है। इस मामले को एअर इंडिया/प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

निगमित प्रशासन रिपोर्ट, vuqyXud&d में संलग्न है।

lacaf/kr ikfVZ;ksa ds lkFk dkWUVsDV ;k 0;oLFkk dk fooj.k

वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन–देन, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों महत्वपूर्ण कार्मिकों या अन्य पद नामित व्यक्तियों के साथ कोई तात्विक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं किया गया, जिसका कम्पनी के हित से कोई संभावित टकराव हो।

Tkksf[ke izca/ku

एएएसएल का राजस्व, मूल कम्पनी एअर इंडिया से जुड़ा हुआ है व मूल कम्पनी में कैपिंग मॉनीटरिंग नीति, बैंक गारंटी नीति, वेब पोर्टल के साथ संलग्न रिस्क इंजन के माध्यम से जोखिम मॉनिटरिंग स्थापित कर, एजेंटों/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले विक्रय के लिए समुचित जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध हैं। 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी होने के चलते एएएसएल उच्च व्यवसाय जोखिम उन्मुख नहीं है।

कम्पनी के अस्तित्व पर जोखिम का खतरा न्यूनतम है। अतः कम्पनी की, जोखिम प्रावधान हेतु कोई नीति नहीं है।

okf"kZd fjVuZ dk lkj

कम्पनी नियम 2014 के नियम 12 (1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 92(3) के प्रावधानों के तहत वार्षिक रिर्टन का सार फार्म एमजीटी 9 इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

Lor=rk dh ?kks"k.kk

एएएसएल एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करेगी।

एअर इंडिया ने नागर विमानन मंत्रालय से एएएसएल के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने का अनुरोध किया है और नियुक्तियों की प्रतीक्षा है।

funs'kd ,oa izeq[k izca/kdh; dehZ ¼dsa,eih½

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी के निदेशकों व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नानुसार परिवर्तन हुए:–

Ø-la-	uke	Iknuke	fu;qfDr dh frfFk	lekiu dh frfFk	lekiu dk rjhdk
1.	श्री पंकज श्रीवास्तव	निदेशक, वाणिज्य, एआईएल	11 नवम्बर, 2013	30 अप्रैल, 2018	निदेशक नहीं रहे
2.	श्री सरबजोत सिंह ओबरॉय	क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एआईएल	29 सितम्बर, 2017	1 मई 2018	निदेशक नहीं रहे
3.	श्री पंकज कुमार	क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एआईएल	30 अगस्त, 2018		
4.	कप्तान ए. के. गोविल	कार्यपालक निदेशक, प्रचालन, एआईएल	3 मार्च, 2017	31 मई, 2018	निदेशक नहीं रहे
5	डॉ. शैफाली जुनेजा	संयुक्त सचिव, एमओसीए	18 दिसम्बर, 2017	31 अगस्त, 2018	निदेशक नहीं रहे
6	श्री प्रांजोल चन्द्रा	निदेशक, एमओसीए	31 अगस्त, 2018		
7.	श्री प्रदीप सिंह खरोला	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआईएल	12 दिसम्बर, 2017	14 फरवरी, 2019	निदेशक नहीं रहे
8.	श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआईएल	14 फरवरी, 2019		

fuEufyf[kr ekeyksa ij fuxfer dk;Z ea=ky; ds 5 twu 2015 dh vf/klwpuk ds vuqlkj nh xbZ NwV ds eqrkfcd lwpuk ugha nh x;h g%

i. बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।

ii. निदेशकों के चयन, नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के लिए नीति।

iii. पारिश्रमिक नीति – कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक।

/kU;okn iLrko

कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बोर्ड, भारत और विदेशों में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों की ईमानदारी से सराहना करता है और उनके निरंतर समर्थन और विश्वास की अपेक्षा करता है।

बोर्ड कंपनी के संचालन और विकास योजनाओं के लिए एअर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है। बोर्ड डीजीसीए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइंस एवं एजेंट का भी आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है।

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./–
¼v'ouh yksgkuh½
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 24 जुलाई 2019

i|c/ku ppk vkj fo'y"k.k fjikV

foÙkh; fu"iknu dk fo'y"k.k

jktLo

- वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित 6,131.57 मिलियन रु. के राजस्व की तुलना में, वर्ष के दौरान अर्जित कुल राजस्व 8,362.78 मिलियन रु. रहा।

0;;

- गत वर्ष व्यय किए गए 8,844.92 मिलियन रु. की तुलना में, वर्ष के दौरान 11,329.17 मिलियन रु. का कुल व्यय किया गया।

ekuo lalk/ku

deZpkfj;ksa dh la[;k

31 मार्च, 2019 को एएएसएल में नियत अवधि रोजगार समझौता आधार के तहत कर्मचारियों की संख्या 668 रही। इसके अतिरिक्त एअर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर 8 कर्मचारी और एआईईएसएल से 21 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा 02 कर्मचारी एआईएटीएसएल से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

foeku cM+s dh fLFkfr

31 मार्च, 2019 को, एएएसएल के विमान बेड़े में विमानों की स्थिति इस प्रकार रही :–

foeku	,e,l,u	VkbZi
वीटी–एबीए	390	एटीआर 42–320
वीटी–एबीबी	392	एटीआर 42–320
वीटी–एआईआई	1197	एटीआर– 72–212ए
वीटी–एआईटी	1226	एटीआर– 72–212ए
वीटी–एआईयू	1246	एटीआर– 72–212ए
वीटी–एआईवी	1252	एटीआर– 72–212ए
वीटी–एआईडब्ल्यू	1272	एटीआर– 72–212ए
वीटी–एआईएक्स	1268	एटीआर– 72–212ए
वीटी–एआईवाई	1273	एटीआर– 72–212ए
वीटी–एआईजैड	1279	एटीआर– 72–212ए
वीटी–आरकेसी	1381	एटीआर– 72–212ए
वीटी–आरकेडी	1383	एटीआर– 72–212ए
वीटी–आरकेई	1421	एटीआर– 72–212ए

वीटी–आरकेएफ	1423	एटीआर– 72–212ए
वीटी–आरकेजी	1427	एटीआर– 72–212ए
वीटी–आरकेएच	1434	एटीआर– 72–212ए
वीटी–आरकेजे	1439	एटीआर– 72–212ए
वीटी–आरकेके	1445	एटीआर– 72–212ए
वीटी–आरकेएल	1456	एटीआर– 72–212ए
वीटी–आरकेएएम	1463	एटीआर– 72–212ए

rduhdh fo'oluh;rk

वर्ष 2018–19 के दौरान विमानानुसार तकनीकी विश्वसनीयता इस प्रकार रही :

क) एटीआर 72–212ए (600) 99.18%
ख) एटीआर 42–320 98.83%

foeku mi;kfxrk

वर्ष 2018–19 के दौरान विमान उपयोग इस प्रकार रहा :

क) एटीआर 72–600 47757:13 बीएच
ख) एटीआर 42–320 4000:28 बीएच

foi.ku igy

31 मार्च, 2019 तक प्रचालित उड़ानों की कुल संख्या – 607 उड़ानें/साप्ताहिक
31 मार्च, 2019 तक एटीआर 72–600 द्वारा प्रचालित उड़ानों की कुल संख्या – 571 उड़ानें/साप्ताहिक
31 मार्च, 2019 तक एटीआर 42–320 द्वारा प्रचालित उड़ानों की कुल संख्या – 36 उड़ानें/साप्ताहिक
31 मार्च, 2019 तक स्टेशनों की कुल संख्या – 55

u, mMku@lEid

,Vhvkj 72 foeku

1. दिल्ली/भटिंडा/ दिल्ली– 4 उड़ानें– 09 जुलाई, 2018 से प्रभावी
2. बैंगलूरू/बेलगावी/ बैंगलूरू – साप्ताहिक 3 उड़ानें– 11 जुलाई, 2018 से प्रभावी
3. हैदराबाद/तिरूपति/हैदराबाद – साप्ताहिक 2 उड़ानें– 12 जुलाई, 2018 से प्रभावी
4. दिल्ली/लुधियाना/दिल्ली 5 उड़ानें– 29 जुलाई, 2018 से प्रभावी
5. जयपुर/उदयपुर/जयपुर साप्ताहिक 3 उड़ानें– 1 अगस्त, 2018 से प्रभावी
6. चेन्नै/त्रिची/चेन्नै दैनिक – 1 अगस्त, 2018 से प्रभावी (2 उड़ान)
7. हैदराबाद/शिरड़ी/हैदराबाद दैनिक प्रातःकालीन उड़ानें– 14 अगस्त, 2018 से प्रभावी (2 उड़ान)
8. हैदराबाद/तिरूपति/हैदराबाद – दैनिक प्रातःकालीन उड़ानें– 14 अगस्त, 2018 से प्रभावी

9. चेन्नै/त्रिची/चेन्नै – साप्ताहिक 6 उड़ानें– 23 सितम्बर, 2018 से प्रभावी (3 उड़ान)
10. चेन्नै/मदुरै/चेन्नै दैनिक– 27 सितम्बर, 2018 से प्रभावी (2 उड़ान)
11. हैदराबाद/कोल्हापुर/हैदराबाद दैनिक– 09 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी (आरसीएस मार्ग)
12. बैंगलूरू/कोल्हापुर/बैंगलूरू दैनिक– 09 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी (आरसीएस मार्ग)
13. कोलकाता/रांची/कोलकाता दैनिक – 07 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी
14. कोलकाता/भुवनेश्वर/कोलकाता दैनिक – 07 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी
15. कोलकाता/रायपुर/कोलकाता दैनिक – 08 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी
16. रांची/भुवनेश्वर/रांची दैनिक – 08 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी
17. रांची/रायपुर/रांची दैनिक – 08 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी
18. हैदराबाद/नासिक/हैदराबाद दैनिक– 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी (आरसीएस मार्ग)
19. नासिक /अहमदाबाद/नासिक दैनिक– 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी (आरसीएस मार्ग)

,Vhvkj&42 foeku

1. दिल्ली/पठानकोट/दिल्ली – साप्ताहिक 03 उड़ानें– 05 अप्रैल 2018 से प्रभावी (आरसीएस मार्ग)
2. कोलकाता/गुवाहाटी/पासीघाट एवं वापसी साप्ताहिक 3 उड़ानें 21 मई 2018 से प्रभावी
3. कोलकाता/गुवाहाटी/लीलाबाड़ी/तेज़पुर/गुवाहाटी/कोलकाता– साप्ताहिक 4 उड़ानें 21 मई 2018 से प्रभावी
4. पंतनगर/देहरादून/पंतनगर– साप्ताहिक 4 उड़ानें 04 जनवरी 2019 से प्रभावी (आरसीएस मार्ग)

mŸkj&iwoZ iwpkyu

एलाइंस एअर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एटीआर 42 प्रकार के विमानों के साथ उत्तर पूर्वी परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत उड़ानों का प्रचालन कर रही है। मार्ग समयावली उत्तर पूर्वी परिषद के परामर्श से तय की गयी है और विमान पूरी तरह से तैनात हैं। निम्नलिखित उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है:

1. कोलकाता/गुवाहाटी/लीलाबाड़ी/गुवाहाटी/कोलकाता – साप्ताहिक 4 उड़ानें
2. कोलकाता/गुवाहाटी/तेज़पुर/गुवाहाटी/कोलकाता – साप्ताहिक 3 उड़ानें
3. कोलकाता/शिलॉग/कोलकाता – साप्ताहिक 7 उड़ानें

23 मई 2018 से अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट के लिए उड़ान प्रचालन शुरू करने वाली एलाइंस एअर देश की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन है। 21 मई 2018 से प्रचालन समयावली को संशोधित किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

1. कोलकाता/शिलॉग/कोलकाता – दैनिक
2. कोलकाता/गुवाहाटी/तेज़पुर/लीलाबाड़ी/गुवाहाटी/कोलकाता– साप्ताहिक 4 उड़ानें
3. कोलकाता/गुवाहाटी/पासीघाट एव वापसी – साप्ताहिक 3 उड़ानें

28 अक्टूबर 2018 से प्रभावी मार्ग समयावली में निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधन किया गया है:

1. कोलकाता/शिलॉग/कोलकाता – दैनिक
2. कोलकाता/गुवाहाटी/तेज़पुर/गुवाहाटी/कोलकाता– साप्ताहिक 3 उड़ानें

3. कोलकाता/गुवाहाटी/पासीघाट/लीलाबाड़ी/गुवाहाटी/कोलकाता – साप्ताहिक 4 उड़ानें

28 अक्टूबर 2018 से उत्तर पूर्व में प्रचालित की जाने वाली उपरोक्त सभी उड़ानों का प्रचालन 8 फरवरी 2019 से एटीआर 72 विमान से किया जा रहा है।

ohth,Q lgk;rk ls mMku ipkyu

- लक्षदीप प्रशासन के सहयोग से कोच्चि/अगाती/कोच्चि मार्ग पर वीजीएफ सहायता से दैनिक उड़ानें एटीआर 72 विमान से प्रचालित की जा रही हैं।
- मुम्बई/दीव/मुम्बई–एटीआर 72 विमान से 25 अक्तूबर, 2015 से साप्ताहिक 4 उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं। दीव प्रशासन से वीजीएफ सहायता से उड़ान प्रचालन किया जा रहा है।

{k=h; lEidl ;ktuk ¼vkjlh,l½

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना– उड़ान के प्रथम राउंड के तहत भारत सरकार द्वारा एलाइंस एअर को 17 रूट दिए गए थे। इस योजना के तहत 27 अप्रैल, 2017 से एलाइंस एअर शिमला/दिल्ली सेक्टर पर उड़ान प्रारंभ करने वाली पहली एयरलाइन थी जिसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था। इस योजना के तहत आरंभ की गई उड़ानें निम्नानुसार हैं :–

vkjlh,l jkmM 1 ea ipkyukRed :V

Ø-l-	:V	vkjEHk dh frfFk
1	दिल्ली/शिमला/दिल्ली	27 अप्रैल, 2017
2	दिल्ली/भटिंडा/दिल्ली	27 अप्रैल, 2017
3	ग्वालियर/दिल्ली	31 मई, 2017
4	ग्वालियर/इंदौर/ग्वालियर	31 मई, 2017
5	दिल्ली/लुधियाना/दिल्ली	02 सितम्बर, 2017
6	दिल्ली/बीकानेर/दिल्ली	26 सितम्बर, 2017
7	जयपुर/आगरा/जयपुर	08 दिसम्बर, 2017
8	दिल्ली/पठानकोट/दिल्ली	05 अप्रैल, 2018
9	पंतनगर/देहरादून/पंतनगर	04 जनवरी 2019

एलाइंस एअर द्वारा आरसीएस राउंड 1 में प्रदान की गई सभी उड़ानों को आरंभ किया जा चुका है।

vkjlh,l jkmM 2 ea ipkyukRed :V

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस)–उड़ान 2 के दूसरे दौर में एलाइंस एअर को 26 रूट प्रदान किए गए थे जिसमें 12 रूटों में प्रचालन आरंभ किया जा चुका है :

Ø-l-	:V	vkjHk dh frFk
1	जम्मू/भटिंडा/जम्मू	27 फरवरी, 2018
2	बीकानेर/जयपुर/बीकानेर	27 मार्च, 2018
3	हैदराबाद/कोल्हापुर/बेंगलुरू/कोल्हापुर/हैदराबाद	09 दिसम्बर, 2018
4	हैदराबाद/नासिक/अहमदाबाद/नासिक/हैदराबाद	01 फरवरी, 2019

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना–उड़ान 2 के तहत एलाइंस एअर द्वारा निम्नलिखित सेक्टरों में उड़ानें आंरभ की जाएंगी:

Ø-l-	:V
1	हैदराबाद/हुबली/हैदराबाद/शोलापुर/हैदराबाद
2	अहमदाबाद/काण्डला/अहमदाबाद
3	कोलकाता/दुम्का/रांची/दुम्का/कोलकाता/बोकारो/पटना/बोकारो/कोलकाता

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना–उड़ान 3 के तीसरे दौर में एलाइंस एअर को 40 रूट प्रदान किए गए थे। रूटों की सूची निम्नलिखित है:

Ø-l-	:V
1	दिल्ली/कोटा/दिल्ली
2	मुम्बई/केशोड/मुम्बई/अमरावती/मुम्बई
3	बेलगावी/पुणे/बेलगावी
4	गुवाहाटी/दीमापुर/इम्फाल/दीमापुर/गुवाहाटी
5	बेंगलूरू/कालाबुर्गी (गुलबर्गा)/बेंगलूरू/मैसूर/गोवा/मैसूर/कोचीन/मैसूर/बेंगलुरू
6	भुवनेश्वर/कलाईकुण्डा/विशाखापत्तनम/कलाईकुण्डा/भुवनेश्वर/वाराणसी/भुवनेश्वर
7	हैदराबाद/जगदलपुर/रायपुर/जगदलपुर/हैदराबाद/मैसूर/हैदराबाद
8	कोलकाता/झारसुगुड़ा/भुवनेश्वर/राउरकेला/भुवनेश्वर/झारसुगुड़ा/रायपुर/झारसुगुड़ा/कोलकाता

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना–उड़ान 3.1 के तीसरे दौर में एलाइंस एअर को 12 रूट प्रदान किए गए थे। रूटों की सूची निम्नलिखित हैं:

Ø-l-	:V
1	कोलकाता/हजारीबाग/कोलकाता
2	चण्डीगढ़/धर्मशाला/ चण्डीगढ़
3	लखनऊ/गोरखपुर/लखनऊ
4	नासिक/पुणे/नासिक
5	मुम्बई/सिंधुदुर्ग/मुम्बई
6	मुम्बई/रत्नागिरी/मुम्बई

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना–उड़ान 3.0 और 3.1 के अन्तर्गत प्रदान किए गए रूटों पर एलाइंस एअर शीघ्र ही प्रचालन आरंभ करेगी।

2018@2019 d nkjku fdjk,

हमारे उपलब्ध संसाधनों, प्रचालन की लागत, यूएसपी और एकाधिकार मार्गों के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् एलाइंस एअर ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद वर्ष में अपनी यील्ड में 6% की वृद्धि की है।

fer0;;h mik;k dk viukuk

RADIXX PSS को प्रस्तावित कटओवर के मद्देनजर लगभग 24 करोड़ रु. की जीडीएस लागत की वार्षिक बचत अपेक्षित है।

o"k 2019&20 d fy, ikbiykbu e u, m|e

- एअर इंडिया जीडीएस प्रणाली से कटओवर करने का प्रस्ताव और अपने RADIXX PSS सिस्टम में स्थानांतरित करना।
- 01 फरवरी 2019 से सीयूटीई और बीआरएस प्रभार लगाना प्रारंभ किया। इन शुल्कों से अपेक्षित आय प्रतिवर्ष लगभग 11 करोड़ रु. है जो इन शुल्कों पर मौजूदा खर्च को पूरा करेगी।
- RADIXX PSS सिस्टम लागू होने के बाद बेहतर विनियोजन के लिए ऑनलाइन और प्रमुख ऑफ़लाइन ट्रैवल एजेंटों को उत्पादकता लिंक्ड बोनस ऑफर करने का प्रस्ताव।
- अग्रिम सीट आरक्षण, अतिरिक्त बैगेज की बिक्री के माध्यम से सहायक राजस्व उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव।
- विमान/संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चार्टर व्यवसाय पर नवीनीकृत फोकस।

bt hfu;fjx igy

o"k 2018&19 d nkjku ie[k miyfC/k;k bl idkj jgh %

viukÃ xÃ fdQk;rh mik; vkj miyfCèk;k%

foeku odl'kki lfo/kkvk dk foLrkj %

- दो पुराने पीडब्ल्यू121 इंजनों के साथ एक नए पीडब्ल्यू127एम इंजन का विनियम यूएसडी 1.95 मिलियन की अतिरिक्त लागत के साथ जिससे दो पुराने इंजनों के लिए यूएसडी 1,162,831 का अधिकतम मूल्य प्राप्त हुआ।
- एएएसएल ने जीएमएसए मूल्य और शर्तों संबंधी बातचीत पूरी कर ली है। इस संशोधन के निष्पादन पर, वर्ष के लिए 1,769,693 यूएसडी की अनुमानित बचत होगी।
- दिल्ली में केंद्रीकृत एमएमडी प्रभाग स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे खरीद पर प्रभावी नियंत्रण, प्रावधान और आगे विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए घटकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

foeku rFkk iqtsZ o vU; vf/k'ks"k@vizpfyr ifjlEifRr;ka] ;fn dksbZ gks] dk fuiVku@okilh

- सभी एटीआर 42–320 विमान लीज़कर्ता को रि–डिलीवर कर दिए गए हैं तथापि, एएएसएल के अनुरोध पर प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेसर, 1 यूएसडी लीज किराए की मामूली दर पर एक एटीआर 42–320 विमानों के लीज़ का विस्तार 31 मार्च 2019 तक करने पर सहमत हुए हैं।
- एटीआर 42–320 वीटी–एबीओ विमान का हुल, एएएसएल के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति, एमएमडी कोलकाता के माध्यम से 3,75,101 रुपये की नीलामी की जा चुकी है।
- एटीआर 42–320 विमान वीटी–एबीओ (क्रम संख्याः इएसएन 121261 और इएसएन 121163) के 2 इंजन फ्लोट में रखने के लिए एक पीडब्ल्यू 127एम इंजन के साथ बदले जा रहे हैं।

एटीआर 42–320 विमान वीटी–एबीबी का हुल, एएएसएल के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति है जिसे 31 मार्च 2020 के बाद एमएमडी कोलकाता के माध्यम से नीलाम किया जाएगा जैसा कि वीटी–एबीओ विमान के मामले में किया गया था।

एटीआर 42–320 विमान वीटी–एबीए और वीटी–एबीबी (सीरियल नंबरः एसी0111, एसी0106, 121355, एसी0096) के 4 इंजन सितंबर 2020 तक लेसर को वापस कर दिए जाएंगे और लीज़कर्ता ने 20,000 डॉलर तक की परिवहन लागत को अवशोषित करने पर सहमति व्यक्त की है।

foeku mi;ksfxrk] btsfu;jks dh miyC/krk] u, ekxksZ @ lsokvksa] lfoZflax vkfn ds mi;ksx vkfn ds lanHkZ esa 2019&20 dh ;kstuk vkSj cM+s ds foLrkj dh ;kstukA

दो नए एटीआर 42–600 विमानों के लिए निविदा जारी की गई थी और वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है। इन विमानों को 2019 के अंत तक शामिल किए जाने की उम्मीद है।

2018&19 ds nkSjku vU; ,;jykbZal@laxBu dks çnku dh tkus okyh btsfu;fjax lsokvksa dk fooj.k vkSj 2018&19 ds nkSjku btsfu;fjax izf'k{k.k dk;ZØe%&

एआईईएसएल और एएएसएल के बीच 29 जुलाई, 2013 के हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, सभी एएमई को एएएसएल से हटा कर एआईईएसएल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद से 1 जनवरी 2015 से एएएसएल की सभी इंजीनियरिंग/रखरखाव/विमान संबंधित गतिविधियां एआईईएसएल द्वारा की जा रही हैं इसलिए, एएएसएल द्वारा अन्य किसी भी एयरलाइंस/संगठन को इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा विमान संबंधित सभी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण एआईईएसएल द्वारा दिया जा रहा है।

2017&18 ds chp ¼d½ miLdj o iqtsZ ¼[k½ buosUVªh fu;=.k ¼x½ iqthxr enksa ds lac/k esa vk;kr dk lh vkbZ ,Q eY; ¼ubZ [kjhn o ejEer ugha dh xbZ en½

एअर इंडिया लिमिटेड, एमएमडी द्वारा रैमको प्रणाली से वर्तमान में नई खरीद, यदि कोई हो, नियंत्रित की जा रही है और एएएसएल द्वारा पूर्जों/उपस्करों का केवल विनिमय नियंत्रित किया जा रहा है।

mM+ku lqj{kk

कम्पनी का अपना स्वतंत्र उड़ान सुरक्षा विभाग है जो डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोएक्टिव तरीके से काम करता है। उड़ान सुरक्षा विभाग, एयरलाइन के लिए प्रोएक्टिव कार्य करता है। उड़ान सुरक्षा विभाग प्रोएक्टिव कार्यों के

तहत FOQA (उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) जिसमें नियमित रूप से उड़ान डाटा की निरंतर मॉनिटरिंग आदि जैसे एसएसएफडीआर व सीवीआर तथा बेस स्टेशनों की आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा तथा एयरलाइन द्वारा प्रचालित लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच जिसमें एयरफील्ड निरीक्षण, स्पॉट चैक, रैम्प जांच तथा कॉकपिट/केबिन निगरानी शामिल है, की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रिपोर्ट की गई सभी 46 घटनाओं की डीजीसीए प्रतिनिधियों सहित कम्पनी के स्थायी जॉच बोर्ड (पीआईबी) द्वारा 42 घटनाओं की जांच की गई तथा पीआईबी के पास जांच हेतु 4 मामले लंबित हैं।

एलाइंस एअर की समीक्षाधीन वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान शिरडी और दीव में एटीआर 72–600 विमानों पर 2 (दो) गंभीर घटना घटित हुई। इन मामलों की जांच एएआईबी द्वारा की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 19 बर्ड हिट की घटनाएं हुई, दिल्ली और धर्मशाला में 3 विमानों को नुकसान पहुंचा। संबंधित एयरोड्रोम को इन घटनाओं के बारे में सुधारात्मक उपायों के लिए सूचित किया गया है।

विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उड़ान सुरक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए :

- नए एटीआर 72–600 विमान बेड़े हेतु नए FOQA & 3D सॉफ्टवेयर लिए जाने की टैंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है व प्रक्रिया में है।
- नियामक मानकों के अनुसार इंसीडेंट के रूप में वर्गीकृत उड़ान घटना की जांच पड़ताल डीजीसीए के वायु सुरक्षा निदेशालय के सहयोग से एयरलाइन के जांच बोर्ड (Investigation Board) द्वारा की जाती है।
- जांच बोर्ड की सिफारिशों को संबंधित विभागों को अनुपालन हेतु भेजा जाता है।
- एयरलाइन में सुरक्षा निष्पादन के अनुपालन हेतु मूल्यांकनों के लिए आंतरिक सुरक्षा ऑडिट वार्षिक आधार पर किया जाता है और संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु इसकी रिपोर्ट भेजी जाती है।
- सीएआर के अनुसार एटीआर 72–600, एटीआर 42–320 विमान बेड़े की लोड और ट्रिम शीट की मॉनीटरिंग मासिक आधार पर की जा रही है।
- बेस स्टेशनों/लाइन स्टेशनों की रैम्प जांच/स्पॉट जांच यादृच्छिक रूप से की जाती है।
- लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच अनुमोदित योजना के अनुसार की जाती है।
- FOQA कार्यक्रम के अनुसार केबिन क्रू को सचेत/एडवाइज्ड किया जाता है।
- प्रत्येक विभाग के कार्मिक को एसएमएस/जोखिम विश्लेषण प्रशिक्षण दिया गया है।

if'k{k.k

वर्ष के दौरान एलाइंस एअर द्वारा एटीआर के 2 पायलटों को कमांडर के रूप में अपग्रेड किया गया व वर्ष 2018–19 के दौरान 4 एटीआर पायलट पीआईसी अपग्रेड प्रशिक्षणाधीन रहेगें।

xkbx dlu

एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए अपनी समूह कंपनियों के लिए लागू टर्न

एराउंड प्लान (टीएपी) तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा एअर इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के टर्न अराउंड हेतु फरवरी 2012 में टर्न एराउंड प्लान (टीएपी) को मंजूरी दे दी थी।

टीएपी के अनुपालन में, 2018–19 में 04 नए एटीआर–72–600 विमानों को शामिल करने के साथ अधिष्ठापन जारी रहा। वर्ष के अंत में बेड़े में 20 विमान (02 एटीआर–42–320 और 18 एटीआर–72–600) शामिल थे। एएएसएल 15 विमानों को शामिल करने पर विचार कर रहा है, जिनमें से 02 एटीआर–42–320 के प्रतिस्थापन के लिए हैं। दो विमान एटीआर–72–600 के हैं और एएएसएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। कोरोलरी के रूप में, वित्त वर्ष 2020–21 में पहले चरण में कम से कम 06 विमान शामिल करने हेतु आवश्यक अनुमोदन और प्रक्रियाएं की जा रही हैं। एएएसएल को आबंटित आरसीएस मार्ग प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिष्ठापन की आवश्यकता होती है।

2017–18 के दौरान 1.28 मिलियन यात्रियों के मुकाबले एएएसएल ने 2018–19 के दौरान 1.60 मिलियन यात्रियों का वहन किया। वर्ष 2018–19 में यात्री कैरीज में 25% की वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार, नेटवर्क का 48 गंतव्यों से 55 गंतव्यों तक विस्तार हुआ, प्रतिदिन 100 प्रस्थान से 109 प्रस्थान और प्रति सप्ताह 542 उड़ानों से प्रति सप्ताह 607 उड़ानें प्रचालित की जा रही है। वित्त वर्ष 2017–18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 में 35% की वृद्धि के साथ 38252 ब्लॉक घंटे से विमान उपयोग बढ़कर 51758 ब्लॉक घंटे हो गया है।

एलाइंस एअर द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में अर्जित 836 करोड़ रुपए के वास्तविक राजस्व की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रक्षिप्त राजस्व लगभग 1200 करोड़ रुपए है। सिद्धान्तः यह वृद्धि एएसकेएम में वृद्धि के अलावा एटीआर 72–600 विमान के औसत दैनिक 8.78 घंटे से बढ़कर 9.53 घंटे दैनिक वृद्धि के फलस्वरूप एटीआर 72–600 विमान के प्रभावी उपयोग में वृद्धि के कारण है। राजस्व प्रति किलोमीटर (आरपीके) में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 19% की वृद्धि के साथ 570.335 मिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में 679.873 मिलियन का विकास दिखाया है और यह औद्योगिक मानकों के समकक्ष या उससे अधिक है।

कंपनी द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे असम में गुवाहाटी, लीलाबाड़ी, तेजपुर, मेघालय में शिलांग और अगाती और दीव हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) व्यवस्था के तहत एनईसी और एमएचए के अनुरोध पर प्रचालन जारी रखा गया। ये मार्ग परिचालनात्मक दृष्टि से लाभप्रद हैं।

कंपनी भारत सरकार की प्रमुख योजना 'उड़ान' में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है, जो गैर–सेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों के विकास के साथ विभिन्न टायर II और टायर III शहरों को जोड़ती है। टायर II और टायर III शहरों में वृद्धि अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है और एलाइंस एअर के इन छोटे हवाई अड्डों पर प्रचालन के लिए उपयुक्त नवीन एटीआर 72–600 बेड़े के साथ सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना है।

कंपनी ने भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में प्रमुख संसाधनों का निवेश करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसमें कंपनी का प्रचालन सकारात्मक रहा है। कंपनी 31 मार्च 2019 तक 29 'उड़ान' मार्गों पर प्रचालन कर रही थी, जो वर्तमान में बढ़कर 39 मार्गों पर पहुंच गई है। कम्पनी द्वारा अगले 2–3 महीनों में 'उड़ान' योजना के तहत अधिक मार्गों को शुरू किया जाएगा। एएएसएल ने पिछले वर्ष अर्थात 2017–18 के दौरान प्रचालित 17% 'उड़ान' मार्गों के मुकाबले वित्त वर्ष 2018–19 में 19% प्रचालन किया। वर्तमान में, एएएसएल द्वारा वर्ष 2018–19 से 68% की वृद्धि कर लगभग 32% 'उड़ान' मार्गों पर प्रचालन किया जा रहा है। 'उड़ान' क्षेत्रों पर अधिक संसाधनों को तैनात करके एलाइंस एअर लाभप्रदता की ओर अग्रसर हो रही है।

कंपनी लगातार हानिप्रद मार्गों का मूल्यांकन भी कर रही है, और सोच विचार कर इन मार्गों से प्रचालन को उच्च राजस्व आय वाले मार्गों में स्थानांतरित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने उड़ान राउंड 3 और 3.1 में भाग लिया है व परिणामतः कम्पनी को 52 और मार्ग आबंटित किए गए हैं। ऐसे मार्गों पर कंपनी की कुल दावेदारी अब 95 पर है।

एयरलाइन जानबूझकर यील्ड बढ़ा रही है और साल के अंत में औसत यील्ड 4179 रु. प्रति यात्री था, जो पिछले वर्ष (2017–18) की तुलना में लगभग 8% अधिक है।

विमान पट्टे पर लेना, आरक्षण प्रणाली, सूची प्रबंधन, एसएपी इत्यादि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने और कंपनी की प्रचालन और वित्तीय गतिविधियों में सुधार के लिए किए गए अन्य विभिन्न उपायों के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से, कंपनी की वित्तीय स्थिति में भविष्य में सुधार होने की अपेक्षा है।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और इसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

tkf[ke U;wuhdj.k uhfr

कम्पनी द्वारा निरन्तर जोखिम धारणाओं को मॉनीटर किया जाता है तथा विविध क्षेत्रों के जोखिम को कम करने हेतु निवारक कार्रवाई की जाती है।

vkarfjd fu;=.k i.kkyh

कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने, जैसे कर अनुपालन, जोखिम मूल्यांकन और कमी, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करना इत्यादि करने हेतु वर्ष 2018–19 के लिए मैसर्स के.के. सोनी एण्ड कम्पनी को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

vuqyXud&d

fuxfer i'kklu ij fjikVZ

1- funs'kd eaMy

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी में निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होगी।

31 ekp] 2019 dk funs'kd eaMy

श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक– एअर इंडिया लि.–अध्यक्ष
श्री अंशुमाली रस्तोगी	निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय
श्री प्रांजोल चन्द्रा	निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय
श्री विनोद हेजमाड़ी	निदेशक (वित्त) एअर इंडिया लि.
श्री पंकज कुमार	क्षेत्रीय निदेशक–उत्तरी क्षेत्र, एअर इंडिया लि.

वर्ष के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की गई। बोर्ड ने वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए छः बार बैठक की और इन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा की।

वर्ष के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की गई थी। बोर्ड ने वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन की समय–समय पर समीक्षा करने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए छः बार बैठक की, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 36 महीनों के लिए एक पीडब्ल्यू127एम इंजन की दीर्घकालिक लीज़, वीटी–एबीओ के हुल एवं इंजन का निपटान मैसर्स एब्रिक लीजिंग लिमिटेड (लेसर) के साथ, ईएसएनः एसी 0097 (वीटी–एबीए) इंजन का विनिमय शामिल था। वीटी–एआईटी (एमएसएन 1226) की ग्राउंडिंग, शेयर्स का डीमैटीयलाइज़ेशन अप्रस्तुत/स्क्रैप की गई/गैर मरम्मत योग्य मदों को राइट ऑफ करना। वीटी–आरजेई (एमएसएन 10029) का क्षेत्रीय के साथ रि–डिलीवरी बायआउट सेटलमेंट समझौता, मैसर्स पी एंड डब्ल्यूसी से अल्पावधि किराये पर पीडब्ल्यू127एम इंजन आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वीटी–एवीओ व विमान के 2 पीडब्ल्यू121 के स्थान पर एक (01) पीडब्ल्यू 127एम इंजन, (02) पीडब्ल्यू127 इंजन का विमान वीटी–एबीओ एक (01) पीडब्ल्यू127एम इंजन, ग्रेच्युटी सीलिंग में संशोधन 10 एटीआर –72 लीज – शेष विमानों की स्वीकृति, एअर इंडिया लिमिटेड और एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के बीच मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए), एएएसएल के वर्तमान 2 एटीआर 42–320 के प्रतिस्थापन के रूप में 2 नए एटीआर 42–600 एयरक्राफ्ट को विमान बेड़े में शामिल करना, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रैवल एजेंसियों के नए सीआरएस–RADIXX में परिवर्तन पर एटीआर 42–320 विमान की रि–डिलीवरी (वीटी–एबीए और वीटी–एबीबी), मैसर्स एटीआर के साथ ग्लोबल अनुरक्षण सहायता अनुबंध (जीएमएसए) का विस्तार आदि।

2- cksMZ izfØ;k

बोर्ड के निदेशक मण्डल की बैठकें आमतौर पर नई दिल्ली में एअर इंडिया मुख्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकें अग्रिम रूप से शिड्यूल की जाती हैं। आवश्यकता/अत्यावश्यकता के मामले में प्रस्तावों को सर्कुलेशन द्वारा पारित किया जाता है। कम्पनी के प्रचालन निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बोर्ड एक तिमाही में कम से कम 01 बार मिलता है। बैठकों का एजेंडा संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के दस्तावेज निदेशकों को अग्रिम रूप में दिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सभी जानकारियों तक पहुंच होती है और वे एजेंडे में चर्चा हेतु किसी भी मामले को शामिल करने की सलाह देने के लिए स्वतंत्र है। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और अपेक्षित स्पष्टीकरण

प्रदान किए जाते हैं। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टों को आवधिक तौर पर बोर्ड में रखा जाता है। कम्पनी के मामलों को बेहतर और ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने हेतु, बोर्ड के कुछ मामलों को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बोर्ड की समितियों को सौंपा जाता है।

बोर्ड की बैठकों, सामान्य वार्षिक बैठकों, निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों के निदेशक पद और समितियों में पोज़ीशन का ब्यौरा इस प्रकार है :

बोर्ड की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित तिथि के अनुसार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईः

15 मई, 2018 (151वीं बैठक)
18 मई, 2018 (152वीं बैठक)
12 सितम्बर, 2018 (153वीं बैठक)
6 नवम्बर, 2018 (154वीं बैठक)
30 जनवरी, 2019 (155वीं बैठक)
28 फरवरी, 2019 (156वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों का उपस्थिति सहित विवरण।

fun'kdk d uke	'k{kf.kd ;kX;rk	06 ckM cBdk e mifLFkfr	vU; difu;k e fun'kd in dk fooj.k	Lkfefr;k e lnL;rk
श्री प्रदीप सिंह खरोला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – एअर इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष (14.02.2019 से सदस्य नहीं रहे)	पीएचडी मास्टर्स इन डवलपमेंट मैनेजमेंट	5	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड पार्ट–टाइम अध्यक्ष एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. एअर इंडिया एक्सप्रेस लि. होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. एअर इंडिया एसैटस होल्डिंग लिमिटेड निदेशक एअर मॉरिशस लिमिटेड एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड	एआईएल सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एआईएटीएसएल अध्यक्ष कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति, एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री अश्वनी लोहानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक– एअर इंडिया लि. अध्यक्ष (14.02.2019 से नियुक्ति)	मैकैनिकल इंजीनियर एवं फैलो ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजेस्टिक एण्ड ट्रांसपोर्ट	1	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड पार्ट–टाइम अध्यक्ष एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. एअर इंडिया एक्सप्रेस लि. होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. एअर इंडिया एसैटस होल्डिंग लिमिटेड	एआईएल सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एआईएटीएसएल अध्यक्ष कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति, एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति

			निदेशक एअर मॉरिशस लिमिटेड एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड	
श्री विनोद हेजमाड़ी निदेशक– (वित्त) एअर इंडिया लि.	बी. कॉम, एसीए	6	निदेशक एअर इंडिया लि. एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. एअर इंडिया एसैटस होल्डिंग लिमिटेड	एएएसएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआई एक्सप्रेस लि. अध्यक्ष कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईएल सदस्य एचआर समिति कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी एवं स्थिरता विकास समिति, शेयर आबंटन समिति चयन समिति उड़ान संरक्षा समिति एआईएटीएसएल सदस्य कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति लेखा परीक्षा समिति, एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईईएसएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईएसैट्स अध्यक्ष कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी समिति

श्री अंशुमाली रस्तोगी, निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय	फैलो, इंस्टीटियूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, लंदन चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), इंजीनियरिंग परिषद, लंदन के साथ पंजीकृत	1	निदेशक एअर इंडिया एक्सप्रेस लि. एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एवं एलाइड सर्विसेस कम्पनी लि.	एएएसएल अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति एआईएक्सएल अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति सदस्य सीएसआर समिति
(डॉ.) शैफाली जुनेजा संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (31.08.2018 से निदेशक नहीं रहीं)	एम.ए. एम(फिल)पीएचडी	2	निदेशक एअर इंडिया एक्सप्रेस लि.	एएएसएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईएक्सएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति सीएसआर समिति
श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय (दिनांक 31.08.18 से नियुक्ति)	बी.ई. मैकेनिकल	2	निदेशक एअर इंडिया एक्सप्रेस लि.	एएएसएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईएक्सएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति सीएसआर समिति
श्री एस.एस. ओबरॉय, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एअर इंडिया लि. (29.09.2017 से नियुक्ति एवं 1.5.2018 से सदस्य नहीं रहे)	बीए (ईको), मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग)	–	–	–

श्री पंकज श्रीवास्तव, निदेशक–वाणिज्य, एअर इंडिया लि. (दिनांक 30.04.18 से निदेशक पद पर नहीं रहे)	एमबीए	–	निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड	
कप्तान ए.के. गोविल, का.नि.– प्रचालन एअर इंडिया लिमिटेड (दिनांक 31.05.18 से निदेशक पद पर नहीं रहे)		2	–	–
श्री पंकज कुमार का.नि., उत्तरी क्षेत्र एअर इंडिया लिमिटेड (दिनांक 30.08.18 से नियुक्ति)	मार्केटिंग में एमबीए	3	–	–

3 y[kk ijh{kk lfefr

निगमित प्रशासन प्रक्रिया के भाग के रूप में व कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और डीपीई के मार्गदर्शन के अनुपालन के तहत बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः

श्री अंशुमाली रस्तोगी	अध्यक्ष
श्री प्रांजोल चन्द्रा	सदस्य
श्री विनोद हेजमाड़ी	सदस्य
श्री अश्वनी लोहानी	स्थायी आमंत्रित

y[kk ijh{kk lfefr d fopkjkFk fo"k; bl idkj gS %

- नियुक्ति, पारिश्रमिक और कम्पनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन व लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा व मॉनीटर करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक व बाह्य लेखा परीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ–साथ यह तय करना कि आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य कम्पनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है या नहीं।

- लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के संबंध में चर्चा करना।
- वित्तीय विवरणी और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना, प्रबंधन की प्रतिक्रिया और सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पार्टियों के साथ कम्पनी के लेन–देन का अनुमोदन या तदन्तर कोई संशोधन करना।
- अन्तर कारपोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहां कहीं भी आवश्यक हो कम्पनी के उपक्रमों या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- पब्लिक ऑफर के माध्यम से एकत्र किए गए धन के अंतिम उपयोग की मॉनिटरिंग करना और संबंधित मामले।
- बोर्ड द्वारा वांछित अन्य मामलों पर विचार करना।

अन्य मुद्दों के साथ–साथ कम्पनी के वार्षिक लेखों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर चार बैठकें आयोजित की गई।

6 नवम्बर, 2018 (12वीं बैठक)

30 जनवरी, 2019 (13वीं बैठक)

28 फरवरी, 2019 (14वीं बैठक)

28 मार्च, 2019 (15वीं बैठक)

cBd e mifLFkr lnL;

lnL;k d uke	cBd e mifLFkfr dh l-
श्री अंशुमाली रस्तोगी	2
श्री प्रांजोल चन्द्रा	2
श्री विनोद हेजमाड़ी	4

4- fiNys rhu o"kksa dh okf"kd lkekU; cBd

	cBd dh frfFk ,o le;	LFkku
33वीं वार्षिक सामान्य बैठक	30 दिसंबर, 2016 को 17:15 बजे	बोर्ड रूम, एयरलाईंस हाउस, 113 गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001
34वीं वार्षिक सामान्य बैठक	27 सितंबर, 2017 को 11:00 बजे	बोर्ड रूम, एयरलाईंस हाउस, 113 गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001
35वीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 दिसंबर, 2018 को 11:00 बजे	बोर्ड रूम, एयरलाईंस हाउस, 113 गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001

vkpkj lfgrk

?kks"k.kk

मैं यह घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

हस्ता./–
¼v'ouh ykgkuh½
अध्यक्ष
एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 24 जुलाई 2019

lfpoh; y[kkijh{kk fjikVZ

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सभी सदस्य
एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड
एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–1,
आई.जी.आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037

मैंने ,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVM (सीआईएनः यू51101डीएल1983जीओआई016518) (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के पालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला ।

कम्पनी की लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे दूसरे रिकार्डों तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी मैं, एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरे विचार में 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने एतद्धीन सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास समुचित बोर्ड प्रक्रिया है एवं अनुपालन प्रणाली उस सीमा तक स्थापित है जैसा कि निम्नलिखित रिपोर्ट में है :–

मैंने, मुझे उपलब्ध करा दिए गए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाबहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों, फाइल किए गए रिटर्न तथा एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की :

(i) निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमः

क) चूंकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, स्वतंत्र समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों के बिना किया जाता है। अधिनियम की धारा 177 (2) के प्रावधानों (कंपनियों और बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) के नियम, 2014 के नियम 6 का अनुपालन न करने पर, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता होती है।

ख) कम्पनी अधिनियम 2013 के 178 के साथ पठित कम्पनी नियम (बोर्ड की बैठकें व शक्तियां) 2014 के नियम 6 के अनुसार, कम्पनी द्वारा बोर्ड की पारिश्रमिक व नामांकन समिति का गठन नहीं किया गया है।

ग) अधिनियम की धारा 149 के अन्तर्गत कंपनी के पास 1 सितंबर, 2018 तक आवश्यक एक भी महिला निदेशक नहीं है।

(ii) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके तहत बनाए गए नियम।

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत तैयार उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन तैयार नियम व विनियम के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार। (कंपनी के पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार नहीं है प्रबंधन द्वारा इसकी पुष्टि की गई है ¼vr% diuh ij ykx ugh gkr gA);

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 ¼diuh ij ykx ugh gkr g½(

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2011 ¼diuh ij ykx ugh gkr g½(

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम के बारे में और ग्राहक के साथ व्यापार ¼diuh ij ykx ugh gkr g½(

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं संबंधी मदें) विनियम, 2009 ¼diuh ij ykx ugh gkr g½(

ङ.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 ¼diuh ij ykx ugh gkr g½(

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति को जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008 ¼diuh ij ykx ugh gkr g½(

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करना) विनियम, 2009 ¼diuh ij ykx ugh gkr g½(

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 ¼diuh ij ykx ugh gkr g½(

(ii) कंपनी में विशेष रूप से निम्नलिखित अधिनियम/गाइडलाइंस लागू होते हैं :–

- एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934
- कैरिज बाई एयर एक्ट, 1972
- टोकियो कन्वेंशन एक्ट, 1975
- एंटी–हाईजैकिंग एक्ट, 1982
- सुप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टस एगेन्स्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982
- नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा जारी नागर विमानन आवश्यकताएं

प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और प्रतिवेदन के आधार पर, मैं रिपोर्ट करता हूं कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान अधिनियम, 1934 की धारा 4 के साथ पठित विमान नियम, 1937 के नियम 133ए के तहत नागर विमानन आवश्यकताओं को जारी किया है व डीजीसीए चेक सिस्टम के तहत कम्पनी द्वारा ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। कानून के व्यापक सिद्धांत विमान नियम, 1937 में निहित हैं व विस्तृत आवश्यकताओं और अनुपालन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए नागर विमानन आवश्यकताओं को जारी किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और प्रतिवेदन के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नियामक लेखा परीक्षा नीति व कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 21.12.2011 के माध्यम से परिपत्र जारी किया गया है जिसके तहत संगठन की गतिविधियों में आंतरिक नियंत्रण का पता लगाने के उद्देश्य से नियामक लेखा परीक्षा की जाती हैं ताकि विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी की नियामक लेखा परीक्षा नागर विमानन महानिदेशक की लेखा परीक्षा टीम द्वारा डीजीसीए की नियामक लेखा परीक्षा नीति के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा प्रक्रिया व लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। महानिदेशक द्वारा नामित संयुक्त नागर विमानन महानिदेशक सभी नियामक लेखा परीक्षा व जांच के लिए उत्तरदायी होगें और सामान्यतः संयोजक प्राधिकारी होगें।

विमान अधिनियम 1934 के अनुसार आरम्भिक प्रमाणन हेतु नियामक लेखा परीक्षा अनुमोदन प्राप्ति के लिए, अतिरिक्त अनुमोदन, रूटीन कॉनफॉरमेन्स तथा विशेष उद्देश्य लेखा परीक्षा हेतु की जाती है। नागर विमानन महानिदेशक या उनकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी इस अधिनियम या उसके तहत तैयार नियमों में निर्धारित मामलों के संबंध में सुरक्षा ओवरसाइट कार्यों को देखते हैं।

मैं आगे यह रिपोर्ट करता हूं कि प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रतिवेदन के आधार पर, कंपनी आमतौर पर उपरोक्त कानूनों के अनुपालन में नियमित है ऐसे विमानन कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य नामित विशेषज्ञों/प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा का विषय है, मैंने इस लेखा परीक्षा में उसकी समीक्षा नहीं की है।

मैंने निम्नलिखित लागू अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जांच की है:

क) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मण्डल की बैठकें (एसएस –1) और सामान्य बैठकें (एसएस –2) के संबंध में जारी सचिवीय मानक।

ख) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए निगमित प्रशासन पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश।

मैं निगमित प्रशासन पर उपरोक्त दिशानिर्देशों के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियां रिपोर्ट करता हूं:

(ii) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का गठन नहीं किया गया है, अर्थात् क्रियाशील, नामांकित और स्वतंत्र निदेशकों का कोई अनुकूल संयोजन नहीं है और नामित निदेशकों की संख्या 2 की निर्धारित सीमा से अधिक है।

(iii) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1.4 के अनुसार कंपनी में 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

(iv) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के अनुसार, बोर्ड की प्रति तिमाही में कम से कम एक बैठक और वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक है। इसके अलावा, किन्हीं भी दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यह देखा गया है कि कंपनी ने तीन महीनों में बोर्ड की बैठक नहीं की है और

18.05.2018 और 12.09.2018 को आयोजित दो बोर्ड बैठकों के बीच अंतर तीन महीने से अधिक है।

(v) डीपीई दिशानिर्देशों के लिए अनुबंध IV में निर्धारित न्यूनतम जानकारी को दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के तहत अपेक्षानुसार तिमाही वित्तीय परिणामों और विदेशी मुद्रा जोखिम और जोखिम को सीमित करने के लिए उठाए गए कदमों को छोड़कर आम तौर पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

(vi) चूंकि कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, अतः लेखा परीक्षा अवधि के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और 4.1.2 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं हुआ।

(vii) इसके अलावा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के अनुसार, ऑडिट कमेटी को एक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करनी आवश्यक है और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, बैठक के कोरम के लिए न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह देखा गया है कि मार्च, 2018 से अक्टूबर, 2018 महीनों के दौरान लेखा परीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकें स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाती हैं।

(viii) डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार कंपनी ने आवश्यक पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि समीक्षा वर्ष के दौरान, मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार, कंपनी द्वारा आम तौर पर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रावधानों का पालन किया गया जो निम्नांकत टिप्पणियों के अधीन है।

मै आगे रिपोर्ट करता हूं किः

- उपरोक्तानुसार कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में परिवर्तन, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।

- सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें आयोजित करने का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है व कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत प्रस्ताव विधिवत रूप से निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करते हुए अग्रिम रूप से भेजे गए और बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है।

- बैठक के कार्यवृत्त विधिवत रूप से रिकार्ड किए गए व अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और प्रबंधन द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार बोर्ड के निर्णय एकमत थे।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन के अनुसार मेरी राय में कम्पनी के आकार और प्रचालन की प्रकृति के अनुसार कंपनी में लागू सामान्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने व मॉनिटर करने के लिए पर्याप्त प्रणाली व प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण मैकेनिज्म मौजूद हैं तथापि निम्नलिखित कार्रवाई द्वारा अनुपालन प्रबंधन प्रणाली को और सशक्त किए जाने की आवश्यकता हैः

क) एक वरिष्ठ कर्मचारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करना;

ख) अनुपालन अधिकारी के साथ क्रियाशील इकाइयों के प्रभावी समन्वय को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए;

ग) तिमाही अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करना।

घ) अनुपालन चैक सूची बनाए रखना और गैर–अनुपालन का पता लगाने के लिए मैकेनिज्म स्थापित करना।

ड.) विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त कम्पनी के विरूद्ध शिकायतों /कारण बताओ नोटिसों हेतु एक रजिस्टर रखना।

च) बोर्ड के सम्मुख कंपनी द्वारा दायर किए गए कानूनी मामलों और इनकी स्थिति के बारे में पूरा ब्यौरा रखना।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि उसकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा एवं अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा की जाती है।

मैं, आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुपालन में, कंपनी के मामलों पर कोई विशेष प्रभाव डालने वाली घटनाएं/कार्रवाई नहीं हुई।

हस्ता./–
¼;-lh- 'kqDyk½
कम्पनी सचिव
एफसीएसः 2727/सीपीः 1654

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 24.07.2019

ukV% ;g fjiksVZ gekjs lela[;d rkjh[k ds i«k ds lkFk i<h tk, tks ifjf'k"V ^^d** ds :i esa layXu dh xbZ gS rFkk bl fjiksVZ dk vfoHkkT; Hkkx gSA

^ifjf'k"V d*

सेवा में
सभी सदस्य
एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड
एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–1,
आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037

मेरी, समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय रिकार्डों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरी जिम्मेदारी, मेरी लेखापरीक्षा पर आधारित सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. मैंने, सचिवीय रिकॉर्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की उपयुक्त परंपरा और प्रक्रिया का अनुसरण किया है। सत्यापन टेस्ट चेक के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्डों में दर्शाए गए तथ्य सही हैं। मुझे विश्वास है कि जिस परंपरा और प्रक्रिया का मैंने अनुसरण किया है, मेरी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की विशुद्धता और अनुकूलता का सत्यापन नहीं किया है ।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, मैंने कानून, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं की यथार्थता आदि के संबंध में प्रबंधन का रीप्रेजेन्टेशन प्राप्त किया है ।

5. कॉर्पोरेट और लागू अन्य कानून के प्रावधान, नियमों, विनियमों और मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच, टेस्ट चेक के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी ।

6. यह सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो भविष्य में कंपनी की सक्षमता का आश्वासन देती है और न ही प्रबंधन द्वारा किए जा रहे कंपनी के कार्यों की प्रभावोत्पादकता अथवा प्रभावकारिता का ।

हस्ता./–
¼;-lh- 'kDyk½
कम्पनी सचिव
एफसीएस नं.: 2727/सीपी: 1654

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 24.07.2019

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM }kjk fuEufyf[kr dkuuksa dk vuqikyu fd, tkus lca/kh uksVA

कंपनी में विशेष रूप से निम्नलिखित अधिनियम/गाइडलाइंस लागू होते हैं :–

- एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934
- कैरिज बाई एयर एक्ट, 1972
- टोकियो कन्वेंशन एक्ट, 1975
- एंटी–हाईजैकिंग एक्ट, 1982
- सुप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टस एगेन्स्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982
- नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा जारी नागर विमानन आवश्यकताएं।

1) नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने विमान अधिनियम, 1934 की धारा 4 के साथ पठित विमान नियम, 1937 के नियम 133ए के तहत नागर विमानन आवश्यकताओं को जारी किया है व डीजीसीए चेक सिस्टम के तहत कम्पनी द्वारा ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। कानून के व्यापक सिद्धांत विमान नियम, 1937 में निहित हैं व विस्तृत आवश्यकताओं और अनुपालन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए नागर विमानन आवश्यकताओं को जारी किया जाता है।

2) डीजीसीए द्वारा नियामक लेखा परीक्षा नीति व कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 21.12.2011 के माध्यम से परिपत्र जारी किया गया है जिसके तहत संगठन की गतिविधियों में आंतरिक नियंत्रण का पता लगाने के उद्देश्य से नियामक लेखा परीक्षा की जाती हैं ताकि विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी की नियामक लेखा परीक्षा डीजीसीए की लेखा परीक्षा टीम द्वारा डीजीसीए की नियामक लेखा परीक्षा नीति के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा प्रक्रिया व लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है।

3) विमानन विनियमों एवं मानकों के पालन को बढ़ावा देने के लिए विनियामक लेखा परीक्षा कार्यक्रम विकसित किया गया है जो सामूहिक रूप से विमानन सुरक्षा के मान्य स्तर को निर्धारित करता है। इसके माध्यम से नागर विमानन लेखापरीक्षा नीतियां तथा प्रक्रियाएं समान रूप से लागू होना भी सुनिश्चित किया जाता है।

4) विमान अधिनियम 1934 के अनुसार आरम्भिक प्रमाणन हेतु नियामक लेखा परीक्षा अनुमोदन प्राप्ति के लिए, अतिरिक्त अनुमोदन, रूटीन कॉनफॉरमेन्स तथा विशेष उद्देश्य लेखा परीक्षा हेतु की जाती है। डीजीसीए या उनकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी इस अधिनियम या उसके तहत तैयार नियमों में निर्धारित मामलों के संबंध में सुरक्षा ओवरसाइट कार्यों को देखते हैं।

5) डीजीसीए द्वारा नामित संयुक्त नागर विमानन महानिदेशक सभी नियामक लेखा परीक्षा व जांच के लिए उत्तरदायी होगें और सामान्यतः संयोजक प्राधिकारी होगें।

6) लेखा परीक्षा के प्रकार हैं, आरम्भिक प्रमाणन लेखा परीक्षा, अतिरिक्त अनुमोदन लेखा परीक्षा, रूटीन कॉनफॉरमेन्स लेखा परीक्षा व विशेष उद्देश्य लेखा परीक्षा व इसका निर्धारण जिन परिस्थितियों के अधीन की गई, उनके आधार पर किया जाता है।

7) नियामक लेखा परीक्षा में, एयरवर्दीनेस लेखा परीक्षा नीति हेतु जांच सूची व प्रक्रियाएं व प्रचालन लेखा परीक्षा नीति व प्रक्रियाएं शामिल हैं।

वर्ष 2018–19 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक_

QkeZ la[;k ,ethVh 9&okf"kZd fjVuZ ls m)j.k

31-03-2019 dks lekIr foRrh; o"kZ का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. iathdj.k rFkk vU; fooj.k

1	सीआईएन	यू51101डीएल1983जीओआई016518
2	पंजीकरण की तारीख	13/09/1983
3	कंपनी का नाम	एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कम्पनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	'एलाइंस भवन' अन्तर्देशीय टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल–1, नई दिल्ली–110037
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी, नहीं
7	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण	सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई 400083

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

Øa- la-	eq[; mRikn@lsok dk uke rFkk fooj.k	mRikn@lsok dk ,uvkbZlh dksM	dEiuh ds dqy VuZvksoj dk %
1.	यात्री, भोजन तथा माल के वहन एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्व के सभी देशों में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्देशीय हवाई परिवहन सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण एवं प्रचालन करना ।	511	100

III. होल्डिंग, सहायक तथा संबद्ध कंपनी का विवरणः

Ø-la-	dEiuh dk uke ,oa irk	lhvkbZ,u@thvkbZ,u	gksfYMax@ lgk;d@ lac)	'ks;jksa dk %	ykxw /kkjk
1.	एअर इंडिया लिमिटेड 113, एयरलाइन्स हाउस, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110 001.	यू62200डीएल2007जीओआई161431	होल्डिंग	100%	2(46)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा):

श्रेणीवार शेयर धारिता

'ks;j/kkjdksa dh Js.kh	o"kZ ds vkjEHk esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k ¼01-04-2018 dks½				o"kZ ds var esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k ¼31-03-2019 dks½				o"kZ ds nkSjku % ifjorZu
	fMeSV	okLrfod	Ok"kZ ds nkSjku	dqy 'ks;jksa dk %	fMeSV	okLrfod	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	
d- izorZd									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक/एचयूएफ									
(ख) केन्द्र सरकार									
(ग) राज्य सरकार									
(घ) निगमित निकाय	-	40,225,000	-	100	-	40,225,000	40,225,000	100	0.00
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्था									
(च) अन्य कोई									
izorZd¼d½ dh dqy 'ks;j /kkfjrk	-	40,225,000	-	100	-	40,225,000	40,225,000	100	0.00
[k- lkoZtfud 'ks;j/kkfjrk	ykxw ugha								
1- laLFkk,a									
(क) म्युचुअलफंड/यूटीआई									
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था									
(ग) केन्द्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) वित्तीय संस्थान									
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक									
–जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'k;j/kkjdk dh J.kh	o"k dk vkjHk e /kkfjr 'k;jk dh l[;k ¼01-04-2018 dk½				o"k dk vr e /kkfjr 'k;jk dh l[;k ¼31-03-2019 dk½				o"k dk nkjku % ifjorlu
	fMeV	okLrfod	dy	dy 'k;jk dk %	fMeV	okLrfod	dy	dy 'k;jk dk %	
2. गैर–संस्थाएं	ykxw ugh								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) वैयक्तिक									
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
i) अनिवासी भारतीय									
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित									
iii) पदधारक									
iv) निदेशक									
v) हिंदु अविभाजित परिवार									
vi)विदेशी निगमित निकाय									
vi) विदेशी नागरिक									
vii) क्लीयरिंग सदस्य									
viii) न्यास									
ix)विदेशी निकाय – डी आर									
mi&tksM (ख) (2):–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dy lkotfud 'k;j/kkfjrk **([k) =**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dy ;kx (d+[k+x)		**40,225,000**	**40,225,000**	**100**	**-**	**40,225,000**	**40,225,000**	**100**	**0.00**

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता-

Ø- l-	'ks;j/kkjd dk uke	o"kZ dh vkjEHk esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k			o"kZ ds var esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k			o"kZ ds nkSjku 'ks;j /kkfjrk esa % ifjorZu
		'ks;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy 'ks;jksa dk %	fxjoh j[ks x, 'ks;j@ Hkkj xzLr 'ks;jksa dk%	'ks;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy 'ks;jksa dk %	fxjoh j[ks x, 'ks;j@ Hkkj xzLr 'ks;jksa dk%	
1	अपने नामितियों सहित एअर इंडिया लिमिटेड	40,225,000	100	शून्य	40,225,000	100	शून्य	0.00

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें) –कोई परिवर्तन नहीं

Ø- l-	fooj.k	o"kZ ds vkjEHk esa /kkfjr 'ks;j		o"kZ ds var esa lafpr 'ks;j/kkfjrk	
		'ks;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy 'ks;jksa dk %	'ks;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy 'ks;jksa dk %
	o"kZ ds vkjEHk esa				
	एअर इंडिया लिमिटेड	40,225,000	100	40,225,000	100
	o"kZ ds var esa				
	एअर इंडिया लिमिटेड	40,225,000	100	40,225,000	100

घ) पहले दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा):

Ø- l-	igys 10 'ks;j/kkjdksa esa ls izR;sd ds fy,	o"kZ ds vkjEHk esa /kkfjr 'ks;j		o"kZ ds var esa lafpr 'ks;j/kkfjrk	
		'ks;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy 'ks;jksa dk %	'ks;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy 'ks;jksa dk %
1	ykxw ugha				
2					
3					
4					
5					

ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

Ø- l-	iR;d fun'kd rFkk iR;d e[; ic/kdh; dkfeldk dh 'k;j/kkfjrk	o"k dh vkjHk e /kkfjr 'k;j		o"k dh vr e lfpr 'k;j/kkfjrk	
		'k;jk dh l[;k	dqiuh dh dqy 'k;jk dk %	'k;jk dh l[;k	dqiuh dh dqy 'k;jk dk %
1	श्री अश्वनी लोहानी	1	0	1	0
2	श्री विनोद हेजमाड़ी	1	0	1	0
3	श्री पंकज कुमार	1	0	1	0

V. ऋणग्रस्तता – ब्याज बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(djkM #i, e)

	tek dk NkMdj jf{kr _.k	vjf{kr _.k		tek	dqy _.kxLrrk
	jkf'k Hkkjrh; eqnk e	jkf'k Hkkjrh; eqnk e		jkf'k Hkkjrh; eqnk e	jkf'k Hkkjrh; eqnk e
foRrh; o"k dh vkjHk e _.k xLrrk					
i) मूल राशि	-	15,43,29,41,765	*	-	15,43,29,41,765
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	-		-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-		-	-
dqy **(i+ii+iii)**	-	**15,43,29,41,765**		-	**15,43,29,41,765**
foRrh; o"k dh nkSjku _.kxLrrk e ifjorZu					
* जोड़	-	1,24,90,25,296		-	1,24,90,25,296
* कमी	-	-		-	-
fuoy ifjorZu	-	**1,24,90,25,296**		-	**1,24,90,25,296**
foRrh; o"k dh vr e _.kxLrrk	-	-		-	-
i) मूल राशि	-	15,29,93,20,185		-	15,29,93,20,185
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	1,38,26,46,876		-	1,38,26,46,876
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-		-	-
dqy **(i+ii+iii)**	-	**16,68,19,67,061**		-	**16,68,19,67,061**

* iwo vkdMs bM ,,l dh vuqlkj iqu% fn, x, gA iwokof/k enk dk lxr xr o"k e fy;k x;k gA

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक : (vadk e)

Ø- l-	ikfjJfed dk fooj.k	ic/k funs'kd@iw.kZdkfyd funs'kd@ic/kd dk uke					dqy jkf'k
1	सकल वेतन	-	-	-	-	-	-
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन अन्य उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-	-	-
	कुल (क)	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सीमा	-	-	-	-	-	-

*कंपनी में कोई प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं ।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

Ø-l-	ikfjJfed dk fooj.k	funs'kdksa ds uke					dqy jkf'k
1	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-		-	-
	कुल (ख) = (1+2)	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमा	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

¼vkdM #i;k e½

Ø-l-	ikfjJfed dk fooj.k	e[; ic/kdh; dkfed			
		e[; dk;ikyd vf/kdkjh	diuh lfpo	e[; foRrh; vf/kdkjh	dy
1	सकल वेतन	*लागू नहीं	**	2.09 मिलियन	.
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-
	dy	-	-	-	-

*सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं । केवल मुख्य वित्तीय अधिकारी और कम्पनी सचिव प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

**वरि. प्रबंधक–निगमित कार्य, एअर इंडिया लिमिटेड के पद की ज़िम्मेदारियों के अलावा वे कंपनी सचिव का पद भी संभाल रहे हैं।

VII. nM@l tk@vijk/kk dh dikmfMx

i dkj	diuh vf/kfu;e dh /kkjk	lf{kIr fooj.k	nM@l tk@yxk, x, dikmfMx tjekus dk fooj.k	ikf/kdj.k [vkjMh@,ulh,yVh@dkV]	vihy] ;fn dh xbl gk ¼fooj.k nh½
d- diuh& 'kU;					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख. निदेशक– शून्य					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी–शून्य					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

dEiuh vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ ds vUrxZr ,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM ds 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ ds foÙkh; fooj.kksa ij Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;kA

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fy- के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत ,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM की वर्ष 31 मार्च, 2019 की वित्तीय विवरणियों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। संपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार–पत्र के बिना स्वतंत्र रुप से की गई है व प्रमुख रुप से लेखा परीक्षकों व कम्पनी के कर्मचारियों की जांच व कुछ लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर प्रकाश डालना चाहूंगी, जो मेरी दृष्टि में आए हैं और मेरे विचार में संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरणियों की बेहतर समझ उपलब्ध करवाने में आवश्यक है।

मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे ज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिसके कारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या पूरक पर प्रकाश डालने की आवश्यकता होगी।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–
¼iwph ik.Ms;½
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–I, नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 सितम्बर, 2019

Lor= y[kk ijh{kdk dh fjikV

सेवा में,
सदस्य
एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड

LVM vyku foŸkh; fooj.kk ij y[kk ijh{kk fjikV

DokfyQkbM er

हमने, ell ,;jykbu ,ykbM lfoll fyfeVM ¼^dEiuh**½ के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2019 तक की अवधि का तुलन–पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि खाते का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारे मत में और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के क्वालिफाइड मत के लिए आधार अनुच्छेद में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर उपरोक्त वित्तीय विवरणियां 31/3/2019 को कम्पनी की वास्तविक स्थिति तथा समाप्त वर्ष में हानि, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

DokfyQkbM er dk vk/kkj

i. fiNys o"kk l Hkkjrh; foekuiŸku ikf/kdj.k d lkFk [kkr dk lek/kku yfcr g] lkFk gh Hkkjrh; foekuiŸku ikf/kdj.k dk Hkxrku dju@njh l Hkxrku dju ij yxu oky C;kt dh n;rk dk irk o iko/kku ugh fd;k x;k gA blfy, bl LVt e diuh d ifj.kkek ij mijkä d çHkko dk vkdyu ugh fd;k tk ldrkA

ii. yht fdjk;k vkj vkjf{kr j[kj[kko ¼ijd fdjk;½ d foyfcr@Hkxrku ugh dju ij 23-98 fefy;u #- dh C;kt jkf'k dk iko/kku fd;k x;k g vkj bl vkdfLed n;rk d :i e ekuk x;k gA

iii. foeku buoVjh dh [kjhn] [kir o vr'k"k dk y[kkdu e- ,vkbl,y l ikIr MkVk@,Mokbl d vk/kkj ij fd;k tkrk g rFkk gekj }kjk lR;kfir ugh gA tlkfd ukV l[;k 36-2 e dgk x;k g] o"k d nkjku jedk d lkFk bVjQl d dk;kUo;u d dkj.k] bUkoVjh vkj vU; [kkrk e dN vfuf.kr folxfr;k g] bl idkj dh folxfr;k d çHkko dk vkdyu bl Lrj ij ugh fd;k tk ldrk gA blfy, ge diuh d ifj.kkek ij bld çHkko ij fVIi.kh dju e vleFk gA

iv. dEiuh dh lfpr gkfu 24027-71 fefy;u #- g o bldh fuoy oFk dk i.kr% {k; gk x;k gA dEiuh dk o"k d nkjku o xr o"k fuoy gkfu gb pfd xr o"kk e dEiuh dh n;rk, bldh ifjlEifŸk;k l vf/kd gA fyfDoMhVh dh leL;k d dkj.k] le;≤ ij bi/ku yht fdjk;k] lkfof/kd cdk;k] vU; Hkxrku e njh@Hkxrku u djuk vkfn n[ku e vk;kA y[kk ukV e fn, x, vU; ekeyk d lkFk bu fLFkfr;k l egRoi.k vfuf'prrk bfxr gkrh g tk xkbx dlu d #i e dEiuh d tkjh jgu dh leF;

ij l'k; mRiUu dj ldrh gSA rFkkfi dEiuh dh foÙkh; foojf.k;ksa xkbZMsUl dslkFk vk/kkj ij r;kj dh xbZ gSA ukV la- 46 esa mYys[kr gS fd ipkyukRed o foÙkh; fu"iknu esa l/kkj ds fy, ¼ey dEiuh½ ,vj bafM;k fy- }kjk ,vkbZ,y o leg dEifu;ksa gsrq VuZ vjkmaM ;kstuk ¼Hkkjr ljdkj }kjk vuqeksfnr½ r;kj dh xbZ gSA dEiuh izca/ku dk er gS fd ,vj bafM;k fy- dh lgk;rk ls o vU; mik; dj] Hkfo"; gsrq dEiuh dh 0;olk; ;kstuk ds ennus tj Hkfo"; esa dEiuh dh foÙkh; fLFkfr esa l/kkj gksxkA ge VuZ vjkmaM ;kstuk dh lQyrk ds fo"k; esa vHkh dksbZ Hkh fVIi.kh djus esa vleFkZ gSA

v. vU; pky ifjlEifÙk;ksa esa th,lVh buiqV ØsfMV ds dkj.k 323-80 fefy;u #- vçR;{k dj dh olwyh ;ksX; jkf'k 'kkfey gSA tcfd dh th,lVh iksVZy ds vuqlkj 31@03@2019 dks 143-81 fefy;u #- dk buiqV ØsfMV miyCèk FkkA tSlk fd Li"V fd;k x;k gS] dEiuh bl varj dk lek/kku djus dh çfØ;k esa gS vkSj mijksDr dk dEiuh ds ifj.kkeksa ij iHkko dk vkdyu ugha fd;k tk ldrkA

vi. eSllZ ,vkbZ,y ¼ey dEiuh½ ,vkbZbZ,l,y o ,vkbZ,Vh,l,y ¼nksuksa lgk;d dEifu;ka½ ls lacaf/kr 1382-64 fe- #-] 44-578 fe- #- o 26-91 fe- #- dh C;kt dh jkf'k dk ys[kkdu mijksDr dEifu;ksa ls izkIr ,MokbZl ds vk/kkj ij fd;k x;k gS o blds lR;kiu gekjs }kjk ugha fd;k x;k vr% ge bldh iw.kZ.kdrk ij fVIi.kh djus esa vleFkZ gSA lkFk gh ,vkbZbZ,l,y ,oa ,vkbZ,Vh,l,y ds C;kt izko/kku ij VhMh,l dk ys[kkdu o Hkqxrku ugha fd;k x;kA C;kt rFkk VhMh,l ds dkVs ugha tkus@Hkqxrku ds dkj.k iSuYVh dk dEiuh ds urhtksa ij iHkko dks lqfuf'pr o miyC/k ugha djok;k x;kA

vii. vk;dj vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds foijhr vuqfre 0;; ij VhMh,l dk ys[kkdu] izko/kku djus ds le; u djds Hkqxrku ds le; fd;k x;kA C;kt o iSuYVh dk iHkko lqfuf'pr o miyC/k ugha djok;k x;kA

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे क्वालिफाइड मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त है।

LVSaM vyksu foÙkh; fooj.kksa ds fy, izca/k oxZ dh ftEesnkjh

अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमितताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित लेखा रिकार्ड रखना, समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोईंग कसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोईंग कसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोईंग कसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

foŸkh; foojf.k;ks dh y[kk ijh{kk gr Yk[kk ijh{kdk dh ftEenkjh

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणीयां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भीः

- वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभावी है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोईंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोईंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिशिचितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणीयों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं या हमारे मत को संशोधित करें। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष प्राप्त लेखा परीक्षा सबूतों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं।

अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं।

हम गवर्नेंस को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।

vU; o/kkfud vkj fofu;ked vi{kkvksa ij fjiksVZ

1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक ''क'' में दिया गया हैं।

2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और अनुलग्नक 'ख' में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।

(क) हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियां की हमारी जांच से स्पष्ट होता है।

(ख) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा विवरणी के अनुरुप हैं।

(ग) हमारे मतानुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है।

(घ) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. एफएन 1/2/2014–सीएल.वी. के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(ड.) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, अनुलग्नक 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

(च) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।

i) कम्पनी ने लंबित लिटिगेशन के वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को अपनी वित्तीय विवरणी में प्रकट किया है, वित्तीय विवरणी के नोट सं. 49 का संदर्भ लें।

ii) कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो।

iii) कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि अंतरित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

Ñr~ o mudh vksj l~
,e- oekZ ,.M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 501433C

हस्ता./–
(मदन वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या–080939

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.07.2019

y[kk ijh{kdk dh fjikV dk ^^vuyXud d**

,;jykbu ,ykbM lfol l fyfeVM के सदस्यों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के खातों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के संदर्भ में ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट'' भाग के पैरा 1 के अन्तगर्त।

i) स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में:

(क) कंपनी द्वारा अपनी स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में बनाए गए रिकॉर्ड इसलिए समुचित नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि इनमें परिसंपत्ति की मात्रा, मूल्यह्रास की दर, उपयोगी जीवन, परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य और पहचान संख्या से संबंधित पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

(ख) जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी द्विवार्षिक आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करती है। 2017–18 के दौरान दिल्ली, चेन्नई में स्थित स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था और वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रैक्टिस के अनुसार मुंबई और कोलकाता में स्थित परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाना था लेकिन यह वर्ष के दौरान आयोजित नहीं किया गया। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मुंबई और कोलकाता में स्थित स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

(ग) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना, स्पष्टीकरणों और रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है।

ii) इनवेंटरी के संबंध में

(क) विमान इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन के लिए कंपनी द्वारा चार्टरित लेखापाल की एक फर्म को नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई विसंगतियां शून्य हैं, हालांकि जानकारी के अनुसार कंपनी इसके समाधान की प्रक्रिया में है।

(ख) हमें उपलब्ध स्पष्टीकरण के अनुसार, विमान हेतु इनवेंटरी की खरीद एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा (मूल कम्पनी) विश्व स्तर पर अपनी और सहयोगियों की आवश्यकता के लिए की जाती है और संबंधित कंपनियों को आबंटित कोड के आधार पर रैमको प्रणाली के माध्यम से रिकॉर्ड रखा जाता है। प्राप्तियों और अंत शेष से संबंधित रिकॉर्ड उनके द्वारा रखे जाते हैं इसलिए हमारे द्वारा सत्यापित नहीं किए गए हैं। कंपनी द्वारा लेखांकन प्रविष्टियां एअर इंडिया लिमिटेड से प्राप्त एडवाइस के आधार पर की जाती हैं जो वैश्विक समाधान के आधार पर पहचाने जाते हैं। उपरोक्त एडवाइस प्राप्त होने में निरन्तर विलम्ब देखा गया है। यह भी देखा गया है कि जारी/खपत का लेखाकरण केवल वर्ष के अंत में किया जाता है।

iii) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में आने वाली किसी भी कम्पनी, फर्म, लिमिटेड लाइबिल्टी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों को आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है अतः आदेश के कथित खण्ड 3 (ख) व 3 (ग) कम्पनी पर लागू नहीं होते।

iv) हमारे मत में और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण, निवेश, गारंटी और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई प्रतिभूति नहीं दी है।

v) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, अतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देश व धारा 73 से 76 के प्रावधान व कम्पनी अधिनियम 2013 का अन्य कोई संगत प्रावधान व उनके अन्तर्गत बनाए गए नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते।

vi) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 148 के उपखण्ड (1) की धारा (घ) में कंपनी हेतु लागत रिकार्ड का रख–रखाव निर्धारित नहीं है।

vii) सांविधिक देय :

(क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना, स्पष्टीकरणों के अनुसार व प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार कम्पनी उपयुक्त प्राधिकरणों को टीडीएस एवं जीएसटी जमा करवाने में हुए विलम्ब से इतर, अविवादित सांविधिक देय जिसमें भविष्य निधि, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य वस्तुगत सांविधिक देय शामिल हैं सामान्यतः नियमित रुप से जमा करा रही है।

(ख) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के अंत में देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में कोई अविवादित राशि बकाया नहीं है। पिछले वर्ष से देय राशि 31.13 मिलियन रुपये की सेवा कर को छोड़कर (क्योंकि मामला मैसर्स गति लिमिटेड के साथ विवादित है।)

(ग) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, 31.03.2019 को कम्पनी की आयकर/सेवा कर/सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/मूल्य वर्धन कर, सेस से संबंधित विवादित सांविधिक देय निम्नानुसार हैं:

Ø-l-	v/;kn'k dk uke	cdk;k jkf'k ¼fefy;u #- e½	cdk;k dh idfr	0k"k	Qkje tgk fookn yfEcr gA
1	वित्त अधिनियम, 1994	17.43	आयकर	2000–01	आईटीएटी
2	वित्त अधिनियम, 1994	14.04	आयकर	1997–98	आईटीएटी

viii) हमें उपलब्ध रिकार्ड, सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारा मत है कि कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंक, सरकारी या डिवैंचर होल्डर को बकाया देय के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

ix) कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे सार्वजनिक ऑफर (ऋण साधन सहित) या आवधिक ऋण से पैंसा नहीं जुटाया है अतः पैरा 3 के खण्ड (ix) के आदेश की रिपोटिंग लागू नहीं होती है।

x) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी पर हुई या कम्पनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का कोई भी मामला नोटिस या रिपोर्ट नहीं हुआ।

xi) जैसा कि सूचित किया गया है, दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के संबंध में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अनुच्छेद 197 के प्रावधान सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी पर लागू नहीं होते।

xii) कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते। अतः इस पर

कोई टिप्पणी नहीं की गई।

xiii) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन में, जहां भी लागू हो, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 177 और 188 का अनुपालन किया गया और लागू लेखांकन मानकों में अपेक्षित इंड एएस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों इत्यादि में इसका विवरण दिया गया है।

xiv) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों व रिकार्ड के अनुसार कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में शेयरों का निजी तौर पर आबंटन या पूर्णतया या अंशतः परिवर्तनीय डिबैंचर का अभिमान्य आबंटन नहीं किया है। अतः अनुच्छेद 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती।

xv) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में उल्लेखानुसार कम्पनी द्वारा निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेन देन नहीं किया गया।

xvi) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–(IA) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

Ñr o mudh vkj l
,e oek ,M ,lkfl,Vl
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 501433C

हस्ता./–
¼enu oek½
भागीदार
सदस्यता संख्या–080939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.07.2019

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fy- dh foÙkh; foojf.k;ksa ij Lora= ys[kk ijh{kd dh lefrfFk fjiksVZ dk vuqyXud **[k**

eSllZ ,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fy- के सदस्यों को कम्पनी के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के खातों के लिए ''अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

कम्पनी के रिकार्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. पर अपनी निम्न रिपोर्ट दे रहे हैं:

Ø-la-	tkap tkus okys {ks=	fVIi.kh@fu"d"kZ
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। तथापि कंपनी एआईएल के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है क्योंकि एआईएल की प्रणाली का उपयोग बुकिंग आदि के लिए किया गया है, जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है।
2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन / छूट / ब्याज राइट ऑफ करना / ऋण / ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	लागू नहीं मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है।

Ø-l-	tkp tku okyk {k=	fVIi.kh@fu"d"k
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से गणना उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना और वाएबिलिटी गैप फंडिंग के तहत प्राप्त राशि / प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त / प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा किताबों में समुचित रूप से रखा गया है।

Ñrk o mudh vkj lk
एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 501433C

हस्ता./–
¼enu oek½
भागीदार
सदस्यता संख्या–080939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.07.2019

,;jykbu ,ykbM lfolsl fy- dh foŸkh; foojf.k;ksa ij Lora= ys[kk ijh{kd dh lefrfFk fjiksVZ dk vuqyXud **x^^

(''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (ड.) के संदर्भ में)

dEiuh vf/kfu;e 2013 ¼^^vf/kfu;e**½ dh [kaM **(i)** dh vuqPNsn 143 dh mi [kaM 3 dh v/khu vkUrfjd foŸkh; fu;a=.k ij fjiksVZ

हमने 31 मार्च, 2019 के ,;jykbu ,ykbM lfolsl fy- ¼^^dEiuh**½ के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।

vkarfjd foŸkh; fu;a=.k ij izca/ku dh ftEesnkjh

कम्पनी का प्रबंधन, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के स्थापन व रख रखाव के लिए जिम्मेदार है जो भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउटेंटस द्वारा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी गाइडेंस नोट में बताए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इस उत्तरदायित्व में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है जो कम्पनी के व्यवसाय को दक्षतापूर्वक व व्यवस्थित ढंग से चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से लागू थे। जिसमें कम्पनी की नीति का अनुपालन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, फ्राड व त्रुटि की रोकथाम व पता लगाना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता व पूर्णता व कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना को तैयार करना शामिल है।

ys[kk ijh{kdksa dh ftEesnkjh

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आधारित कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू व भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउडेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस नोट) और लेखा परीक्षा के मानकों, दोनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, की लेखा परीक्षा के गाइडेंस नोट के अनुसार की है। इन मानकों व गाइडेंस नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे।

हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग व उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, इंड एएस वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे क्वालिफाइड लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

foŸkh; fjiksfVZax ij vkarfjd foŸkh; fu;a=.k dk vk'k;

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयार इंड एएस वित्तीय विवरणियों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो–ः

1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है।

2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं।

3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।

foŸkh; fjiksfVZax ij vkarfjd foŸkh; fu;a=.k dh fufgr lhek,a

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

DokfyQkbM er dk vk/kkj

gekjs er esa vkSj gesa miyC/k lwpuk vkSj gesa fn, x, Li"Vhdj.kksa o gekjh ys[kk ijh{kk ds vuqlkj 31 ekpZ 2019 rd fuEufyf[kr egRoiw.kZ deh dh igpku dh xbZA

(i) कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियाँ टैग/संख्याबद्ध नहीं हैं।

(ii) एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान नहीं की जाती है, इसलिए एमएसएमई के प्रति बकाया राशि की पहचान नहीं की जाती है।

(iii) कम्पनी में बिक्री/राजस्व व इनवेंटरी प्रबंधन से संबंधित विविध कार्यात्मक सॉफ्टवेयर व लेखांकन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मैनुअल रूप से लेखांकन प्रविष्टियां की जाती हैं। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डेटा के सत्यापन की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर महत्वपूर्ण निर्भरता है।

(iv) मूल और सहायक कंपनियों के साथ खातों के समाधान की आवधिकता में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में यह वार्षिक आधार पर है। एएआई के साथ खाते का समाधान पिछले वर्षों से लंबित है।

(v) कंपनी के पास बिक्री/राजस्व के संबंध में नियंत्रण खातों के समाधान के लिए एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

नहीं है, उपरोक्त मूल कंपनी द्वारा राजस्व क्रेडिट के हस्तांतरण में आवधिक विलम्ब के कारण है।

(vi) कटौती, जमा और सांविधिक के बकाया समाधान हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(vii) आवधिक आधार पर शेष की पुष्टि प्राप्त करने व समाधान नहीं होने पर प्राप्य व देय हेतु समुचित प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(viii) कम्पनी में सामान्य आईटी नियंत्रणों की जांच व मूल्यांकन हेतु सूचना प्रणाली नहीं हैं जिससे आईटी प्रणाली से तैयार रिपोर्टों की पूर्णता, परिशुद्धता व विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

(ix) कंपनी के पास लेखांकन प्रविष्टियों में सुधार हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

(x) कंपनी के पास मेकर चेकर कॉन्सेप्ट नहीं है /एसएपी लेखांकन में मेकर चेकर कॉन्सेप्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, तथापि 'शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार वाउचर्स ऑथेंटिकेशन के जरिए इसका पालन किया जाता है।

(xi) भुगतान किए गए जीएसटी का समाधान, इनपुट दावा और आउटपुट का सांविधिक वापसी के साथ, क्रॉस चार्ज के अन्तर्गत जीएसटी का समाधान लंबित है।

(xii) पिछले वर्षों के अग्रिम कर का समाधान/आयकर प्रतिदेय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में 'मटीरियल वीकनेस' एक कमी या अनेक कमियों का संयोजन है व यथोचित संभावना है कि कम्पनी की वार्षिक इंड एएस वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट समय पर रोकी या पहचानी नहीं जा पाएगी।

Dokfy QkbM er

हमारे मतानुसार उपरोक्त ''क्वालिफाइड मत'' पैरा में उल्लिखित 'मल्टीरियल वीकनेस के प्रभावों के अलावा कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण विषयों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है व वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रुप से कार्य कर रहे थे। जो इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटटेस ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

31 मार्च, 2019 की लेखा परीक्षा में कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों में लागू लेखा परीक्षा जांच की प्रकृति, समय व सीमा के निर्धारण के लिए हमने उपरोक्त रिपोर्ट की गई व पहचानी गई मटीरियल वीकनेस को ध्यान में रखा है व इन महत्वपूर्ण कमियों ने कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारे मत को प्रभावित किया है। हमने इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर क्वालिफाइड मत जारी किया है।

कृते व उनकी ओर से
एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 501433C

हस्ता./–
¼enu oek½
भागीदार
सदस्यता संख्या–080939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.07.2019

,;jykbu ,ykbM lfolsl fyfeVsM ds foŸkh; o"kZ 2018&19 ds fy, lkafof/kd ys[kk ijh{kdksa dh ys[kk ijh{kk fjiksVZ ij izca/ku ds mŸkj

ys[kk ijh{kk voyksdu	izca/k eaMy dh fVIif.k;ka
LVsaM vyksu foŸkh; fooj.kksa ij ys[kk ijh{kk fjiksVZ DokfyQkbM er हमने, eslll ,;jykbu ,ykbM lfolsl fyfeVsM ¼^^dEiuh**½ के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2019 तक की अवधि का तुलन–पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि खाते का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है। हमारे मत में और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के क्वालिफाइड मत के लिए आधार अनुच्छेद में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर उपरोक्त वित्तीय विवरणियां 31 मार्च 2019 को कम्पनी की वास्तविक स्थिति तथा समाप्त वर्ष में हानि, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।	
DokfyQkbM er dk vk/kkj i. पिछले वर्षों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ खाते का समाधान लंबित है, साथ ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान करने/देरी से भुगतान करने पर लगने वाले ब्याज की देयता का पता व प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए इस स्टेज में कंपनी के परिणामों पर उपरोक्त के प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता।	समुचित प्रकटन लेखा नोट सं. 37 (2) एवं (3) में दिए गए हैं। 26.08.2013 को नागर विमानन मंत्रालय के तत्वाधान में मुख्यालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत 31.03.2012 को एएआई के एअर इंडिया पर देयों का मंत्रालय द्वारा अधिनिर्णय किया गया।

y[kk ijh{kk voykdu	ic/k e.My dh fVIif.k;k
	दिनांक 26.08.2013 के उपरोक्त एमओयू के अनुसार एएआई को देरी से भुगतान पर प्रति वर्ष 9% ब्याज देय है, तथापि, विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए इस तरह का कोई प्रावधान लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है क्योंकि ना.वि. मं. से अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।
ii. लीज़ किराया और आरक्षित रखरखाव (पूरक किराये) के विलंबित/भुगतान नहीं करने पर 23.98 मिलियन रु. की ब्याज राशि का प्रावधान किया गया है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।	लीज किराया और मेंटेनेंस रिज़र्व (सप्लीमेंट्री रेंटल) के विलंब/भुगतान न करने पर ब्याज देयता को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है क्योंकि विगत में एएएसएल अपने लेसर को विश्वस्त करने में और अधिकांश मामलों में लेसर द्वारा ब्याज इन्वायस की वापसी करवाने में सफल रहा है।
iii. विमान इनवेंटरी की खरीद, खपत व अंतशेष का लेखांकन मैं. एआईएल से प्राप्त डाटा/एडवाइस के आधार पर किया जाता है तथा हमारे द्वारा सत्यापित नहीं है। जैसाकि नोट संख्या 36 में कहा गया है, वर्ष के दौरान रैमको के साथ इंटरफेस के कार्यान्वयन के कारण, इनवेंटरी और अन्य खातों में कुछ अनिर्णित विसंगतियां हैं, इस प्रकार की विसंगतियों के प्रभाव का आकलन इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कंपनी के परिणामों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	समुचित प्रकटन लेखा नोट सं. 36 में दिए गए हैं।
iv. कम्पनी की संचित हानि 24027.71 मिलियन रु. है व इसकी निवल वर्थ का पूर्णतः क्षय हो गया है। कम्पनी को वर्ष के दौरान व गत वर्ष निवल हानि हुई चूंकि गत वर्षों में कम्पनी की देयताएं इसकी परिसम्पत्तियों से अधिक है। लिक्विडीटी की समस्या के कारण, समय–समय पर ईंधन लीज किराया, सांविधिक बकाया, अन्य भुगतान में देरी/भुगतान न करना आदि देखने में आया। लेखा नोट में दिए गए अन्य मामलों के साथ इन स्थितियों से महत्वपूर्ण अनिश्चितता इंगित होती है जो गोईंग कंसर्न के रुप में कम्पनी के जारी रहने की सामर्थ्य पर संशय उत्पन्न कर सकती है। तथापि कम्पनी की वित्तीय विवरणियॉ गोईंग कंर्सन आधार पर तैयार की गई हैं। नोट सं. 46 में उल्लेखित है कि प्रचालनात्मक व वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए (मूल कम्पनी) एअर इंडिया लि. द्वारा एआईएल व समूह कम्पनियों हेतु टर्न अराउंड योजना (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) तैयार की गई है। कंपनी प्रबंधन का मत है कि एअर इंडिया लि. की सहायता से व अन्य उपाय कर, भविष्य	यह कथन सही है। समुचित प्रकटन लेखा नोट सं. 46 में दिए गए हैं।

y[kk ijh{kk voykdu	ic/k e.My dh fVIif.k;k
हेतु कंपनी की व्यवसाय योजना के मद्देनजर भविष्य में कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। हम टर्न अराउंड योजना की सफलता के विषय में अभी कोई भी टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	
v. अन्य चालू परिसम्पत्तियों में जीएसटी इनपुट क्रेडिट के कारण 323.80 मिलियन रु. अप्रत्यक्ष कर की वसूली योग्य राशि शामिल है। जबकि जीएसटी पोर्टल के अनुसार 31–03–2019 को 143.81 मिलियन रु. का इनपुट क्रेडिट उपलब्ध था। जैसा कि स्पष्ट किया गया है, कंपनी इस अंतर का समाधान करने की प्रक्रिया में है और उपरोक्त का कंपनी के परिणामों पर प्रभाव का अवलोकन नहीं किया जा सकता।	31.03.2019 तक जीएसटीएन पोर्टल पर 'इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर' के अनुसार भारतीय रुपए मुद्रा में 323.80 मिलियन में से भारतीय रुपए मुद्रा में 14.38 करोड़ रु. तक की राशि अप्रयुक्त है। एएएसएल द्वारा दिल्ली से दूसरे राज्यों में क्रेडिट वितरित करने के लिए क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है और एएएसएल ने मासिक आधार पर जीएसटीआर–3बी में भुगतान किया है परन्तु वित्त वर्ष 18–19 से संबंधित ऐसे इनवॉइस पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में जीएसटीआर–1 में विचार नहीं किया गया व मई –19 की अवधि में एएएसएल की जीएसटीआर –1 में इन पर विचार किया गया। चूंकि, वित्त वर्ष 18–19 के जीएसटीआर –1 में वित्त वर्ष 18–19 के क्रॉस चार्ज इनवॉइस की रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी, इसलिए जीएसटी इंटरमीडियरी आउटपुट खाते में उपयुक्त डेबिट नहीं किया गया, इसलिए ट्रायल बैलेंस में असमायोजित राशि हो गई। यदि मई'19 की अवधि के लिए समान रूप में प्रविष्टि बुक की जाएगी, तो, जीएसटी इंटरमीडियरी आउटपुट खाते को उक्त अवधि के लिए जीएसटीआर –1 की राशि के साथ डेबिट किया जाएगा, जिसमें वित्त वर्ष 18–19 का क्रॉस चार्ज इनवायस भी शामिल हो गए (मई 19 जीएसटीआर–1 में रिपोर्ट किया गया) लेकिन चूंकि बैंक से भुगतान में क्रॉस चार्ज इनवॉइस का मूल्य शामिल नहीं होगा (क्योंकि वे जीएसटीआर–3बी के माध्यम से वित्त वर्ष 18–19 के दौरान मासिक आधार पर पहले ही भुगतान किए जा चुके हैं), तो उस सीमा तक असमायोजित शेष को समाप्त किया जाएगा।
vi. मैसर्स एआईएल (मूल कम्पनी) एआईईएसएल व एआईएटीएसएल (दोनों सहायक कम्पनियां) से संबंधित 1382.64 मिलियन रु., 44.578 मिलियन रु. व 26. 91 मिलियन रु. की ब्याज की राशि का लेखांकन उपरोक्त कम्पनियों से प्राप्त एडवाइस के आधार पर किया गया है व इसका सत्यापन हमारे	एआईएल और अन्य संबद्ध कंपनियों द्वारा 9% की दर से प्रभारित ब्याज एआईएल और एएएसएल एवं अन्य सहायक कंपनियों के बीच मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) के आधार पर लिया गया। एआईएल प्रबंधन द्वारा त्वरित और

y[kk ijh{kk voykdu	ic/k e.My dh fVIif.k;k
द्वारा नहीं किया गया अतः हम इसकी प्रमाणिकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, साथ ही एआईईएसएल एवं एआईएटीएसएल के ब्याज प्रावधान पर टीडीएस का लेखांकन व भुगतान नहीं किया गया। ब्याज तथा टीडीएस के काटे नहीं जाने/भुगतान के कारण पैनेल्टी का कम्पनी के नतीजों पर प्रभाव को सुनिश्चित व उपलब्ध नहीं करवाया गया।	अनुमोदित औसत पद्धति के अनुसार ब्याज लागत की गणना एक नीति के तहत की गई और एआईएल समूह की सभी सहायक कंपनियों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, एक दूसरे के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए संबंधित पक्षों के बीच लेखांकन प्रविष्टियां की जा रही हैं, जिसे अन्य पार्टियों द्वारा विधिवत समाधान, हस्ताक्षरित और लेखा परीक्षित किया जाता है। पिछली प्रैक्टिस के अनुसार कंपनी द्वारा टीडीएस की कटौती नहीं की गई है, जिसमें प्रावधान के माध्यम से बुक किए गए खर्च के लिए टीडीएस नहीं काटा जाता है।
vii. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अनंतिम व्यय पर टीडीएस का लेखांकन, प्रावधान करने के समय न करके भुगतान के समय किया गया। ब्याज व पैनल्टी का प्रभाव सुनिश्चित व उपलब्ध नहीं करवाया गया।	एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. (एएएसएल) भारत में प्रचालन करती है व कम्पनी का लेखाकरण दिल्ली में केन्द्रीकृत है। दिल्ली में वास्तविक बिलों की प्राप्ति में समय का अंतराल होता है। लेखों को बंद करते समय विविध व्ययों पर हुए बिल जैसे लैंडिंग, पार्किंग, आरएनएफसी, टीएनएलसी, केटरिंग, होटल में ठहरना व विमान मरम्मत के कुछ बिल प्राप्त नहीं होते। मैंचिंग अवधारणा ''व्ययों को उसी लेखाकन अवधि में मान्य किया जाएगा जिसमें संबंधित राजस्व को मान्य किया गया'' के अनुपालन हेतु इन व्ययों का लेखांकन किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए, इन व्ययों का अनुमानित तदर्थ प्रावधान निम्नलिखित जरनल एंट्री के माध्यम से किए जाते हैं। डेबिट व्यय शीर्ष क्रेडिट प्रावधान लेखा वास्तविक बिलों की अनुपलब्धता व अनुमान आधारित प्रावधान के कारण, पार्टी के नाम व व्यय शीर्ष में कोई सह–संबंध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, अतः इन प्रावधानों पर टीडीएस की कटौती संभव नहीं है, चूंकि इन व्ययों हेतु वैयक्तिक पीएएन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। साथ ही आयकर रिर्टन फाइल करने हेतु आय की गणना के समय, इन प्रावधानों को वापिस जोड़ा जाता है। अर्थात प्रावधानों के माध्यम से बुक किए गए व्यय का आयकर रिर्टन में व्यय के रुप में दावा नहीं किया गया है।
viii. हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा	

y[kk ijh{kk voyksdu	izc/k e.My dh fVIif.k;k
की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे क्वालिफाइड मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त है।	
ix. अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमितताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित लेखा रिकार्ड रखना, समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो।	
x. वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोईंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोईंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।	

<table>
<tr><th>y[kk ijh{kk voyksdu</th><th>izc/k e.My dh fVIif.k;k</th></tr>
<tr><td>

foŸkh; foojf.k;ks dh y[kk ijh{kk grq Ys[kk ijh{kdks dh ftEenkjh

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणियां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भीः

- वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभावी है।

</td><td></td></tr>
</table>

y[kk ijh{kk voyksdu	icU/k e.My dh fVIif.k;k
■ उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।	
■ प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोईंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोईंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणीयों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं या हमारे मत को संशोधित करें। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष प्राप्त लेखा परीक्षा सबूतों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।	
■ प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं।	
■ अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं।	
■ हम गवर्नेंस को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।	

y[kk ijh{kk voykdu	ic/k e.My dh fVIif.k;k
vU; o/kkfud vkj fofu;ked vi{kkvk ij fjikV	
1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक ''क'' में दिया गया हैं।	
2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और अनुलग्नक 'ख' में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।	
3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि : हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों। (क)हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियां की हमारी जांच से स्पष्ट होता है। (ख) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा विवरणी के अनुरुप हैं। (ग) हमारे मतानुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है। (घ) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. एफएन 1/2/2014–सीएल. वी. के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होती। (ड.) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, अनुलग्नक 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।	

y[kk ijh{kk voykdu	ic/k e.My dh fVIif.k;k
(च) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में। i) कम्पनी ने लंबित लिटिगेशन के वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को अपनी वित्तीय विवरणी में प्रकट किया है, वित्तीय विवरणी के नोट सं. 48 का संदर्भ लें। ii) कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो। iii) कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि अंतरित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।	

y[kk ijh{kdk dh fjiksVZ dk ^^vuqyXud d**

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM के सदस्यों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के खातों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के संदर्भ में ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट'' भाग के पैरा 1 के अन्तगर्त

y[kk ijh{kk voyksdu	izca/k e.My dh fVIi.kh;k
i) fLFkj ifjlEifRr;ksa ds laca/k esa	
(क) कंपनी द्वारा अपनी स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में बनाए गए रिकॉर्ड इसलिए समुचित नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि इनमें परिसंपत्ति की मात्रा, मूल्यह्रास की दर, उपयोगी जीवन, परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य और पहचान संख्या से संबंधित पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।	नोट कर लिया गया है। परिसंपत्तियों की अवस्थिति का पूर्ण विवरण व समुचित कोडिंग, एसएपी में स्थिर परिसंपत्तियों मोड्यूल में उपलब्ध है। एसएपी रिपोर्ट के आधार पर सभी आवश्यक विवरणों के साथ मैनुअल स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर को बनाया जाएगा।
(ख) जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी द्विवार्षिक आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करती है। 2017–18 के दौरान दिल्ली, चेन्नई में स्थित स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था और वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रैक्टिस के अनुसार मुंबई और कोलकाता में स्थित परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाना था लेकिन यह वर्ष के दौरान आयोजित नहीं किया गया। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मुंबई और कोलकाता में स्थित स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।	समुचित प्रकटन लेखा नोट सं. 32 (क) में दिए गए हैं। लेखांकन नीति के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों का द्विवार्षिक भौतिक सत्यापन वर्ष 2019–20 में किया जाएगा।
(ग) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना, स्पष्टीकरणों और रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है।	यह कथन सही है।
ii) buosUVjh ds laca/k esa (क) विमान इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन के लिए कंपनी द्वारा चार्टरित लेखापाल की एक फर्म को नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई विसंगतियां शून्य हैं, हालांकि जानकारी के अनुसार कंपनी इसके समाधान की प्रक्रिया में है।	यह कथन सही है।

y[kk ijh{kk voykdu	ic/k e.My dh fVIif.k;k
(ख) हमें उपलब्ध स्पष्टीकरण के अनुसार, विमान हेतु इनवेंटरी की खरीद एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा (मूल कम्पनी) विश्व स्तर पर अपनी और सहयोगियों की आवश्यकता के लिए की जाती है और संबंधित कंपनियों को आबंटित कोड के आधार पर रैमको प्रणाली के माध्यम से रिकॉर्ड रखा जाता है। प्राप्तियों और अंत शेष से संबंधित रिकॉर्ड उनके द्वारा रखे जाते हैं इसलिए हमारे द्वारा सत्यापित नहीं किए गए हैं। कंपनी द्वारा लेखांकन प्रविष्टियां एअर इंडिया लिमिटेड से प्राप्त एडवाइस के आधार पर की जाती हैं जो वैश्विक समाधान के आधार पर पहचाने जाते हैं। उपरोक्त एडवाइस प्राप्त होने में निरन्तर विलम्ब देखा गया है। यह भी देखा गया है कि जारी/खपत का लेखाकरण केवल वर्ष के अंत में किया जाता है।	समुचित प्रकटन लेखा नोट सं. 36 में दिए गए हैं।
iii) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में आने वाली किसी भी कम्पनी, फर्म, लिमिटेड लाइबिल्टी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों को आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है अतः आदेश के कथित खण्ड 3 (ख) व 3 (ग) कम्पनी पर लागू नहीं होते।	यह कथन सही है।
iv) हमारे मत में और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण, निवेश, गारंटी और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई प्रतिभूति नहीं दी है।	यह कथन सही है।
v) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, अतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देश व धारा 73 से 76 के प्रावधान व कम्पनी अधिनियम 2013 का अन्य कोई संगत प्रावधान व उनके अन्तर्गत बनाए गए नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते।	यह कथन सही है।
vi) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 148 के उपखण्ड (1) की धारा (घ) में कंपनी हेतु लागत रिकार्ड का रख–रखाव निर्धारित नहीं है।	यह कथन सही है।

y[kk ijh{kk voyksdu	izcU/k e.My dh fVIif.k;ka
vii) सांविधिक देय : (क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना, स्पष्टीकरणों के अनुसार व प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार कम्पनी उपयुक्त प्राधिकरणों को टीडीएस एवं जीएसटी जमा करवाने में हुए विलम्ब से इतर, अविवादित सांविधिक देय जिसमें भविष्य निधि, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य वस्तुगत सांविधिक देय शामिल हैं सामान्यत: नियमित रुप से जमा करा रही है।	निधि की कमी के कारण टीडीएस राशि जमा कराने में कुछ बार विलम्ब हुआ है।
(ख) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के अंत में देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में कोई अविवादित राशि बकाया नहीं है। पिछले वर्ष से देय राशि 31.13 मिलियन रुपये की सेवा कर को छोड़कर (क्योंकि मामला मैसर्स गति लिमिटेड के साथ विवादित है।)	यह कथन सत्य है। मै. गति लि. के साथ मामला विवादास्पद होने के कारण सेवा कर की राशि जमा नहीं करवाई गई है। अंतिम निर्णय के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
(ग) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, 31.03.2019 को कम्पनी की आयकर/सेवा कर/सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/मूल्य वर्धन कर, सेस से संबंधित विवादित सांविधिक देय निम्नानुसार हैं:	यह कथन सही है।

Ø-l-	v/;kns'k dk uke	cdk;k jkf'k ¼fefy;u #- esa½	cdk;k dh idfr	0k"k	Qkje tgk fookn yfEcr gA
1	वित्त अधिनियम, 1994	17.43	आयकर	2000–01	आईटीएटी
2	वित्त अधिनियम, 1994	14.04	आयकर	1997–98	आईटीएटी

viii) हमें उपलब्ध रिकार्ड, सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारा मत है कि कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंक, सरकारी या डिवेंचर होल्डर को बकाया देय के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।	यह कथन सही है।

y[kk ijh{kk voykdu	ic/k e.My dh fVIif.k;k
ix) कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे सार्वजनिक ऑफर (ऋण साधन सहित) या आवधिक ऋण से पैसा नहीं जुटाया है अतः पैरा 3 के खण्ड (ix) के आदेश की रिपोटिंग लागू नहीं होती है।	यह कथन सही है।
x) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी पर हुई या कम्पनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का कोई भी मामला नोटिस या रिपोर्ट नहीं हुआ।	यह कथन सही है।
xi) जैसा कि सूचित किया गया है, दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के संबंध में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अनुच्छेद 197 के प्रावधान सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी पर लागू नहीं होते।	यह कथन सही है।
xii) कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधाान कम्पनी पर लागू नहीं होते। अतः इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।	यह कथन सही है।
xiii)लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन में, जहां भी लागू हो, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 177 और 188 का अनुपालन किया गया और लागू लेखांकन मानकों में अपेक्षित इंड एएस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों इत्यादि में इसका विवरण दिया गया है।	यह कथन सही है।
xiv)हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों व रिकार्ड के अनुसार कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में शेयरों का निजी तौर पर आबंटन या पूर्णतया या अंशतः परिवर्तनीय डिबैंचर का अभिमान्य आबंटन नहीं किया है। अतः अनुच्छेद 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती।	यह कथन सही है।
xv) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में उल्लेखानुसार कम्पनी द्वारा निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेन देन नहीं किया गया।	यह कथन सही है।
xvi) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।	यह कथन सही है।

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fy- dh foÙkh; foojf.k;ksa ij Lora= ys[kk ijh{kd dh lefrfFk fjiksVZ dk vuqyXud **[k**

eSllZ ,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fy- के सदस्यों को कम्पनी के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के खातों के लिए ''अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

कम्पनी के रिकार्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 143 (5) के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. पर अपनी निम्न रिपोर्ट दे रहे हैं:

Ø- l-	tkap tkus okys {ks=	fVIi.kh@fu"d"k	ica/ku dk mŸkj
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। तथापि कंपनी एआईएल के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है क्योंकि एआईएल की प्रणाली का उपयोग बुकिंग आदि के लिए किया गया है, जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है।	यह कथन सही है। सभी लेखांकन प्रविष्टियां वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल एसएपी के माध्यम से की जाती है। इनवेंटरी और राजस्व लेखांकन में एसएपी वित्तीय मॉड्यूल के साथ इंटरफेस है।
2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन /छूट/ ब्याज राइट ऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	लागू नहीं मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है।	यह कथन सही है।

Ø- l-	tkap tkus okys {ks=	fVIi.kh@fu"d"kZ	izca/ku dk mŸkj
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से गणना उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना और वाएबिलिटी गैप फंडिंग के तहत प्राप्त राशि / प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त / प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा किताबों में समुचित रूप से रखा गया है।	यह कथन सही है।

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fy- dh foÙkh; foojf.k;ksa ij Lora= ys[kk ijh{kd dh lefrfFk fjiksVZ dk vuqyXud **x^^

(''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (ड.) के संदर्भ में)

ys[kk ijh{kk voyksdu	izca/ku dh fVIi.kh
dEiuh vf/kfu;e 2013 ¼^^vf/kfu;e**½ ds [kaM **(i)** ds vuqPNsn 143 ds mi [kaM 3 ds v/khu vkUrfjd foÙkh; fu;a=.k ij fjiksVZ हमने 31 मार्च, 2019 के ,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fy- ¼^^dEiuh**½ के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।	
vkarfjd foÙkh; fu;a=.k ij izca/ku dh ftEesnkjh कम्पनी का प्रबंधन, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक निंयत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के स्थापन व रख रखाव के लिए जिम्मेदार है जो भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउटेंटस द्वारा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी गाइडेंस नोट में बताए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इस उत्तरदायित्व में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है जो कम्पनी के व्यवसाय को दक्षतापूर्वक व व्यवस्थित ढंग से चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से लागू थे। जिसमें कम्पनी की नीति का अनुपालन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, फ्राड व त्रुटि की रोकथाम व पता लगाना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता व पूर्णता व कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना को तैयार करना शामिल है।	यह कथन सही है।

ys[kk ijh{kk voyksdu	izca/ku dh fVIi.kh
ys[kk ijh{kdksa dh ftEesnkjh हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आधारित कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू व भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउडेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस नोट) और लेखा परीक्षा के मानकों, दोनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, की लेखा	
परीक्षा के गाइडेंस नोट के अनुसार की है। इन मानकों व गाइडेंस नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे। हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग व उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, इंड एएस वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे क्वालिफाइड लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।	

y[kk ijh{kk voyksdu	iC/ku dh fVIi.kh
foŸkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foŸkh; fu;=.k dk vk'k; वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयार इंड एएस वित्तीय विवरणियों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो–: 1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है।	यह कथन सही है।
2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं। 3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।	
foŸkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foŸkh; fu;=.k dh fufgr lhek,a वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।	

y[kk ijh{kk voykdu	ic/ku dh fVIi.kh
DokfyQkbM er dk vk/kkj gekj er e vkj ge miyC/k lpuk vkj ge fn, x, Li"Vhdj.kk o gekjh y[kk ijh{kk d vulkj 31 ekp] 2019 rd fuEufyf[kr egRoi.k deh dh igpku dh xbA (i) कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियाँ टैग/संख्याबद्ध नहीं हैं।	यह कथन सही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में सभी विभागों और स्थानों हेतु परिसम्पतियों की टैगिंग की जाएगी।
(ii) एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान नहीं की जाती है, इसलिए एमएसएमई के प्रति बकाया राशि की पहचान नहीं की जाती है।	एसएपी प्रणाली में क्षेत्र होता है वेंडर मास्टर में अल्पसंख्यक संकेतक जिसे विक्रेता को एसएसआई के रूप में पहचानने के लिए अद्यतन किया जाता है।
	एसएसआई विक्रेताओं के अधिक ब्यौरों की जानकारी के लिए जैसे प्रमाण पत्र सं., जारी करने वाली एजेंसी, वैधता इत्यादि हेतु प्रणाली को विकसित किया। हालाँकि, एमएसएमई की पहचान परीक्षण चरण में है और पूरी तरह क्रियाशील नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जिस स्तर तक (पहचान की गई) के तहत शामिल अधिकांश उपक्रम को आपूर्तिकर्ता के साथ सहमत निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर भुगतान किया गया है। लंबित भुगतान हेतु ब्याज देयता बहुत कम है अतः उपलब्ध नहीं। एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान करने के लिए हम एमएमडी के साथ चर्चा कर रहे हैं और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी वर्तमान सक्रिय विक्रेताओं का प्रमाणन किया जाएगा।

y[kk ijh{kk voykdu	i:c/ku dh fVIi.kh
(iii) कम्पनी में बिक्री/राजस्व व इनवेंटरी प्रबंधन से संबंधित विविध कार्यात्मक सॉफ्टवेयर व लेखांकन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मैनुअल रूप से लेखांकन प्रविष्टियां की जाती हैं। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डेटा के सत्यापन की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर महत्वपूर्ण निर्भरता है।	एएएसएल के पास वर्तमान में अपनी कोई विशेष टिकट और आरक्षण प्रणाली नहीं है और कम्पनी वित्तीय वर्ष 2019–20 के मध्य में अपने पोर्टल आधारित टिकट आरक्षण प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में, एअर इंडिया इनवेंटरी के तहत एएएसएल के सेक्टरों के टिकटिंग को मैसर्स एसआईटीए द्वारा प्रदान किए गए गतिशील सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित किया गया है। इसी प्रकार, भंडार संबंधित सभी इनवेंटरी की खरीद, प्रबंधन और गणना इनवेंटरी प्रबंधन मैनेजमेंट सिस्टम (रैमको) के माध्यम से किया जाता है, जो एअर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों को सेवा प्रदान करता है। सभी आरक्षण और टिकट डाटा को एसआईटीए के माध्यम से एआईएल की आउटसोर्स एजेंसी में ऐसेलिया काले के राजस्व लेखांकन सॉफ्टवेयर प्रणाली को एएएसएल हेतु विक्रय व एआई कोड सेपरेटर (91) के माध्यम से लिए गए डाटा को आवश्यक रूप से अलग–अलग करने हेतु भेजा जाता है। न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप सुनिश्चित करने हेतु दोनों सॉफ्टवेयर मेसर्स ऐसेलिया काले और रैमको प्रणाली को लेखांकन हेतु एसएपी वित्त मॉड्यूल के साथ इंटरफेस किया जा रहा है।
(iv) मूल और सहायक कंपनियों के साथ खातों के समाधान की आवधिकता में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में यह वार्षिक आधार पर है। एएआई के साथ खाते का समाधान पिछले वर्षों से लंबित है।	एआईएल व सहायक कम्पनियों के साथ समाधान संबंधी उचित प्रकटन लेखा नोट सं. 39 में किया गया है। एएआई के साथ समाधान के लिए नोट सं. 37 में उचित प्रकटन किया गया है। जैसा कि सुझाव दिया गया है कि एएएसएल, एआईएल और इससे जुड़ी कम्पनियों के साथ–साथ एएआई के साथ छमाही समाधान सुनिश्चित करेगा।
(v) कंपनी के पास बिक्री/राजस्व के संबंध में नियंत्रण खातों के समाधान के लिए एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, उपरोक्त मूल कंपनी द्वारा राजस्व क्रेडिट के हस्तांतरण में आवधिक विलम्ब के कारण है।	चूंकि, राजस्व लेखांकन के लिए इंटरफेस जल्द ही स्थापित होने की संभावना है, बिक्री और राजस्व हेतु नियंत्रण खातों का समाधान मासिक आधार पर किया जाएगा।

y[kk ijh{kk voyksdu	izca/ku dh fVIi.kh
(vi) कटौती, जमा और सांविधिक के बकाया समाधान हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।	एसएपी के मासिक क्लोज़र से सांविधिक बकाया की कटौती, जमा और सामंजस्य सुदृढ़ होगा।
(vii) आवधिक आधार पर शेष की पुष्टि प्राप्त करने व समाधान नहीं होने पर प्राप्य व देय हेतु समुचित प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।	वर्ष 2018–19 के लिए शेष राशि का समाधान सुनिश्चित करने हेतु प्राप्य और देय की पुष्टि को स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को आउटसोर्स कर दिया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान एटीएफ, निजी एयरपोर्ट प्रचालकों इत्यादि विक्रेताओं के साथ अर्द्धवार्षिक समाधान किया गया है।
(viii) कम्पनी में सामान्य आईटी नियंत्रणों की जांच व मूल्यांकन हेतु सूचना प्रणाली नहीं हैं जिससे आईटी प्रणाली से तैयार रिपोर्टों की पूर्णता, परिशुद्धता व विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।	एएएसएल का क्रियाशील आईटी विभाग आईबीएम (एसएपी मॉड्यूल एजेंसी) के साथ समन्वय में नियंत्रण और सटीकता और आईटी प्रणाली से उत्पन्न होने वाली रिपोर्ट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
(ix) कंपनी के पास लेखांकन प्रविष्टियों में सुधार हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है।	एसएपी प्रणाली में एक बार पोस्ट किए गए वाउचर में राशि, प्रविष्टि की तिथि, लेखा वर्ष आदि के संबंध में कोई संशोधन या सुधार नहीं किया जा सकता केवल विवरण व संदर्भ में अतिरिक्त सूचना नहीं दी जा सकती है जिसमें लेखा प्रविष्टियों के आंतरिक नियंत्रण अप्रभावी रहेंगे।
(x) कंपनी के पास मेकर चेकर कॉन्सेप्ट नहीं है/एसएपी लेखांकन में मेकर चेकर कॉन्सेप्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, तथापि शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार वाउचर्स ऑथेंटिकेशन के जरिए इसका पालन किया जाता है।	संगठन में सभी विभागों के लिए पदनामों की संशोधित मैपिंग के आधार पर वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को हाल ही में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी एसएपी में मेकर–चेकर अवधारणा के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। प्रविष्टियों के प्रसंस्करण और लेखांकन में नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पूरक नियंत्रण का प्रयोग किया गया है।
(xi) भुगतान किए गए जीएसटी का समाधान, इनपुट दावा और आउटपुट का सांविधिक वापसी के साथ, क्रॉस चार्ज के अन्तर्गत जीएसटी का समाधान लंबित है।	जीएसटी खाते के समन्वयन को स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म (सलाहकार के रूप में) को आउटसोर्स किया गया है, वे लेखा और रिटर्न के अनुसार शेष राशि के समाधान की प्रक्रिया में हैं।
(xii) पिछले वर्षों के अग्रिम कर का समाधान/आयकर प्रतिदेय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।	कंपनी इन खातों के समाधान की प्रक्रिया में है।

31 ekp] 2019 dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu&i=

¼vkadM+s #i;s eas½

fooj.k	ukV l	31 ekp] 2019 dk		31 ekp] 2018 dk	
ifjlEifRr;k					
1 xSj&pkyw ifjlEifRr;k					
(i) सम्पत्ति, संयत्रं और उपस्कर	2	**974,38,512**		774,35,673	
(II) वित्तीय परिसम्पत्तियां					
क) व्यापार प्राप्य		**-**		-	
ख) ऋण		**-**		-	
ग) अन्य	3	**10937,74,522**		12802,94,155	
(iii) आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	4	**1890,51,455**		1706,92,013	
(vi) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)					
(iv) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां			**13802,64,489**		**15284,21,841**
2 pkyw ifjlEifRr;k					
(i) इनवेटंरी	5	**2151,81,210**		3496,65,367	
(ii) वित्तीय परिसम्पत्तियां					
क) व्यापार प्राप्य	6	**9868,53,534**		9149,92,077	
ख) नकद और नकद समकक्ष	7	**384,84,203**		2697,37,944	
ग) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा	8	**2198,24,920**		126,56,696	
घ) ऋण	9	**1753,79,282**		1036,09,809	
च) अन्य	10	**1382,57,454**		6900,11,180	
(iii) चालू कर परिसम्पत्तियां					
(iv) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	11	**3964,56,414**	**21704,37,017**	213,22,793	23619,95,866
कुल परिसम्पत्तियां			**35507,01,506**		38904,17,707
bfDoVh vkj ns;rk,a					
1 bfDoVh					
क) इक्विटी शेयरपूंजी	12	**40225,00,000**		40225,00,000	
ख) अन्य इक्विटी	13	**(240277,18,189)**	**(200052,18,189)**	(210612,26,878)	**(170387,26,878)**
2 ns;rk,a					
(i) xSj pkyw ns;rk,a					
क) वित्तीय देयताएं					
i) अन्य		**-**		-	
ख) प्रावधान	14	**2280,75,580**		3233,02,659	
ग) अन्य गैर चालू देयताएं		**-**	**2280,75,580**	-	**3233,02,659**
(ii) pkyw ns;rk,a					
क) वित्तीय देयताएं					
i) उधार	15	**163732,61,144**		154329,41,765	
ii) व्यापार देय	16				
क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		**-**		-	
ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय		**57479,13,463**		31991,78,705	
iii) अन्य	17	**8112,53,112**		15934,88,778	
ख) प्रावधान	18	**21,81,115**		1142,86,130	
ग) अन्य चालू देयताएं	19	**3932,35,281**	**233278,44,115**	2659,46,548	206058,41,926
dqy bfDoVh ,oa ns;rk,a			**35507,01,506**		**38904,17,707**

यह हमारी सम तिथि की रिपोर्ट में उल्लेखित तुलन पत्र है।
नोट सं. 1 की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व उपर्युक्त सन्दर्भित नोट इन वित्तीय विवरणियों का अविभाज्य भाग हैं।
हमारी संलग्न सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

drs ,e- oekZ ,.M ,lksfl,V~l
pkVZMZ ,dkmUVsUV~l
फर्म पंजीकरण सं.
एफआरएननं. 501433सी
gLrk-@&
(enu oekZ)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 080939
स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 24 जुलाई, 2019

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM ds
funs'kd e.My ds fy, rFkk mudh vksj ls

gLrk-@&
(v'ouh yksgkuh)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 01023747

gLrk-@&
(foukn gtsekMh)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

gLrk-@&
(lh- ,l- lqczg~e.;k)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एएएसएल

gLrk-@&
(eftjh ,e- o>s)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

gLrk-@&
(dey jkmy)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 ekp] 2019 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk&gkfu fooj.kh ¼vkdM+s #i;s esa½

	fooj.k	uksV la-	2018&19	2017&18
I	jktLo			
1	प्रचालन से	20		
	i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		**69193,41,032**	49477,05,031
	ii) गैर अनुसूचित यातायात सेवाएं		**12460,11,317**	8912,09,223
	iii) अन्य प्रचालन राजस्व		**507,66,565**	2063,75,469
2	अन्य आय	21	**1466,63,927**	862,82,305
II	dqy jktLo ¼1+2½		**83627,82,841**	**61315,72,028**
III	0;;			
	विमान ईंधन एवं तेल		**20651,19,161**	12547,89,490
	अन्य प्रचालन व्यय	22	**56672,40,469**	44178,07,159
	स्टाकइनट्रेड की खरीद		**-**	-
	तैयार माल की इनवेंटरी में कार्य प्रगति पर और स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन			-
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	**14411,18,904**	11614,01,956
	वित्तीय लागत	24	**14872,65,180**	14417,12,713
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		**157,03,845**	107,44,105
	अन्य व्यय	25	**6527,21,308**	5584,61,858
IV	dqy 0;;		**113291,68,867**	**88449,17,281**
V	vlk/kkj.k enksa iwoZ ¼gkfu½ vkj dj (II-IV)		**(29663,86,026)**	(27133,45,253)
VI	असाधारण मदें	26	**-**	-
VII	कर से पूर्व लाभ (VII-VIII)		**(29663,86,026)**	(27133,45,253)
VIII	कर व्यय:			
IX	वर्ष के लिए कर के पश्चात (हानि) (VII-VIII)		**(29663,86,026)**	(27133,45,253)
X	अन्य व्यापक आय सेवा निवृत्ति पश्चात लाभ योजनाओं पर बीमाकिंत लाभ/(हानि)		**7,20,115**	40,91,151
XI	कुल व्यापक आय		**(29656,65,911)**	(27092,54,102)
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय	27		
	(1) मूल		**(73.73)**	(67.35)
	(2) डायल्यूटिड		**(73.73)**	(67.35)

नोट सं. 1 की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व उपर्युक्त सन्दर्भित नोट इन वित्तीय विवरणियों का अविभाज्य भाग हैं।
हमारी संलग्न सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

drs ,e- oekZ ,.M ,lksfl,V~l
pkVZMZ ,dkmUV~sUV~l
फर्म पंजीकरण सं.
एफआरएननं. 501433सी

gLrk-@&
(enu oekZ)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 080939
स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 24 जुलाई, 2019

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM ds
funs'kd e.My ds fy, rFkk mudh vksj ls

gLrk-@&
(v'ouh yksgkuh)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 01023747

gLrk-@&
(foukn gs t ekMs)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

gLrk-@&
(lh- ,l- lqcSa;k)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

gLrk-@&
(efit jh ,e- o>s)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

gLrk-@&
(dey jkmy)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 ekp] 2019 dk lekIr o"kZ d fy, bfDoVh e ifjorZu dh fooj.kh ¼vkdM #- e½

d) bfDoVh 'k;j iwth	31-03-2019 dk		31-03-2018 dk	
	'k;jk dh l-	jkf'k	'k;jk dh l-	jkf'k
क) रिपोटिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	**402,25,000**	**4022500000**	402,25,000	4022500000
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				
जोड़कर:	**0**	**0**	0	0
घटाकर:	**0**	**0**	0	0
रिपोटिंग अवधि के अंत में शेष	**402,25,000**	**4022500000**	402,25,000	4022500000

¼vkdM #- e½

[k½ vU; bfDoVh	vkjf{kr iwth	ifr/kkfjr vk;	vU; 0;kid vk;	dqy
31-03-2018 dk 'k"k	शून्य	(209827,84,501)		(209827,84,501)
पूर्वावधि समायोजन		(784,42,377)		(784,42,377)
31-03-2018 dk iqu% ?kkf"kr 'k"k	शून्य	**(210612,26,878)**	**-**	**(210612,26,878)**
वर्ष के लिए लाभ को/से		(29663,86,026)	7,20,115	(29656,65,911)
आरक्षित से स्थानांतरित			(8,25,400)	
31-03-2019 dk 'k"k	शून्य	**(240276,12,904)**	**(1,05,285)**	**(240277,18,189)**
01-04-2017 dk 'k"k	शून्य	**(183451,44,417)**		**(183451,44,417)**
पूर्वावधि समायोजन		-		-
01-04-2017 dk iqu% ?kkf"kr 'k"k	शून्य	**(183451,44,417)**		**(183451,44,417)**
वर्ष के लिए लाभ को/से		(26376,40,084)	40,91,151	(26335,48,933)
31-03-2018 dk 'k"k	'kU;	**(209827,84,501)**	**40,91,151**	**(209786,93,350)**

हमारी संलग्न सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

d'r , e- oek ,M , lkfl ,V~l
pkVMZ ,dkmUVsV~l
फर्म पंजीकरण सं.
एफआरएननं. 501433सी

gLrk-@&
(enu oek)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 080939
स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 24 जुलाई, 2019

,;j ykbu ,ykbM lfoZl l fyfeVM d
funs'kd e.My d fy, rFkk mudh vkj l

gLrk-@&
(v'ouh yksgkuh)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 01023747

gLrk-@&
(foukn gs t ekMh)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

gLrk-@&
(lh- ,l- lqcc;k)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

gLrk-@&
(efLt jh ,e- o>s)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

gLrk-@&
(dey jkmy)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ ds fy, udnh izokg fooj.kh

	vkdM+s #i;s esa 2018&2019			vkdM+s #i;s esa 2017&2018		
क ipkyu xfrfof/k;ksa ls udnh izokg						
क लाभ–हानि खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ / (हानि)		**(29656,65,911)**			**(27092,54,102)**	
ख जमाः–निम्नलिखित के लिए समायोजन						
1 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**157,03,845**			107,44,105		
2 प्रावधान / गैर दावा देयताएं–रिटन बैक	**(529,63,148)**			(235,10,833)		
3 बट्टे खाते प्रावधान	**803,66,628**					
4 ब्याज भुगतान	**16098,12,519**			14961,38,640		
5 आरक्षित से स्थानांतरण	**(8,25,400)**					
6 अर्जित ब्याज	**(937,00,779)**			(627,71,472)		
7 हिस्से पूर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान	**(199,43,630)**			(1249,89,141)		
8 निपटान हेतु परिसम्पत्तियों पर हानि या लाभ				11,67,619		
		15384,50,036			**12967,78,917**	
ग कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ / (हानि)		**(14272,15,875)**			**(14124,75,185)**	
जमाः प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन						
अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां						
इनवेंटरी	**1544,27,787**			(605,19,164)		
व्यापार प्राप्य	**(1522,28,084)**			1313,21,133		
ऋण	**(717,69,474)**			(572,23,441)		
अन्य	**5517,53,725**			685,58,705		
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	**(3751,33,622)**			331,65,630		
आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	**(183,59,442)**			(378,22,085)		
जमाः प्रचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन						
व्यापार देय	**26016,97,907**			10521,47,747		
अन्य चालू देयताएं	**(7822,35,666)**			10228,58,488		
लघु अवधि ऋण	**9403,19,380**			16096,14,366		
लघु अवधि प्रावधान	**(1121,05,015)**			634,71,152		
अन्य चालू देयताएं	**1272,88,733**			530,72,263		
दीर्घा वधि प्रावधान	**(952,27,079)**			319,50,422		
घ प्रचालन से प्राप्त नकद		**27684,29,150**			**39105,95,215**	
ड. प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद			**13412,13,274**			**24305,26,937**
ख fuos'k xfrfof/k;ksa ls udnh izokg						
क) स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	**(357,06,682)**			(470,53,430)		
ख) एसबीएलसी में वृद्धि	**1865,19,633**			(7428,60,121)		
ग) ब्याज आय	**937,00,779**			627,71,472		
घ) स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री						
			2445,13,730			**(7271,42,079)**
x foÙkh; xfrfof/k;ksa ls udnh izokg						
क चालू देयता का इक्विटी में रुपांतरण						
ख ब्याज भुगतान	**(16098,12,519)**		**(16098,12,519)**	(14353,73,905)		**(14353,73,905)**
?k½ Ukdn vkSj udn led{k esa fuoy of) ¼d$[k$x½			**(240,85,515)**			**2680,10,953**
M-½ o"kZ ds vkjEHk esa udn vkSj udn led{k			**2823,94,640**			**143,83,688**
p½ o"kZ ds vUr esa udn vkSj udn led{k ¼M-$?k½			**2583,09,123**			**2823,94,640**

टिप्पणीः उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी ''नकदी प्रवाह विवरणी'' पर एएस–3 (संशोधित 1997) के अनुरुप 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत तैयार की गई है। जहां कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आकड़े पुनःवर्गीकृत / पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।

हमारी संलग्न सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

d`rs ,e- oekZ ,.M ,lksfl,V~l
pkVMZ ,dkmUVsUV~l
फर्म पंजीकरण सं.
एफआरएननं. 501433सी

gLrk-@&
(enu oekZ)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 080939
स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 24 जुलाई, 2019

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM ds
funs'kd e.My ds fy, rFkk mudh vksj ls

gLrk-@&
(v'ouh yksgkuh)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 01023747

gLrk-@&
(fouksn gst ekMh)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

gLrk-@&
(lh- ,l- lqCc;k)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

gLrk-@&
(eqfT jh ,e- o>s)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

gLrk-@&
(dey jkmy)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ukV& 1

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM ds 31 ekpZ] 2019 dks lekIr o"kZ ds bM ,,l foÙkh; fooj.kksa ds Hkkx ds :Ik esa y{[kkdu uhfr;k

(रुपए मिलियन में दिए गए हैं जब तक अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो)

1- dEiuh lwpuk@vkoj.k;

Ik"BHkwfe%

एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (भारत सरकार की कंपनी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत, भारत में निगमित एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। कंपनी अंतरदेशीय वायु परिवहन सेवाएं प्रदान करती है। कम्पनी वायु परिवहन के व्यवसाय में है जिसमें मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं। कंपनी मुख्य रूप से भारत में टायर–2 और टायर–3 शहरों के बीच प्रचालन करती है। वर्ष के अंत में, कंपनी के विमान बेड़े में, 18 एटीआर 72–600 विमान और 2 एटीआर– 42–320 विमान हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एलाइंस भवन, अंतरदेशीय टर्मिनल–1, आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली–110037 स्थित है।

2- foRrh; fooj.kksa dks rS;kj djus dk vk/kkj

¼i½ vuqikyu lEca/kh dFku

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) व निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2015 को जारी अधिसूचना के पश्चात जारी नियमों के साथ पठित के अनुसार तैयार किए गए हैं। उक्त अधिसूचना में कंपनी (इंड एएस) नियम, 2015 के संगत प्रावधान तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्वांत अधिसूचित किए गए हैं।

यह वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं। पहले वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी द्वारा ली गई छूट एवं अपवादों का विवरण नोट सं. 28 में दिया गया है।

¼ii½ ekiu dk vk/kkj

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं जिन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य अथवा परिशोधित लागत पर आंका जाता है, को छोड़कर, वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर मूल लागत रीतियों के तहत तैयार किए गए हैं।

¼iii½ egÙoiw.kZ y{[kkdu vkdyu@fu.kZ;u

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध वर्ग ने निर्णय, आंकलन तथा पूर्वानुमान का उपयोग किया है जिससे लेखांकन नीतियां तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की रिपोर्ट की गई राशियां प्रभावित हुई हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन आंकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आंकलनों तथा अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। जहां आवश्यक हो लेखांकन आंकलनों में संशोधन को प्रत्याशित रूप से मान्य किया जाता है।

आंकलनों तथा निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (संबंधित लेखांकन नीतियों में उल्लेखानुसार) जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है :

क) परिसंपत्तियों की क्षति

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के उपयोगी जीवन तथा शेष मूल्य का मापन तथा लागत के किन घटकों को पूंजीबद्ध किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन।

ग) निवेश संपत्ति के रूप में संपत्ति के वर्गीकरण का आधार।

घ) विक्रय के लिए रखी गैर चालू परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आधार।

ड.) पुनः डिलीवरी की लागत का आंकलन।

च) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान।

छ) परिभाषित लाभ दायित्वों की पहचान एवं मापन।

ज) लीज़ वर्गीकरण निश्चित करने के लिए अपेक्षित निर्णय।

झ) उचित मूल्यों तथा प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन।

ट) कराधान विवादों तथा कानूनी दावों के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को समाहित करने वाले संसाधनों का आउटफलो अपेक्षित होगा, इसकी संभावना निश्चित करने के लिए निर्णय लेना अपेक्षित होता है।

¼iv½ fØ;k'khy eqnzk

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय रु. मुद्रा (INR) जो कम्पनी की प्रस्तुति व क्रियाशील मुद्रा है, में तैयार किए गए हैं व सभी मूल्यों को, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निकटतम पूर्णांकों, मिलियन (2 डेसीमल तक) में दर्शाया गया है।

¼v½ ipkyu pØ rFkk pkyw o xSj pkyw dk oxhZdj.k

वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं का प्रस्तुतीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उपलब्ध चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। कंपनी का सेवा क्षेत्र से संबंधित होने के कारण, कोई विशेष परिचालन चक्र नहीं है तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के संदर्भ में ''परिचालन चक्र'' के रूप में 12 माह की अवधि को अपनाया गया है। तदनुसार, चालू देयताओं तथा चालू परिसंपत्तियों में गैर चालू वित्तीय देयताओं तथा परिसंपत्तियों का चालू भाग सम्मिलित होता है।

3- egÙoiw.kZ ys[kkadu uhfr;k¡

इंड एएस में अंतरण के उद्देश्य, से नीचे दी गई लेखांकन नीतियां, इन वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई सभी अवधियों तथा 1 अप्रैल, 2018 के अनुसार ओपनिंग इंडएएस तुलन पत्र तैयार करने में समान रूप से लागू की गई है।

I. laifRr] la;a= rFkk midj.k

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों को संक्रमण की तिथि से डीमैट लागत पर लिया जाता है तथा तत्पश्चात अधिग्रहण/निर्माण की सभी लागत में जोड़ा जाता है जिसमें आनुषांगिक लागत भी सम्मिलित की गई है। आनुषांगिक लागत में अर्जन से संबंधित, उपयोग के लिए नियत स्थान पर लाने तथा जहां कहीं लागू हो लिए गए ऋणों पर ब्याज, नियत उपयोग के लिए संबंधित परिसंपत्ति को कार्यशील रखने की तिथि तक उठाई गई लागतें सम्मिलित हैं।

ख) लीज़ पर ली गई परिसंपत्तियां जिनके संबंध में स्वामित्व के सभी जोखिम व लाभ वास्तविक रूप से कंपनी को अंतरित कर दिए गए हैं, उन्हें 'वित्त लीज़' माना गया है और पूंजीबद्ध किया गया है तथापि कम्पनी ड्राईलीज़ व्यवस्था के अधीन प्रचालन लीज़ पर लिए गए विमानों का प्रचालन कर रही है।

ग) परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन% परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है ताकि प्रत्येक दो वर्षों में प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन हो सके तथा सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को, रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तथा अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में समायोजित कर दिया जाता है।

II. eY;gkl@ifj'kk/ku

क) मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II (अन्यथा उल्लेख होने की स्थितियों को छोड़कर) में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि से मूल्यह्रास निर्धारित किया जाता है। प्रबंध वर्ग द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन तथा शेष मूल्य की समीक्षा की जाती है।

ख) किसी संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण के जीवन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में प्रावधान नहीं किया गया है, तो मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए उनका निर्धारण तकनीकी रूप से क्वालीफाइड व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा उसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उनका विवरण निम्नानुसार है:

1- jkVcYl %

विमानों के विमान रोटेबल्स को खरीद के संगत वर्ष से, संबंधित विमान बेड़े के, औसतन शेष उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

2- LFky lgk;rk miLdj ¼th,lb½

लीज़ पर लिए गए सीआरजे एवं एटीआर विमानों के स्थल सहायता उपकरणों (जीएसई) पर मूल्यह्रास, का प्रावधान, प्रयोग की तिथि से, कुल विमान लीज़ माह की तुलना में, विमान द्वारा पूर्ण किए गए लीज़ माह पर आधारित होती है।

ग) विमानों/इंजनों की प्रचालनात्मक लीज़ के संबंध में कंपनी समापन/रीलीज़ राशि का भुगतान कर विमान में अवशिष्ट अधिकार अर्जित कर लेती है, इस राशि को पीपीई माना जाता है तथा उड़ान घंटों के आधार पर विमानों/इंजनों के शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है।

घ) इंजन तथा एयरफ्रेम से संबंधित प्रमुख ओवरहॉल लागतों को खरीदे गए विमानों तथा वित्त लीज़ के तहत लिए गए विमानों के लिए अलग घटक के रूप में दर्शाया जाता है तथा प्रमुख ओवरहॉल के बीच प्रत्याशित जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

ड.) खरीदी गई तथा लीज़ पर ली गई परिसंपत्तियों के प्रमुख संशोधनों/साज–सज्जा, आधुनिकीकरण/परिवर्तन पर लगाई गई लागत को परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन/लीज़ की अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

च) लीज़होल्ड संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण:

लीज़होल्ड संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (अवधि रक्षित लीज़ को छोड़कर भूमि सहित) लीज़ की अवधि के दौरान परिशोधित किए जाते हैं।

III. foØ; d fy, vfHkfu/kkfjr xj&pky ifjlifRr;k

परिसंपत्तियों को विक्रय के लिए अभिनिर्धारित श्रेणी में तब रखा जाता है जब उनके निरंतर उपयोग के बजाय उनकी वर्तमान स्थिति में उनका विक्रय करने से प्रमुख रूप से उनका मूल्य बढ़ने की बहुत अधिक संभावना रहती है। ऐसी परिसंपत्तियों का निवल बही मूल्य, स्थिर परिसंपत्तियों से ''विक्रय के लिए अभिनिर्धारित'' परिसंपत्तियों में अंतरित कर दिया जाता है तथा इनका निवल मूल्य इनके स्वीकृत मूल्य या उचित मूल्य में से विक्रय की लागत घटाकर अंकित किया जाता है। परिसम्पतियों के विक्रय के लिए अभिनिर्धारण श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने पर, मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता।

IV. vewrZ ifjlifRr;k

अमूर्त परिसंपत्तियां अर्जन लागत पर रिकार्ड की जाती हैं जिसमें अर्जन तथा स्थापना से संबंधित आनुषंगिक लागत सम्मिलित होती हैं तथा उन्हें संचित परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई है, को घटाकर अंकित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां जिनका उपयोगी जीवन सीमित होता है उन्हें अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन विधि से परिशोधित किया जाता है तथा प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष इसकी समीक्षा की जाती है यथा :

क) यात्री सेवाएं प्रणाली का साफ्टवेयर 10 वर्ष से अधिक

ख) अन्य साफ्टवेयर / वेबसाइट 5 वर्ष से अधिक

V. yht

i) foÙk yht%

– लीज़ को उसके आरंभ किए जाने की तिथि से वित्त लीज़ या प्रचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी को अंतरित संपत्ति, प्लांट और उपकरण, वस्तुतः स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ को वित्त लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

– वित्त लीज़ के तहत ली गई परिसंपत्तियों को लीज़ के आरंभ पर उचित मूल्य पर या न्यूनतम लीज़ भुगतान के वर्तमान मूल्य पर जो भी कम हो, पंजीकृत किया जाता है।

– वित्त लीज़ के तहत किए गए न्यूनतम लीज़ भुगतान को वित्त लागत तथा ऋण के रूप में बकाया देयता में कमी के बीच विभाजित कर दिया जाता है। वित्त लागत को लीज़ अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि में आबंटित किया जाता है। तथापि, यदि वह निर्धारित परिसंपत्तियों के लिए सीधे निश्चित की जाती है, तो वह ऋण लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुरूप पूंजीकृत की जाएगी।

ii) vkWijfVax yht

– ऐसी लीज जिसमें पट्टादाता लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ प्रभावी रूप से अपने पास सुरक्षित रखता है उसे ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

– ऑपरेटिंग लीज़ पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में लीज़ भुगतान को लाभ–हानि विवरण से स्ट्रेट लाइन के आधार पर लीज़ की अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है जब तक की पट्टादाता की बढ़ी हुई प्रत्याशित मुद्रास्फीति लागत की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप भुगतान को बढ़ाने के लिए निर्धारण नहीं किया जाता। लीज़ शर्तों में कोई भी परिवर्तन संभावित रूप से पट्टे की शेष अवधि के लिए प्रभावी माना जाता है।

– लीज़ अवधि के दौरान प्रत्याशित मेन्टेनैन्स के लिए मेन्टेनैन्स आरक्षिति के कारण पट्टादाता को दिए गए अंशदान को व्यय के रूप में माना जाता है।

– कंपनी के विमान बेड़े में विमान ऑपरेटिंग लीज़ पर है। लीज़ कॉन्ट्रेक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार लीज़ अवधि की समाप्ति पर कान्ट्रेक्ट वापसी की शर्तों के तहत विमान को पट्टादाता को पुनः डिलीवर कर दिया जाएगा। प्रबंधन द्वारा ऐतिहासिक ट्रेंड तथा आंकड़ों के आधार पर पुनः डिलीवरी लागत का आंकलन किया जाता है तथा समाप्त लीज़ अवधि के अनुपात में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। इसे रियायती मूल्य पर रिकार्ड किया जाता है जहां मुद्रा के सामयिक मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण होता है।

VI. buoVjh %

1) इनवेंटरी में मुख्य रूप से भंडार एवं पूर्जे तथा खुले उपकरण (संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के मानदंडों को पूरा करने के अतिरिक्त) व एटीएफ आते हैं। इनवेंटरी की लागत में गैर वापसी रियायत तथा छूट को घटाकर आने वाली लागत तथा इनवेंटरी को वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लगने वाली सभी लागत सम्मिलित है तथा इसका निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है।

2) इनवेंटरी को न्यूनतम लागत तथा नेट रीलाइजेबल वैल्यू (एनआरवी) पर दर्शाया जाता है। सेवाएं प्रदान करने में, उपयोग में लाए गए भंडार एवं पूर्जे, खुले उपकरणों तथा ईंधन के लिए एनआरवी को लागत से नीचे नहीं दिखाया जाता, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां ऐसी मदों की कीमत में कमी आ जाती है तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि सेवा प्रदान करने की लागत उसके विक्रय मूल्य से अधिक होगी।

3) विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपूर्जों को प्रारंभिक जारी करने के समय पर प्रभारित किया जाता है। इसमें वे कलपूर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो मरम्मत योग्य कलपूर्जों की मरम्मत के लिए होते हैं और जिन्हें रिपेयर वर्क के पूरा हो जाने के बाद वर्क आर्डर समाप्त हो जाने पर प्रभारित किया जाता है।

4) विमान भंडार और हिस्से–पूर्जों के लिए अप्रचलन की व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

   i. नीचे दिए गए (ii) एवं (iii) को छोड़कर पांच वर्ष से अधिक समय के लिए (5% की वसूली योग्य की राशि के बराबर) अचल रहने वाली इनवेंटरी हेतु प्रावधान किया जाता है तथा इसको इनवेंटरी के मूल्य से हटा दिया जाता है।

   ii. फेज़ आउट किए गए विमान बेड़े की इनवेंटरी को अनुमानित विक्रय मूल्य पर दर्शाया जाता है जब तक कि उसका उपयोग किसी अन्य विमान में न किया जा सके।

   iii. विशेष रूप से ड्राई/वेट लीज़ पर लिए गए विमानों से संबंधित इनवेंटरीज का प्रावधान, वर्ष के अंत में कुल लीज़ अवधि की तुलना में पूरी की गई लीज़ अवधि के आधार पर किया जाता है।

5) गैर–वैमानिकी भंडार और हिस्से–पूर्जों की पांच वर्षों से अधिक समय तक अचल रहने वाली इनवेंटरी के लिए पूर्ण अप्रचलन प्रावधान किए जाते हैं।

6) स्क्रैप किए गए विमानों के कैनिब्लाइजेशन से प्राप्त पूर्जों को एक रुपए मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

VII. xj foŸkh; ifjlifŸk;k dh {kfr

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी द्वारा गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की क्षति के कोई संकेत होने का निर्धारण किया जाता है। यदि इस प्रकार का कोई संकेत होने की स्थिति में इंड एएस–36 के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

VIII. ljdkjh vuqnku

सरकारी अनुदान को अनुदान प्राप्त होने के तथा सभी संलग्न शर्तों के अनुपालन के युक्तिसंगत आश्वासन के पश्चात मान्य किया जाता है।

सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि के रूप में उस अवधि में जिसमें कंपनी द्वारा संगत लागतों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है व जिसकी क्षतिपूर्ति अनुदान द्वारा की जाती है व व्यवस्थित आधार पर मान्य किया जाना चाहिए।

सरकारी अनुदान, जो व्यय या पिछली अवधि में हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्य होता है उसकी उस अवधि को लाभ व हानि में मान्य किया जाता है जिसमें वह प्राप्य होता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसकी पहचान संबंधित परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगी आयु में व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि में की जाती है।

IX. jktLo fu/kkj.k

01 अप्रैल, 2018 से कंपनी द्वारा संचित प्रभाव विधि से इंड एएस 115, ग्राहकों से कांट्रेक्ट पर राजस्व, स्वीकार किया गया है अतः कम्पैरेटिव्स को पूर्व प्रभाव से समायोजित नहीं किया गया है। 01 अप्रैल, 2018 को लागू, कांट्रैक्ट पर मानक लागू होंगे। मानकों को लागू करने का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव 01 अप्रैल, 2018 को धारित आय या इन वित्तीय विवरणों पर नहीं होगा।

राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब कंपनी द्वारा ग्राहक को उत्पाद या सेवा पर नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है।

राजस्व मापन प्राप्त या प्राप्य कंसीडरेशन के लेन–देन मूल्य पर किया जाता है और व्यापार में सामान्यतः प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं निवल छूट, व्यापार भत्ते, जीएसटी और वैट आदि के लिए प्राप्य राशि का द्योतक है, मूल्य में पूर्व प्रभावी संशोधन की गणना, इस प्रकार के संशोधन के वर्ष में की जाती है।

तुलनात्मक अवधि में, राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होने वाले उचित मूल्य पर मापा गया था।

ipkyu ls jktLo

राजस्व का निर्धारण इस सीमा तक किया जाता है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी रहे तथा राजस्व का विश्वसनीयता से मापन किया जा सके चाहे भुगतान कभी भी किया जा रहा हो। राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य,निवल छूट को ध्यान में रखकर उचित मूल्य पर किया जाता है। राजस्व को रिकार्ड किया जाता है जब वसूली की संभावना हो या निर्धारण किया जाना हो।

क) यात्री, कार्गो तथा मेल राजस्व को आरंभिक चरण में वहन सेवा प्रदान करने पर ही मान्य किया जाता है।

ख) ब्लॉक स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर राजस्व/व्यय को वास्तविक आधार पर कोड शेयर भागीदारों से प्राप्त अपलिफ्ट डेटा के आधार पर मान्य किया जाता है। जहाँ भी कोड शेयर भागीदारों से विवरण उपलब्ध नहीं हैं, राजस्व/व्यय

को दस्तावेजों/प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बुक किया जाता है तथा समायोजनों को, यदि कोई हो, इस प्रकार की सूचना की उपलब्धता के समय किया जाता है।

ग) ब्याज से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज प्रणाली का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है। किराए से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर मान्य किया जाता है।

घ) बीमा कंपनियों से प्राप्य दावों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी स्वीकृति पर ही लेखों में दर्ज किया जाता है।

ड.) वैंडरों से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट के दावों/प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्य किया जाता है।

च) वस्तुएं डिलीवर करने या सेवाएं प्रदान करने पर ही अन्य प्रचालन राजस्व को मान्य किया जाता है।

छ) पीपीई, जिनमें निवल मूल्यह्रासित मूल्य पर विमान शामिल हैं, के विक्रय/स्क्रैप से हुए लाभ अथवा हानि को गैर प्रचालनात्मक राजस्व अथवा व्यय के रूप में लाभ तथा हानि विवरणी में लिया जाता है।

ज) वाइबिलिटी गेप फंडिंग (वीजीएफ) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) की गणना प्रोद्भूत आधार पर राजस्व व प्रचालन लागत के अंतर के आधार पर की जाती है व इसे प्रचालन आय माना जाता है।

झ) अन्य मदें:

i) स्क्रैप विक्रय, चिकित्सा, शैक्षिक तथा अन्य बिना वेतन अवकाश का उपयोग करने हेतु कर्मचारी से प्रतिपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं से ब्याज के दावों, अन्य स्टाफ दावों तथा लॉस्ट बैगेज दावों की गणना नकद आधार पर की जाती है।

ii) आयटा बकायों हेतु देय राशियों की देयताओं, व्ययों हेतु देयताओं को प्राप्त दावों/इनवॉइस के आधार पर मान्य किया जाता है।

X. fuekZrk _.k ¼udn ,oa xSj udn izkfIr½

निर्माता/लैसर ऋण हकदारी देयताओं की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है तथा 'अग्रिम' में कॉन्ट्रा डेबिट कर इसे ''आकस्मिक राजस्व'' में क्रेडिट किया जाता है। जब इस क्रेडिट हकदारी का उपयोग किया जाता है तब ''अग्रिम'' को किसी परिसंपत्ति की खरीद अथवा किसी व्यय के लिए देयता में समायोजित किया जाता है।

XI. _.k ykxr

– परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में चालू पूंजीगत कार्य सहित अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई ऋण लागत को परिसंपत्तियों के व्यावसायिक प्रयोग के आरंभ होने की तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है।

– 10.0 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए उपयोग की गई ऋण की निधियों अथवा दीर्घकालिक ऋणों की प्राप्ति के पूर्वानुमान में अन्य अस्थायी ऋणों पर लगाया गया ब्याज, उस अर्जन के समय के बकाया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर पर पूंजीकृत किया जाता है ।

XII. fon'kh enk yu&nu

प्रबंधन ने प्राथमिक आर्थिक मुद्रा उस देश की मुद्रा निर्धारित की है जिसमें कंपनी प्रचालन करती है अर्थात् कार्यात्मक मुद्रा जो भारतीय रुपए (रुपए) है। वित्तीय विवरणियां, भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई हैं जो कंपनी की कार्यसंबंधी तथा प्रस्तुति मुद्रा है।

d½ fon'kh enk ekfnd en

i) विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व तथा व्यय लेन–देनों को निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आयटा दरों पर आधारित) पर रिकार्ड किया जाता है। परिवहन के लिए एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन समझौता, संबंधित माह के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन–देनों की प्राप्ति/निपटारे के कारण होने वाले लाभ/(हानि) और मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं के परिवर्तन को लाभ–हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।_

iii) 01 अप्रैल, 2016 से पूर्व की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में पिछले वित्तीय विवरणों में दिए गए या अवधि के दौरान प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न दरों पर दीर्घकालिक मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग या समझौते से उत्पन्न विनिमय अंतरों के प्रभाव को परिसंपत्तियों की लागत में कटौती या वृद्धि द्वारा लेखांकित किया जाता है। मूल्यह्रास पूंजी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित होने पर, संबंधित परिसंपत्तियों की शेष उपयोगी आयु तथा लागत में वृद्धि या कटौती द्वारा तथा अन्य मामलों में "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तित अंतर लेखा" में अंतरण द्वारा इनका लेखांकन किया जाता है।

ख) देयता तथा ऋणों व अग्रिमों जिनके लिए संदेहास्पद प्रावधान किए जाते हैं, वर्ष के अंत में उनके संबंध में किसी भी विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि उनके प्राप्त होने की संभावना नहीं होती।

XIII. delpkfj;k dk fn, tku oky ykHk

कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में परिभाषित अंशदान योजनाएं और परिभाषित लाभ योजनाएं शामिल हैं।

क) ifjHkkf"kr v'knku ;ktukvk में कर्मचारियों के भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान शामिल हैं। कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान की व्यवस्था के लिए अलग से एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें नियमित रूप से अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा देय को सरकारी प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया जाता है।

ख) ifjHkkf"kr ykHk ;ktuk,] जिन्हें वित्त पोषित नहीं किया जाता, में उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण सम्मिलित है। इन लाभों की देयता, नीचे दिए गए (ग) को छोड़कर भारतीय विधि के अनुसार वर्ष के अंत में प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत बीमांकिक रूप से निर्धारित की जाती है।

ऑब्लीगेशन (दायित्व) की गणना अनुमानित भविष्य नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर की जाती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत ऑब्लीगेशन (दायित्व) के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें तुलन पत्र की तिथि पर सरकारी संरक्षाओं पर बाजार लब्धी पर आधारित होती है जिसमें संबंधित ऑब्लीगेशन (दायित्वों) की परिपक्वता अवधि होती है। अनुभव द्वारा समायोजनों तथा वास्तविक धारणाओं में परिवर्तनों के कारण

उत्पन्न पुनः मापे गए लाभ तथा हानियों की गणना सीधे अन्य कंपरिहेंसिव आय में उस अवधि में की जाती है जिसमें वे उत्पन्न हुए हों। उन्हें इक्विटी की परिवर्तन विवरणी तथा तुलन पत्र में ''अन्य इक्विटी'' के रूप में शामिल किया जाता है।

निपटान अथवा कटौतियों से उत्पन्न निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तनों को तत्काल पिछली सेवा लागत के रूप में लाभ हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

¼x½ vU; nh?kZdkfyd deZpkjh ykHk

छुट्टी नकदीकरण के रूप में होने वाले लाभ को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में दिखाया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का कुल दायित्व भविष्य में उस लाभ राशि की व्यवस्था करना है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान तथा पूर्व के वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इस लाभ को वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करके एक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुनर्मूल्यांकन को लाभ प्राप्त होने के वर्ष में लाभ–हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

XIV. vk; ij dj

(i½ orZeku dj

वर्तमान आयकर संपत्तियों और देनदारियों को कराधान प्राधिकरण से वसूली या भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। रिपोर्ट की तारीख पर राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर, लाभ या हानि के बाहर मान्य है (अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)। प्रबंधन समय–समय पर टैक्स रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है जिन परिस्थितियों में लागू कर नियमों की विवेचना होती हैं और जहां उचित हो वहां प्रावधान स्थापित करते हैं।

(ii½ vkLFkfxr dj

आस्थगित कर की पहचान वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों से आगे ले जाई जा रही परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशियों तथा उद्देश्यों के लिए दिखाई गई उनकी संबंधित राशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में की जाती है।

सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं की पहचान की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों तथा कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए यह सोचकर रखा जाता है कि संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ अर्जित होगा जिसके लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की आगे ले जाई गई राशि की समीक्षा की जाती है तथा उसे उस सीमा तक घटाया जाता है कि सभी परिसंपत्तियों अथवा उसके भाग को रिकवर करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होना संभव नहीं होगा।

आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है जिनके उस अवधि पर लागू होने की आशा हो, जब परिसंपत्तियों की खरीद अथवा देयताओं का भुगतान, उन कानूनों के आधार पर किया जाए जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि पर लागू अथवा बाद में लागू किया गया।

आस्थगित कर की गणना, उन कर परिणामों को दर्शाती है, जो उस प्रणाली का अनुपालन करेगी, जिस पर रिपोर्टिंग तिथि के समय कंपनी को अपनी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की आगे ले जाई गई राशि को रिकवर अथवा निपटान के लिए सैटल करने की संभावना थी।

यदि वर्तमान कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो तो, आस्थगित कर संपत्तियां तथा देयताएं ऑफसेट होगी तथा यह उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित है परंतु वे मौजूदा कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करना चाहते हैं अन्यथा कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं एक साथ वसूली जाएंगी।

XV. iko/kku] vkdfLed n;rk,@ithxr dfeVeVl rFkk vkdfLed ifjlifÙk;k

क) गणना में बहुत अधिक मात्रा में अनुमान वाले प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है तथा यह संभावना होती है कि संसाधनों का आउटफ्लो होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है तो प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर उत्तरदायित्व के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है तथा उन्हें वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ तथा हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) पूर्व घटनाओं से उद्भूत होने वाली संभावित देयताओं के संबंध में प्रत्येक नोट के माध्यम से प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है किंतु उनकी उपस्थिति की पुष्टि, भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं (जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं होती) के होने या न होने से होती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणियों में पहचाना या प्रकट नहीं किया जाता।

XVI. udn ,o udn led{k

नकद एवं नकद समकक्ष में, बैंक और हाथ में नकद राशि तथा तीन माह या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा सम्मलित हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम़ की शर्त के अधीन हैं।

XVII. ifr 'k;j vk;

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए मूल एवं डायल्यूटेड आय/(हानि) प्रति शेयर (ईपीएस) का डाटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को देय कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित शेयर संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटिड आय की गणना वर्ष के दौरान कर पश्चात् समायोजित निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं डायल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों के कुल योग से भाग देकर की जाती है।

XVIII. mfpr eY; ekiu

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स और विशेष निवेशों (सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स को छोड़कर), को प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को उचित मूल्य पर मापती है।

समस्त परिसम्पत्तियां और देयताएं जिनके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणियों में मापा अथवा प्रकट किया जाता है उन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार न्यूनतम स्तर इनपुट, जोकि समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण है, के आधार पर उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत किया गया है:

स्तर 1: समान परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ार में उद्धृत (असमायोजित) बाज़ार मूल्य।

स्तर 2: मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट, जोकि उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुपालनीय है।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट, जोकि उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं अनुपालनीय नहीं हैं।

वे परिसंपत्तियां और देयताएं जिनकी पहचान तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर की जाती है, उनके लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनः आकलन (न्यूनतम स्तर इनपुट, जोकि समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण होती है, के आधार पर) करके निर्धारित करती है कि उनका स्थानांतरण पदानुक्रम में दिए गए स्तरों के बीच हुआ है अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटनों के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसम्पत्ति और देयता की प्रकृति, विशेषता व जोखिमों तथा उपरोक्त वर्णन के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसम्पत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

XIX. foŸkh; midj.k

कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक एन्टिटी की वित्तीय परिसम्पत्ति तथा दूसरी एन्टिटी की वित्तीय देयता अथवा एक्विटी इन्स्ट्रूमेंट की उत्पत्ति होती है, वित्तीय उपकरण होता है।

d- foÙkh; ifjlEifÙk;k

¼i½ oxhdj.k

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से, लाभ–हानि विवरणी के माध्यम से, उचित मूल्य अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नगदी प्रवाह की विशेषताओं के संचालन हेतु इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।

¼ii½ vkjfEkd igpku ,oa ekiu

समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान आरंभ में उचित मूल्य प्लस, जहां वित्तीय परिसंपत्तियां यदि लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न की गई हो तो, ट्रांज़ैक्शन लागतें जो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन में देय हैं, पर की जाती है।

¼iii½ ijorhZ ekiu

परवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

d- ifj'kkf/kr ykxr ij ogu dh xbZ foÙkh; ifjlaifÙk;k %

डेरिवेटिव और विशेष निवेशों को छोड़कर कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य, किसी परिसंपत्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूल करने के लिए, उस परिसंपत्ति को धारण (होल्ड) करना हो और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एकमात्र रूप से, मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नकदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती है।

[k- vU; 0;kid vk; dh ek/;e ls mfpr eY; ij foÙkh; ifjlaifÙk;k%

विशेष निवेश वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूलने एवं वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने जैसे दोनों कार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एक मात्र रूप से मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के

नगदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती है। कंपनी ने अपने निवेशों के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव किया है जिन्हें इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में परवर्ती बदलाव प्रस्तुत करने के लिए इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

x- ykHk ,o gkfu fooj.kh ds ek/;e ls mfpr ewY; ij foÙkh; ifjlaifÙk;k¡

डेरिवेटिव्स वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति जो उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं की गई है वह बाद में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है।

¼iv½ ekU;rk lekiu

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्यतः तब समाप्त की जाती है जब इस परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों।

¼v½ vU; foÙkh; ifjlaifÙk;ksa dh {kfr

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसमें व्यापार प्राप्य अथवा कॉन्ट्रैक्ट राजस्व और समस्त लीज़ प्राप्य इत्यादि सम्मिलित हैं, पर क्षति हानि के मापन एवं पहचान हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के आधार पर क्षति का निर्धारण करती है।

¼vi½ cVVs [kkrs esa Mkyuk

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि तब बट्टे खाते में (आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः) उस मात्रा में डाल दी जाती है जब उसकी वसूली की वास्तविक संभावना न हो। सामान्यतः यह ऐसा मामला होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास ऐसी परिसंपत्तियां अथवा आय के साधन नहीं हैं जो बट्टे खाते में डाले जाने के अधीन राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित कर सकें। तथापि, जो वित्तीय परिसंपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी गई हैं वे अब भी देय राशि की वसूली के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु बाध्यकरण गतिविधियों के अधीन हैं।

[k- foÙkh; ns;rk,a

¼i½ vkjafHkd ekU;rk ,oa ekiu

समस्त वित्तीय देयताओं की मान्यता आरंभ में, ऋणों, उधारियों और देयों के संबंध में, उचित मूल्य पर और प्रत्यक्ष रूप से देय निवल ट्रांजैक्शन लागतों पर की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड और अन्य देय तथा बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधारियों और डेरिवेटिव वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सम्मिलित हैं।

¼ii½ oxhZdj.k

कंपनी, समस्त वित्तीय देयताओं को, लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत पर किए गए मापन के अनुसार वर्गीकृत करती है। डेरिवेटिव्स सहित ऐसी देयताएं, परवर्ती रूप से उचित मूल्य पर मापी जाएंगी।

¼iii½ ijorhZ ekiu

वित्तीय देयताओं का मापन, नीचे किए गए वर्णन के अनुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

d½ ifj'kkf/kr ykxr ij foÙkh; n;rk,% आरंभिक मान्यता के पश्चात, ब्याज वाले ऋण एवं उधारियां, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधित प्रक्रिया के माध्यम से डि–रिकोनाइज्ड किया जाता है। परिशोधन लागत की गणना, अर्जन पर किसी छूट या प्रीमियम और फीस अथवा लागत जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग होते हैं, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को, लाभ एवं हानि विवरणी में, वित्तीय लागतों के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

[k½ ykHk ,o gkfu fooj.kh d ek/;e l mfpr eY; ij foÙkh; n;rk,% लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से, उचित मूल्य पर, वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग संबंधी व वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य के अनुसार आरंभिक पहचान पर विनिर्दिष्ट वित्तीय देयताएं सम्मिलित हैं। वित्तीय देयताओं को तब ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यदि उनका नजदीकी कालावधि में पुनः क्रय करने के उद्देश्य के लिए वहन किया गया हो। इस श्रेणी में, कंपनी द्वारा अपनाए गए डेरिवेटिव फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट सम्मिलित हैं, जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज़ रिलेशनशिप्स में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं हैं। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स भी तब तक ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं जब तक कि उन्हें प्रभावी हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग संबंधी देयताओं पर लाभ एवं हानियों की पहचान लाभ एवं हानि विवरणी में की जाती है।

¼iv½ ekU;rk lekiu

कोई भी वित्तीय देयताएं तब डी–रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, जब उस देयता के तहत बाध्यता का निर्वहन कर दिया गया हो अथवा उसे रद्द कर दिया गया हो अथवा उसकी अवधि समाप्त हो गई हो।

¼v½ foÙkh; bULVeV l dh vkQlfVx

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट की जाती हैं और यदि पहचान की गई राशि को ऑफसेट करने का कोई चालू प्रवर्तनीय कानून अधिकार है, तो परिसंपत्ति के नकदीकरण और देयताओं को साथ–साथ बेचने की निवल आधार पर की गई मंशा हो तो, निवल राशि का उल्लेख तुलन पत्र में किया जाता है।

XX. eVhfj;fyVh Fk'k gkYM lhek,_

कंपनी ने व्ययों/आयों के वर्गीकरण और प्रकटन में निम्नानुसार मैटीरियलिटी की थ्रेश होल्ड सीमाओं को अपनाया हैः

Fk'k gkYM en	;fuV	Fk'k gkYM eY;
पूर्वावधि व्यय/राजस्व	मिलियन	
पूर्वप्रदत्त व्यय		
विदेशी स्टेशन	मिलियन	00.05
घरेलू स्टेशन	मिलियन	00.01
आकस्मिक देयता एवं पूंजीगत	मिलियन	00.10
वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्यांकन	मिलियन	50.00

31-03-2019 dk lekIr o"k dh foŸkh; foojf.k;k ij ukV

ukV&2] foŸkh; o"k 2018&19 l;=] ifjlEifŸk o miLdj

¼jkf'k #- e½

ifjlEifŸk;k dk fooj.k	vuqlph II d vuqlkj mi;kxh thou	31-3-2018 dk Lkdy Cykd	2018&19 d nkjku tkM+ x,	31-3-2019 dk Lkdy Cykd	1-4-2018 rd lfpr eY;gkl	2018&19 o"k d fy, eY;gkl	31-3-2019 dk lfpr eY;gkl	31-3-2019 dk- fuoy Cykd	31-3-2018 dk fuoy Cykd
		1	2	3	4	5	6	7	8
संयत्र और उपस्कर	15 वर्ष	3844498	5393238	9237737	1582593	888679	2471272	6766464	2261906
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10 वर्ष	6120530	394838	6515368	1752680	446234	2198914	4316454	4367848
वाहन	8 वर्ष	3665252	0	3665252	2110193	214247	2324439	1340813	1555059
डाटा प्रौसेसिंग उपस्कर	3 वर्ष	10569494	4510397	15079891	3260534	3431937	6692471	8387420	7308959
स्थल सहायता उपस्कर (एटीआर)	(पॉलिसी के अनुसार)	8174949	0	8174949	8174949	0	8174949	0	0
चिकित्सा उपस्कर	15 वर्ष	19237	0	19237	0	0	0	19237	19237
एयर फ्रेम रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	132826076	25408209	158234285	72228372	10576356	82804728	75429556	60597704
एयरो इंजन रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	1464133	0	1464133	139173	146392	285565	1178568	1324960
dy		166684169	35706682	202390852	89248494	15703845	104952338	97438512	77435673

ukV l- 03 xj pky foŸkh; ifjlEifŸk;k

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
वेंडर को अग्रिम	306,24,585	-
संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	(306,24,585)	-
जमा (12 महीने से अधिक परिपक्वता)	10937,74,522	12802,94,155
(लीन के तहत एफडीआर सहित)		
dy	**10937,74,522**	**12802,94,155**

ukV l- 04 vk;dj ifjlEifŸk;k

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
आयकर व टीडीएस का अग्रिम भुगतान	1863,06,948	1142,82,528
कराधान हेतु प्रावधान	(164,40,335)	(211,14,935)
सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष		
स्रोत पर काटा गया आयकर	191,84,842	775,24,420
dy	1890,51,455	1706,92,013

ukV l- 05 buoVjh

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
भंडार एवं हिस्से पूर्जे	3220,17,389	5018,05,794
खुले औजार	19,28,528	2,39,564
मार्गस्थ माल	20,66,856	18,47,061
घटाकरः अप्रचलन व कमी के लिए भत्ता	(1108,31,563)	(1542,27,052)
d|y	**2151,81,210**	**3496,65,367**

ukV l- 06 0;kikj ikI;

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
रक्षित, खरे माने गए	-	.
अरक्षित व खरे माने गए	**9868,53,534**	9149,92,077
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	**-**	-
व्यापार प्राप्य–क्रेडिट क्षति	**502,00,151**	27,31,196
घटाकरः संदेहास्पद प्राप्य के लिए क्षतिभत्ता	**(502,00,151)**	(27,31,196)
d|y	**9868,53,534**	**9149,92,077**

ukV% l- 7 udn vkj udn lerY;

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
बैंकों में शेष		
चालू खातों में	**384,84,012**	2668,48,382
हाथ में रोकड़	**191**	28,89,562
d|y	**384,84,203**	**2697,37,944**

ukV l- 08 Ukdn lerY; d vykok cdk e 'k"k

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
बैंकों में शेष		
मार्जिन मनी डिपॉज़िट में (3<मैचयोरिटी<12)	**2198,24,920**	126,56,696
d|y	**2198,24,920**	**126,56,696**

ukV l- 09 pkyw _.k

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekpZ] 2019 dk	31 ekpZ] 2018 dk
अरक्षित व खरे माने गए		
सुरक्षा जमा	**1753,79,282**	1036,09,809
अग्रिम/कर्मचारियों को अग्रदाय	**-**	-
d`y	**1753,79,282**	**1036,09,809**

ukV l- 10 vU; foÙkh; ifjlEifÙk;k

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekpZ] 2019 dk	31 ekpZ] 2018 dk
पार्टियों व स्टॉफ को अग्रिम	**1382,57,454**	6900,11,180
स्टॉफ से वसूली योग्य	**54,52,414**	54,52,414
संदेहास्पद स्टॉफ अग्रिम हेतु भत्ता	**(54,52,414)**	(54,52,414)
d`y	**1382,57,454**	**6900,11,180**

ukV l- 11 vU; pkyw ifjlEifÙk;k

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekpZ] 2019 dk	31 ekpZ] 2018 dk
पूर्व प्रदत व्यय	**103,77,098**	190,49,705
संबंधित पार्टियों से प्राप्य	**622,74,547**	-
वसूली योग्य अप्रत्यक्ष कर	**3238,04,769**	-
सुरक्षा जमा	**-**	22,73,088
d`y	**3964,56,414**	**213,22,793**

ukV l- 12 bfDoVh

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekpZ] 2019 dk	31 ekpZ] 2018 dk
प्राधिकृत शेयरपूंजी		
100 रु. प्रत्येक के 500,00,000 इक्विटी शेयर	**2000,00,00,000**	2000,00,00,000
(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 500,00,000 इक्विटी शेयर)	**2000,00,00,000**	**2000,00,00,000**
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी		
100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**40225,00,000**	40225,00,000
(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 इक्विटी शेयर)	**40225,00,000**	**40225,00,000**

2 क) शेयरों की संख्या का समाधान

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
o"k d ikjHk e bfDoVh 'k;jk dh l[;k	**402,25,000**	402,25,000
जोड़करः जारी इक्विटी शेयर		-
घटा़करः रीडिम किए इक्विटी शेयर		-
o"k d vr e bfDoVh 'k;jk dh l[;k	**402,25,000**	402,25,000

12 [k½ bfDoVh 'k;j%

2,25,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 2,25,000 इक्विटी शेयर) होल्डिंग कम्पनी एअर इंडिया लिमिटेड और इसके नामितों के नियंत्रण में है (होल्डिंग कम्पनी की ओर से)

12 x½ gkfYMx dEiuh d fu;=.k e bfDoVh 'k;j

4,02,25,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 4,02,25,000 इक्विटी शेयर) होल्डिंग कम्पनी एअर इंडिया लिमिटेड और इसके नामितों के नियंत्रण में हैं (होल्डिंग कम्पनी की ओर से)

कम्पनी की शेयर पूंजी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

कम्पनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है।

12 ?k½ 5% l vf/kd bfDoVh 'k;j j[ku oky 'k;j/kkjdk dk C;kjk

'k;j/kkjd dk uke	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
एअर इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कम्पनी और उस के नामिती (होल्डिंग कम्पनी की ओर से)	**402,25,000**	402,25,000
शेयरों की सं.	**402,25,000**	402,25,000
स्वामित्व का प्रतिशत	**100%**	100%

ukV l- 13 vU; bfDoVh

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks	31 ekpZ 2018 dks
1- ykHk&gkfu [kkrs esa vf/k'ks"k@¼?kkVk½		
प्रारंभिक शेष	**(210612,26,878)**	(183451,44,417)
जोड़करः लाभ/(हानि) वर्ष के लिए	**(29663,86,026)**	(26376,40,084)
घटाकरः मूल्य ह्रास समायोजन		
जोड़कर पूर्वावधि समायोजन		(2169,07,070)
घटाकरः पूर्वावधि समायोजन		1384,64,693
आरक्षित से स्थानांतरण	**8,25,400**	
अंतशेष	**(240284,38,304)**	**(210612,26,878)**

2- vU; O;kid vk;

प्रारंभिक शेष		
जोड़करः वर्ष के लिए	**7,20,115**	
अंतशेष	**7,20,115**	-
dqy	**(240277,18,189)**	**(210612,26,878)**

ukV l- 14 xSj pkyw izko/kku

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks	31 ekpZ 2018 dks
उपदान हेतु प्रावधान	**411,88,291**	324,29,798
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**219,68,685**	156,24,250
विमानों की रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान	**1649,18,604**	2752,48,611
dqy	**2280,75,580**	**3233,02,659**

ukV l- 15 pkyw m/kkj

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks	31 ekpZ 2018 dks
एअर इंडिया लि. (होल्डिंग कम्पनी)	**163732,61,144**	154329,41,765
dqy	**163732,61,144**	**154329,41,765**

ukV l- 16 0;kikj n;

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
व्यय हेतु प्रावधान	**12705,68,151**	10897,91,460
वेंडर भारत	**25599,09,958**	12372,13,619
वेंडर–विदेश	**8553,80,085**	4226,44,054
संबंधित पार्टी–देय	**9112,25,576**	4040,32,510
आपूर्तिकर्ता–एमआरओ–रैमको	**1508,29,693**	454,97,061
d;y	**57479,13,463**	**31991,78,705**

ukV l- 17 vU; pkyw foÙkh; n;rk,a

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
अर्नेस्ट धन जमा	**12,00,000**	97,90,001
सुरक्षा जमा	**3101,44,724**	3072,84,723
अन्य	**4999,08,388**	12764,14,054
d;y	**8112,53,112**	**15934,88,778**

ukV l- 18 pkyw iko/kku

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
उपदान देयता हेतु प्रावधान	**13,90,076**	55,60,433
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**7,91,039**	4,88,544
रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान	**-**	1082,37,153
	21,81,115	**1142,86,130**

ukV l- 19 vU; pkyw n;rk,a

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
ग्राहक से अग्रिम	**2644,98,055**	2313,46,985
देय अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य सांविधिक देयताएं	**1287,37,226**	345,99,563
d;y	**3932,35,281**	**2659,46,548**

ukV l- 20 ipkyu ljktLo

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
1. प्रचालन राजस्व		
i) अनुसूचित यात्री सेवाएं		
क) यात्री	**69159,88,203**	49427,93,462
ख) अतिरिक्त सामान	**4,88,432**	15,13,906
ग) डाक	**42,552**	15,238
घ) कार्गो	**28,21,845**	33,82,425
	69193,41,032	49477,05,031
घटाकर–गत वर्षों से संबंधित	**-**	-
	69193,41,032	49477,05,031
ii) गैर अनुसूचित–यात्री सेवाएं		
क) चार्टर	**205,83,626**	25,01,250
ख) सरकार से प्रचालन हेतु सहायता	**12254,27,691**	8887,07,973
	12460,11,317	8912,09,223
iii) अन्य प्रचालनात्मक राजस्व		
हैंडलिंग सर्विसिंग तथा प्रासंगिक राजस्व	**507,66,565**	2063,75,469
	507,66,565	2063,75,469
dy	**82161,18,914**	**60452,89,723**

ukV l- 21 vU; vk;

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
1. ब्याज आय से		
i) बैंक ब्याज		
कॉल व सावधि जमा पर ब्याज–भारत	**937,00,779**	627,71,472
ii) अन्य		
अन्य विविध खातों पर ब्याज	**-**	-
2. स्थिर परिसम्पत्तियों के विक्रय से आय (निवल)		
निपटान हेतु रखी गई परिसम्पत्तियों पर हानि या लाभ	**-**	-
प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं	**529,63,148**	235,10,833
अन्य विविध आय	**0**	0
dy	**1466,63,927**	**862,82,305**

ukV l- 22 vU; ipkyu 0;; ¼jkf'k #- e½

	fooj.k	31 ekpZ] 2019 dk	31 ekpZ] 2018 dk
i)	विमान लीज़, हैंडलिंग एवं अनुरक्षण प्रभार		
	लीज़	**21224,95,103**	18041,54,432
	हैंडलिंग	**3999,07,327**	2288,72,452
	अनुरक्षण	**21084,89,290**	16718,50,379
		46308,91,720	37048,77,262
ii)	मार्ग निर्देशन, अवतरण, हाउसिंग एवं पार्किंग		
	अवतरण शुल्क–अनुसूचित एवं अन्य प्रचालन	**251,36,955**	417,24,182
	हाउसिंग और पार्किंग शुल्क	**103,27,967**	90,90,867
	उड़ान वाणिज्य व मार्ग निर्देशन प्रभार	**2242,84,948**	1790,43,780
		2597,49,871	2298,58,829
iii)	अन्य संचार प्रभार		
	टेलीफोन उपकरण किराया	**68,250**	2,00,113
	आरक्षण प्रणाली पर व्यय	**4001,30,738**	2462,45,293
	पोस्टेज़ टेलीग्राम और कुरियर प्रभार	**1,26,974**	73,753
	टेलीफोन एवं ट्रंक कॉल प्रभार	**14,04,036**	12,65,406
		4017,29,998	2477,84,565
iv)	यात्री सुविधाएं		
	उड़ानगत एवं होटल उपभोज्य सामग्रियों की खपत	**-**	-
	पैक्स सुविधाएं–स्थल पर केटरिंग	**221,47,665**	153,81,915
	पैक्स सुविधाएं–विमान पर केटरिंग	**1092,18,490**	874,91,053
	पैक्स सुविधाएं–होटल व्यय	**17,54,776**	1,460
	पैक्स सुविधाएं–उड़ानगत प्रोग्राम	**-**	-
	पैक्स कॉल सेंटर प्रभार	**250,47,704**	
	पैक्स सुविधाएं–समाचारपत्र और पत्रिकाएं	**10,66,324**	6,24,732
		1592,34,959	1034,99,161
v)	बीमा		
	बीमा–विमान	**380,67,112**	239,72,654
	बीमा सामान्य	**22,384**	23,756
		380,89,496	239,96,410
vi)	इनवेंटरी खपत		
	उपभुक्त सामग्री–विमान	**327,84,952**	1231,07,336
	अप्रचलन हेतु प्रावधान (निवल)	**(199,43,630)**	(1249,89,141)
		128,41,322	(18,81,805)
vii)	बुकिंग एजेंसी का कमीशन (निवल)		
	टिकट विक्रय पर कमीशन	**1647,03,103**	1096,72,738
		1647,03,103	1096,72,738
	dqy	**56672,40,469**	**44178,07,159**

ukV l- 23 de|pkjh ykHk 0;;

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
1.वेतन–मजदूरी और बोनस		
वेतन–भारत में कर्मचारी	**7247,35,144**	6986,00,025
बोनस व्यय	**48,84,725**	46,17,884
	7296,19,869	7032,17,909
2. क्रू भत्ते		
प्रति घंटा भुगतान	**-**	-
विदेशी करार पायलट शुल्क एवं दावे	**6526,91,026**	4127,67,301
	6526,91,026	4127,67,301
3. भविष्य निधि व अन्य निधि में अंशदान		
सीसी भविष्य निधि–भारत में कर्मचारी	**104,05,656**	85,33,007
	104,05,656	85,33,007
4. स्टॉफ कल्याण व्यय (निवल)		
अन्य स्टॉफ कल्याण व्यय	**310,60,373**	90,29,268
स्टॉफ प्रशिक्षण व्यय	**38,60,304**	155,15,404
	349,20,677	245,44,672
5. उपदान	**79,81,063**	119,31,392
6. छुट्टी नकदीकरण	**55,00,613**	4,07,675
d|y	**14411,18,904**	11614,01,956

ukV l- 24 foÙkh; ykxr

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
(i) ऋण पर ब्याज		
एअर इंडिया (होल्डिंग कम्पनी) ऋण पर ब्याज	**13826,46,876**	13407,06,606
बैंक प्रभार	**258,10,681**	176,53,036
ब्याज–अन्य	**788,07,623**	833,53,071
d|y	**14872,65,180**	**14417,12,713**

ukV l- 25 vU; 0;;

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
यात्रा व्यय	**881,92,564**	1529,66,864
किराया	**725,68,272**	264,77,110
मरम्मत प्रभार	**20,69,502**	210,62,736
परिवहन का किराया	**424,89,107**	270,77,224
विद्युत/तापन एवं ईंधन प्रभार	**62,25,427**	34,86,367
जल प्रभार	**5,460**	10,100
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**28,75,328**	38,13,401
प्रचार और विक्रय संवर्धन	**8,05,452**	22,34,794
विधिक प्रभार	**10,58,359**	23,85,360
लेखा परीक्षा एवं अन्य शुल्क		
–लेखा परीक्षा शुल्क	**6,50,000**	6,46,000
– खर्चों की प्रति पूर्ति हेतु	**-**	-
रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान एवं अन्य प्रभार	**1566,17,420**	2199,09,016
अनुपयुक्त व संदेहास्पद अग्रिम हेतु समाधान	**803,66,628**	
मुद्राविनिमय अंतर (निवल)	**324,21,724**	79,52,068
व्यावसायिक/परामर्श शुल्क व व्यय	**195,96,958**	59,73,619
डीजीसीए को शुल्क	**36,02,890**	39,70,795
कार्यालय सफाई हेतु व्यय	**59,939**	57,71,597
मनोरंजन व्यय–सामान्य	**4,49,606**	2,49,296
पुस्तकें व पत्रिकाएं–जेपसन/तकनीकी	**137,31,536**	129,04,171
बेचे गए/स्क्रेप की गई परिसम्पत्तियों पर अधिशेष/हानि	**-**	11,67,619
अन्य विविध खर्चे	**63,87,795**	59,77,794
ईंधन कम्पनियों को देरी से भुगतान करने पर प्रभार और अन्य ब्याज	**1091,74,235**	515,74,983
टीडीएस का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	**104,41,134**	26,47,625
सेवा कर जीएसटी का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	**29,31,972**	2,03,319
dy	**6527,21,308**	5584,61,858

ukV l- 26 vlk/kkj.k en

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
इनवेंटरी समाधान हेतु प्रावधान (व्यय)	&	–
d|y	&	–

ukV l- 27 ifr 'k;j vk; dk i|dVhdj.k

¼jkf'k #- e½

fooj.k	31 ekp] 2019 dk	31 ekp] 2018 dk
क) वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या	**402,25,000**	402,25,000
ख) वर्ष के अंत में भारित औसत शेयरों की संख्या	**402,25,000**	402,25,000
ग) इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर पश्चात निवल लाभ (रुपए)	**(29656,65,911)**	(27092,54,102)
घ) प्रति शेयर–बेसिक व डायल्यूटिड आय (रुपए)	**(73.73)**	(67.35)
ड़) शेयर का अंकित मूल्य (रुपए)	**100**	100
	(73.73)	**(67.35)**

,;jykbu ,ykbM lfoll fyfeVM d 31 ekp 2019 dk lekIr o"k d fy, foRrh; foojf.k;k d ukV

28- vkdfLed n;rk,

d- "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति" पर इंड एएस 37 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:

एएएसएल के विरूद्ध दावों को, ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है (ब्याज और दंड को छोड़कर जहां लागू हो) और सुनिश्चियन व परिणाम निर्धारित किए जाने तक प्रतिवादित किए जा रहे हैं।

(#- fefy;u e½

l-	fooj.k	01-04-2018 dk vkjfHkd 'k"k	0k"k d nkjku tkM x,	0k"k d nkjku mi;kx fd, x,	0k"k d nkjku gVk, x,	31 ekp 2019 dk 'k"k
(i)	कंपनी को प्राप्त आय कर मांग नोटिस जो अपील के अधीन है	41.97	0.51		3.20	39-28
(ii)	''अन्य आकस्मिक देयताओं पर अन्य दावे	1352.77	79.68	4.11	1212.56	215-78
	ldy ;kx	1394-74	80-19	4-11	1215-76	255-06

[k- **vU; vkdfLed n;rkvk d lc/k e Li"Vhdj.k fooj.k

एटीआर प्रचालनों हेतु 110-43 fefy;u #- विमान लीज़ और अनुरक्षण सहायता करार के तहत स्टैंडबाई साख पत्र (एअर इंडिया लि., मूल कम्पनी, की गारंटी पर आधारित)

विदेशी प्रेषण में देरी के कारण सहमत ब्याज दर पर गणना की गई ब्याज देयता की राशि 23-98 fefy;u #- (10.68 मिलियन रु.) है।

81-37 fefy;u #- (163.91 मिलियन रु.) विविध दावों में 3-55 fefy;u #- के पीबीएच आर्डर एवं एटीआर द्वारा मरम्मत किए गए इनवाइस, जो एएएसएल द्वारा स्वीकार नहीं किए गए, 25-50 fefy;u #- एआईसैटस द्वारा सीडी कार्गो के हैं, स्वीकार नहीं किए गए, इस प्रकार एएएसएल द्वारा लेखांकित नहीं किए गए, 14.99 मिलियन रु. (19.10 मिलियन रु.) अनिश्चित कानूनी दावों और 37-33 fefy;u #- एएआई को आरसीएस सैक्टर के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी की राशि शामिल है।

आयकर की 39-28 fefy;u #- (41.97 मिलियन रु.) की विवादित मांग के संदर्भ में कम्पनी की अपील, अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित होने के कारण, कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है। तथापि इसे उपरोक्तानुसार फुटकर देयताओं में दर्शाया गया है। (उपरोक्त दर्शायी गई विवादित मांग में ब्याज शामिल नहीं है)

29- iokofèk

इंड एएस – 8 के तहत, लेखांकन नीति, लेखांकन आंकलनों व त्रुटी में परिवर्तन में पूर्वव्यापी पुनर्कथन द्वारा सुधार किया गया है। 78-44 fefy;u #i; (निवल) की पूर्वावधि मदों को वित्तीय वर्ष 2018–19 में मान्य किया गया था उन्हें, 1 अप्रैल, 2018 को पुनःनियत कर दिया गया है, इस पुनः नियत किए जाने के परिणामस्वरूप परिसंपत्ति/देयता में वृद्धि/कमी के साथ आय में 78.44 मिलियन रु. की कमी आयी है।

30- çfrc)rk,¡%

d- iwath çfrc)rk,¡

पूंजीगत लेखों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः

¼#- fefy;u eas½

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks	31 ekpZ 2018 dks
अन्य	'kwU;	शून्य

[k- vU; nh?kZdkfyd çfrc)rk,¡

कम्पनी द्वारा वर्ष 2018–19 (वर्ष 2017–18– 6 एटीआर 72–600 विमान) के दौरान 4 एटीआर 72–600 विमान गैर रद्दकरण प्रचालन लीज़ पर लिए गए। लीज़ के संबंध में भविष्य में न्यूनतम लीज़ किराए के लिए देयताएं इस प्रकार हैं :–

¼#- fefy;u eas½

Ø-la-	fooj.k	31-3-2019 rd	31.3.2018 तक
i)	एक वर्ष से अधिक नहीं	3132-46	3196.72
ii)	एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम	11227-49	12050.51
iii)	पांच वर्ष से अधिक	13261-31	14498.31
	ldy ;ksx	27621-26	29745.54

*विमान लीज़, अनुरक्षण/अन्य, जीएमएसए सहित।

तथापि, समयपूर्व समाप्ति के मामले में विमान पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को समझौते की शर्तों के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न पट्टाकर्ताओं के मामले में भिन्न हो सकता है इस स्तर पर इसकी मात्रा का सुनिश्चियन नहीं किया जा सकता।

प्रचालन लीज़ पर लिए गए विमान के संबंध में लीज़ किराया व्यय 2122-49 fefy;u #- (पिछले वर्ष 1804.15 मिलियन रु.) को लाभ व हानि विवरणी में ''हायर ऑफ एयरक्राफ्ट'' शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।

31. ifrifr@ØfMV

,,,l,y }kjk çkIr vuqnku

i) एएएसएल संबंधित सरकारी प्राधिकरणों के साथ वीजीएफ व्यवस्था के तहत निम्नलिखित सेक्टरों पर प्रचालन कर रही है :

l[;k	dk lkFk ohth,Q gLrk-	lDVj
I	उत्तर–पूर्वी परिषद	उत्तर–पूर्व
II	संघशासित –लक्षद्वीप	अगाती
III	संघशासित –दमन एवं दीव	दीव

ii वीजीएफ मॉडल के आधार पर वायु प्रचालन सेवाएं करने हेतु कम्पनी व संघशासित प्रदेश दमन व दीव के बीच किया गया एमओयू 25.10.2017 तक वैध था। एएएसएल द्वारा अभी भी वायु प्रचालन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं व 25.10.2017 तक वैध एमओयू की शर्तों के अनुसार वीजीएफ राशि का दावा किया जा रहा है तथा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं हेतु भुगतान प्राप्त हो रहा है। एमओयू की वैधता 2017–18 व 2018–19 तक बढ़ाने हेतु एएएसएल द्वारा दिनांक 16/1/2019 का संघशासित प्रदेश दमन व दीव व दादर नगर हवेली को किया गया अनुरोध क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

32- iR;{k lR;kiu o lek/kku

d½ l;=] lifÙk vkj midj.k

पीपीई का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2017–18 में दिल्ली और चेन्नई स्टेशनों हेतु द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। इसे पूरा कर लिया गया है। अगला द्विवार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2019–20 में किया जाएगा तथापि मुम्बई व कोलकाता कार्यालयों हेतु प्रत्यक्ष सत्यापन कार्य आबंटन अधीन है।

[k½ foeku lph dk iR;{k lR;kiu

वर्ष 2018–19 की अवधि में इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के उद्देश्य से नियुक्त चार्टर्ड एकांउटेट फर्म द्वारा इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया इसमें पायी गई विसंगतियां यद्यपि नगण्य हैं, समाधान के अन्तर्गत हैं।

33- fofue; nj ij ifjorlu dk iHkko ¼bM ,,l&21½

लेन–देन की जटिलताओं के कारण, इंड एस के प्रावधानों के अनुरूप विदेशी इनवेंटरी प्रापण संबंधी लेन–देन तथा विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतशेष को लेन–देन की तिथि पर अंतरित नहीं किया गया है। इस अंतरण के प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथापि इसके कार्यान्वित होने की संभावना नहीं भी हो सकती है।

34- if"V@lek/kku

I) तेल कंपनियों का बकाया इस प्रकार है–इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड– 1262.90 मिलियन रुपए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड– 257.51 मिलियन रुपए, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड–403.28 मिलियन रुपए, रिलायंस इंड्रस्ट्री लिमिटेड (1.13) मिलियन रुपए और शैल एमआरपीएल एविएशन लिमिटेड 31.03 मिलियन रु.। आईओसीएल, आरआईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल व शैल एमआरपीएल के 31.03.2019 तक के खातों का समाधान कर लिया गया है।

II) देय व प्राप्य के समाधान/पुष्टिकरण का कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को आउटसोर्स कर दिया गया है। जिन पार्टियों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं, जहां कहीं भी पार्टियों द्वारा पुष्टिकृत शेष पर सहमति नहीं है, समाधान कार्य जारी है।

III) जीएसटी का समाधान, स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस), राजस्व संबंधी कर, अन्य वैधानिक बकाया और आयकर

आदि का समाधान संबंधित अधिकारियों को फाइल की गई रिर्टन/रखे गए सांविधिक रिकार्डों के साथ किए जाने की प्रक्रिया में है, इसका प्रभाव यदि कोई हो, तो मापा नहीं जा सकता।

IV) अप्रत्यक्ष करों की वसूली में जीएसटी इनपुट राशि शामिल है, जो 323.80 मिलियन रु. और जीएसटी इनपुट क्रेडिट के अनुसार 31.03.2019 को उपलब्ध जीएसटी पोर्टल राशि के अनुसार 143.81 मिलियन रु. है। जीएसटी अनुपालन का कार्य एक बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स किया गया है और कंपनी आउटसोर्स एजेंसी की मदद से जीएसटी इनपुट क्रेडिट अंतर का समाधान करने की प्रक्रिया में है। कम्पनी के परिणाम पर इस अंतर के कारण होने वाले प्रभाव यदि कोई हो, का अनुमान इस स्टेज में नहीं लगाया जा सकता।

V) वर्ष 2018–19 के दौरान 13.37 मिलियन रु. (0.20 मिलियन रु.) सांविधिक बकाया के देर से/भुगतान न करने पर ब्याज के रूप में प्रदान किया गया है। इस स्तर पर सांविधिक देय राशि के विलंबित जमा पर जुर्माना संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

VI) वर्ष 2018–19 के दौरान और पिछले वर्षों में धन की समस्या के कारण भुगतान में देरी होने से विदेशी विक्रेताओं को लीज रेंट और रखरखाव रिजर्व (अनुपूरक किराया) की देरी/गैर–भुगतान पर ब्याज देयता का पता उपलब्ध नहीं कराया गया है, चूंकि कंपनी लेसर से इस संबंध में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

35- vkrfjd fu;=.k

कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया सुदृढ़ की गई है ताकि न्यूनतम लेखा कार्यक्रम में निहित सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जा सके तथा सभी स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रयोगकर्त्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा स्वतंत्र चार्टर्ड एकांउटेंट फर्म की नियुक्ति की गई है। सैप तथा अन्य सॉफ्टवेयर में इंटरफेस सहित में एकरूपता सहित समय से तथा लेन–देन की लेखाकरण प्रविष्टियों की प्रणाली को और सुदृढ़ किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

साथ ही, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आई.एफ.सी) की पर्याप्तता की पुष्टि करने हेतु लेखा परीक्षा वर्ष 2018–19 के दौरान की गई।

36- bUoasVjh

1. इनवेंटरी में मुख्य रूप से विमान पूर्जे और उपभोग्य सामग्रियां और एटीआर विमानों के उपकरण शामिल हैं। एटीआर विमानों में विशेष उपयोग के लिए पूर्जों को एआईएल (एअर इंडिया लिमिटेड) एमएमडी विभाग के माध्यम से खरीदा जा रहा है और रैमको नामक इनवेंटरी प्रबंधन प्रणाली की मदद से रिकॉर्ड किया गया है, जिसका उपयोग एआईएल द्वारा मेंनटेन संपूर्ण एअर इंडिया समूह की कंपनियों की इनवेंटरी को खरीदने, नियंत्रित करने, जारी करने और प्रबंधित करने के लिए भी किया जाता है। उपभोग्य सामग्रियों सहित इनवेंटरी के लिए, जिसका उपयोग आमतौर पर एटीआर एयरबस और बोईंग विमान के लिए किया जा सकता है। एआईएल द्वारा या एएएसएल द्वारा खरीदे जा रहे हैं। उपभोग और अंतशेष स्टॉक का पता रैमको सिस्टम से उत्पन्न रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है और यह एअर इंडिया समूह की समस्त कंपनियों के लिए वैश्विक समाधान पर आधारित है। अगस्त 2018 में रैमको और सैप के बीच इंटरफेस स्थापित हुआ, जिससे संबंधित कंपनियों को इनवेंटरी का सही आबंटन सुनिश्चित किया गया, इस प्रकार, इनवेंटरी सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम के बीच मैनुअल हस्तक्षेप के कारण होने वाली त्रुटियों को कम किया गया। एआईएल से प्राप्त एडवाइस और एसएपी में मैनुअल और एकीकृत प्रविष्टियों के समाधान के आधार पर, सैप की तुलना में विभिन्न इनवेंटरी

समूहों के तहत समाधान के अंतर प्रक्रियाधीन है।

2. रैमको, सभी इंजीनियरिंग मदों के लिए व्यापक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल प्रणाली है। यह प्रणाली मुख्य रूप से एमआरओ प्रचालन के लिए थी और इसलिए मूल डिजाइन प्रणाली के अनुसार इसे इस प्रकार कॉन्फ़िगर किया गया था कि सभी लेनदेन को एक ही प्रचालन इकाई (ओयू) अर्थात एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में बुक व लेखांकित किया जाएगा। परंतु इस प्रणाली को लागू करने के पश्चात प्रबंधन ने सभी इनवेंटरी और संबंधित लेनदेन को संबंधित एयरलाइंस में बुक करने का निर्णय लिया। इसलिए संबंधित एयरलाइंस में एक ही ओयू–एआईईएसएल में होने वाले लेनदेन को अलग करना एक चुनौती थी।

आवश्यकतानुसार, संबंधित एयरलाइंस को हस्तांतरण के लिए एआईईएसएल में बुक किए गए लेन–देन का मैनुअल पृथक्करण शुरू किया गया। यह एयरलाइन वार लेन–देन के बेमेल की शुरुआत थी।

चूंकि लेन–देन एक ही ओयू में किया जाता है और उसे मैनुअल रूप से अलग–अलग किया जाता है, व बुक बैलेंस के साथ सिस्टम बैलेंस को मैच करने के लिए प्रति वर्ष के अंत में विश्व स्तर पर समाधान की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त बेमेल से बचने के लिए, रैमको द्वारा ऑन बिहाफ कार्यक्षमता लागू की गई है ताकि संबंधित एयरलाइंस में लेनदेन सही तरीके से बुक हो जाए। इसके अलावा, इस प्रयोजन के लिए संबंधित आंतरिक एयरलाइंस के लिए आवश्यक सभी इनवेंटरी आइटम की पहचान की गई है और उन्हें रैमको सिस्टम में संबंधित एयरलाइंस में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस कार्यक्षमता को 2018–19 के दौरान लागू किया गया व इसके कार्यान्वयन हेतु रैमको द्वारा सभी आवश्यक परिवर्तन किए गए थे और सिस्टम को पुनः कॉन्फ़िगर करने के लिए रैमको द्वारा वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तनों के कारण रैमको प्रणाली viz-a-viz SAP में दिखने वाले मूल्यों में कुछ अंतर हैं।

वर्ष के दौरान, रैमको और एसएपी के बीच लंबे समय से लंबित इंटरफ़ेस को भी लागू किया गया इसलिए रैमको में होने वाले सभी लेनदेन अब सीधे एसएपी में होंगे। इनवेंटरी और अन्य खातों में कुछ विसंगतियां हैं, जो एकल ओयू डिजाइन और एसएपी के साथ गैर इंटरफ़ेस के कारण रैमको के कार्यान्वयन के बाद से उत्पन्न हुई हैं। 2019–20 के दौरान ऐसी विसंगतियों का समाधान किया जाना प्रस्तावित है। इस स्तर पर इस प्रकार की विसंगतियों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता

3. 2.07 मिलियन रु. (1.85 मिलियन रु.) की राशि के मार्गस्थ माल में हाई सी, सीमा शुल्क विभाग के पास तथा जांच के लिए लंबित मदें जिन्हें एअर इंडिया लि. के प्रमाणन के आधार पर लिया गया है, सम्मिलित हैं।

4. वर्ष के अन्त में विमान के पूर्जे तथा उपभोज्य मदों के अंतिम मूल्य के आधार पर सीमा शुल्क, मालभाड़ा तथा प्रासंगिक व्यय को आनुपातिक आधार पर आबंटित किया गया है। विमान पूर्जों पर भुगतान किए गए, अनाबंटित सीमा शुल्क को इनवेंटरी के तहत दर्शाया गया है।

5. विमान के रोटेबल्स को पूंजीकृत किया गया है और विमान की लीज़ अवधि के अनुसार मूल्यह्रासित किया गया है।

37 ,;jikV v,ijVjk d lkFk lek/kku dh fLFkfr

1) बीआईएएल, डीआईएएल, एचआईएएल और एमआईएएल के साथ खातों का समाधान 31.03.2019 तक कर लिया गया

है। डीआईएएल के ब्याज दावे का सत्यापन कर लिया गया है व सहमत राशि की गणना प्रावधान के माध्यम से कर दी गई है।

2) नागर विमानन मंत्रालय के तत्वाधान में, 26.08.2013 को मुख्यालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। जिसके तहत 31.03.2012 को एअर इंडिया के साथ एएआई की देनदारी पर मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया।

उपरोक्त 26.08.2013 के एमओयू के अनुसार एएआई को देरी से भुगतान पर 9% की दर से वार्षिक ब्याज देय है, तथापि, देरी से भुगतान पर ब्याज के लिए ऐसा कोई प्रावधान लेखों में नहीं किया गया है क्योंकि संयुक्त सचिव एमओसीए के निर्देशानुसार यह मुद्दा अंतिम निर्णय के लिए सचिव एमओसीए के समक्ष रखा जाएगा।

3) एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के खातों के अनुसार 31 मार्च 2019 (ब्याज रहित) को एएआई को 622.52 मिलियन रु. (पिछले वर्ष 652.84 मिलियन रु.) की राशि देय थी। लैंडिंग, पार्किंग और देय अन्य शुल्कों का लेखांकन प्राप्त बिलों के अनुसार किया गया है और जहां बिल प्राप्त नहीं हुए हैं वहां प्रावधान अनुमानित आधार पर किए गए हैं। पिछले वर्षों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समाधान की प्रक्रिया जारी है।

4) एएआई और एआईएल सहायक कंपनियों सहित, के बीच 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होने वाले अम्बरैला समझौते का निष्पादन जारी है, जिसमें एआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अधिकृत स्थान व लागू किराए दर निर्दिष्ट होगें। कंपनी के परिणामों पर, उपरोक्त अम्बरैला समझौते के वित्तीय प्रभावों का आकलन इस स्तर पर नहीं किया जाता है।

38- lxesV fjiksfVax%

क. इंड एएस–108 के अनुसार, कंपनी एयरलाइन से संबंधित व्यवसाय में है, जो इसका प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट खंड है और इसलिए सेगमेंट के परिणाम अलग से प्रकट नहीं किए गए हैं। भौगोलिक क्षेत्रवार अर्जित सकल यात्री राजस्व का विवरण (जिस क्षेत्र से यात्री ने यात्रा प्रारंभ की है, उस क्षेत्र में राजस्व आबंटित करके व्युत्पन्न) निम्नानुसार हैं:

fooj.k	foÙkh; o"kZ 2018&19	foÙkh; o"kZ 2017&18
भारत	8216-12	6045.29
dqy	8216-12	6045-29

ख) कंपनी की प्रमुख राजस्व आय परिसंपत्ति, विमान बेड़ा है, जो कम्पनी के रूट नेटवर्क में लचीले और अनुकूलतम रूप से तैनात है। भौगोलिक सेगमेंट में परिसंपत्तियों और देयताओं के आबंटन के लिए कोई उपयुक्त आधार नहीं है, इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रवार संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा नहीं किया गया है।

39- lacaf/kr ikVÊ }kjk fd;k x;k ysunsu

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस –24) के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान आवश्यक संबंधित पार्टियों के नाम और पदनामों का विवरण नीचे दिया गया है।

1- izeq[k izca/kdh; dehZ vkSj lacaf/kh

izeq[k izca/kdh; dkfeZdksa ds lkFk ysu&nsu

i) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को पारिश्रमिक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

d- funs'kd eaMy ¼foÙkh; o"kZ 2018&19 dh vof/k ls vkt rd½

Ø-la-	inuke	inuke	fu;qfDr dh rkjh[k	lekiu dh frfFk
1	श्री अश्विनी लोहानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लि.	अध्यक्ष	14/02/2019	आज तक
2	श्री विनोद एस. हेजमाड़ी निदेशक (वित्त) एअर इंडिया लि.	निदेशक	20/11/2015	आज तक
3	श्री अंशुमाली रस्तोगी निदेशक (वित्त) नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	12/05/2017	आज तक
4	श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	31/08/2017	आज तक

[k- izeq[k izca/kdh; deh vkSj lacaf/kh

Ø-la-	izeq[k çca/kdh; deh vkSj lacaf/k;ksa ds uke	inuke
1.	श्री सी.एस. सुब्बैया	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2.	श्री कमल राउल	मुख्य वित्तीय अधिकारी
3.	सुश्री मंजिरी एम. वझे	कम्पनी सचिव

x- lacaf/kr ikfV;k¡

i. इंड एएस 24 के संदर्भ में, निम्नलिखित संबंधित पार्टियां हैं जो पार्टियां (सरकार) हैं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार):

uke	lac/kksa dh izd`fr	iHkko
एअर इंडिया लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी	इकाई का कम्पनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।
एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड	एसोसिएट्स	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	एसोसिएट्स	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
भारतीय होटल निगम	एसोसिएट्स	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड	एसोसिएट्स	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

ii) पार्टी (सरकार के अलावा)

एअर इंडिया सैट्स	एसोसिएट्स	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

?k- lcf/kr ikVh yunu

i. वर्ष 2018–19 के दौरान, एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के बीच दिनांक 19.11.2018 को मास्टर सेवा समझौते (MSA) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की संपूर्ण सूची है। इस समझौते में इनवॉइस को प्रस्तुत करने का आधार भी विस्तृत रूप में दिया गया है।

तथापि, एमएसए पर हस्ताक्षर करने और तदनन्तर उसके कार्यान्वयन में देरी के कारण, इनवॉइस के लेखांकन में विलम्ब हुआ। वर्ष 2018–19 के लेनदेन के कारण एअर इंडिया के लेखों में बकाया शेष और डेबिट शेष पर ब्याज पिछले व्यवहार के अनुसार हिसाब में रखा गया है। एअर इंडिया लिमिटेड की किताबों में एएएसएल के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष के औसत ब्याज की @9% गणना की गई है।

एमएसए की शर्तों के अनुसार, कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के इनवॉइस के साथ सहायक दस्तावेज़ होने चाहिए, तथापि, वर्ष 2018–19 कार्यान्वयन का पहला वर्ष होने व प्रारंभिक चरण में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण एमएसए के व्ययों को मूल/सहयोगी कंपनियों से प्राप्त एडवॉइस के आधार पर उपलब्ध किया गया है।

एएएसएल और एआईएल/अन्य एसोसिएट कंपनियों के बीच मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) के कार्यान्वयन के लिए यह पहला वर्ष है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें दोनों पक्षों द्वारा आगे सुधार/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है (होल्डिंग कंपनी की स्वीकृति) जैसे जीएसटी/करों का लागू होना, ब्याज, एआईएल की ओर से नाबालिग और शिशु यात्रियों के संबंध में एएएसएल द्वारा प्रदान की गई कोड शेयर सेवाओं की गणना एमएसए में बताई गई दरों के अलावा की जाती है। एमएसए में उल्लिखित राशि से एएएसएल के यात्रियों से वसूल की गई अधिक राशि को एआईएल का राजस्व मान लिया जाता है। जीएसटी आदि को चार्ज किए बिना कोड शेयर सेवाओं का दावा कुछ अन्य मुद्दे हैं, जिनमें बेहतर प्रस्तुति और पारदर्शिता के लिए कम्पनियां एमएसए की शर्तों को स्पष्ट/संशोधित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी के परिणाम पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रावधान नहीं किया गया है।

ii मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी को पारिश्रमिक और अनुलब्धियों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई लेनदेन नहीं है। वर्ष 2018–19 के दौरान, 2.35 मिलियन रुपये (2.23 मिलियन रुपये) एवं 2.09 मिलियन रुपये (2.33 मिलियन रुपये) की राशि का पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया गया है।

iii. एयरलाइन व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों में एयरलाइन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने जैसे लेनदेन उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।

iv. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

v. इंड एएस 24 के संबंध में, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार) और गैर सरकारी के साथ लेनदेन से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यकताएं हैं। संबंधित पार्टियों:

M- yunu fooj.k & lcfèkr ikVh

ey dkiuh ,vj bfM;k fyfeVM

Ø- l-	lLFkkvk dk uke vkj yunu dh ç—fr		2018&19 ¼#i;s fefy;u esa½	2017&18 ¼#i;s fefy;u esa½
	क) एअर इंडिया लि. प्रारंभिक शेष (क्रेडिट)	क	15426-17	13517.53
	व्यय / डेबिट प्राप्त हुआ			
	I. दी गई सेवा के लिए डेबिट	ख	7086-94	5720.05
	बैंक से निधि अंतरण		5867-11	4372.09
	विदेशी वेंडरों को भुगतान		880-11	743.67
	भारतीय वेंडरों को भुगतान		130-52	42.72
	एआईएल द्वारा एएएसएल हेतु भुगतान (प्रावधान के माध्यम से बुक व्यय)		224-66	–
	इनवेंटरी व्यय		¼316-23	–
	पूर्व अवधि		6-78	306.99
	स्थायी परिसम्पत्तियां		0-31	–
	एसएपी रखरखाव		5-16	8.33
	जीएसडी और एसआईटीए		288-52	246.25
	II. सेवाएं प्रदान की गईं	ग	139-82	189.71
	हैंडलिंग		82-81	76.83
	एसओडी		31-63	84.09
	कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय (प्रावधान के माध्यम से बुक किए गए)		1-24	–
	निगमित गारंटी प्रभार		24-14	28.79
	III. एआईएल द्वारा प्रभारित ब्याज	घ	1382-65	1340.71
	IV मानवशक्ति बिलिंग (एआईएल कार्मिकों का वेतन जो एएएसएल में कार्यरत हैं)	ड.	16-92	31-59
	राजस्व / क्रेडिट प्राप्त			
	I. राजस्व	च	7351-71	5307.78
	यातायात राजस्व		6919-62	4947.01
	जेएन कर / जीएसटी		303-31	234.14
	कमीशन		¼175-86½	.(109.24)
	पीएसएफ / यूडीएफ (क्रेडिट)		304-64	235.87
	II. बिलिंग	छ	18-82	65.63

	मानव शक्ति बिलिंग एएएसएल कार्मिकों का वेतन जो एअर इंडिया लि. में कार्यरत हैं		14-66	58.45
	एसओडी बिलिंग		4-16	7.18
	निवल ज = (ख+ग+घ+ङ–च–छ)	ज	1255-80	1908.65
	अंतशेष (क्रेडिट) झ = (क+ज)		16681-97	15426-17
नोट	एएएसएल की ओर से एआईएल द्वारा दी गई निगमित गारंटी।		4162-58	3923.01

	[k½ ,vj bfM;k bthfu;Çjx lÊolsl fyfeVM ¼,vkÃbl,l,y½	2018&19 ¼#i;s fefy;u esa½	2017&18 ¼#i;s fefy;u esa½
	ikjfHkd 'ks"k ¼ØfMV½	¼483-30½	¼575-53½
	व्यय मरम्मत अन्य	692-13	92.23
	एसओडी बिलिंग (राजस्व)	¼6-53½	
	vr 'ks"k ¼ØfMV½	202-31	¼483-30½
	प्रावधानों के माध्यम से बुक किए गए बिल	535-98	754.93
	प्राप्य	¼9-42½	

	x½ ,vj bfM;k ,;j VkalikV lÊolsl fyfeVM ¼,vkÃ,Vh,l,y½	2018&19 ¼#i;s fefy;u esa½	2017&18 ¼#i;s fefy;u esa½
	ikjfHkd 'ks"k ¼ØfMV½	230-24	135-93
	0;; हैंडलिंग प्रभार	302-56	112.17
	भुगतान किया गया	&	(17.86)
	क्रेडिट प्राप्त हुआ क्षति के लिए राशि का दावा एसओडी बिलिंग	 ¼8-94½ ¼0-99½	 – –
	vr 'ks"k	522-87	230-24
	प्रावधानों के माध्यम से बुक किए गए (बिलिंग एवं ब्याज)	50-25	14.21
	प्राप्य के माध्यम से बुक किए गए	¼51-81½	

	?k½ ,vj bfM;k ,Dlçsl fyfeVsM	2018&19 ¼#i;s fefy;u esa½	2017&18 ¼#i;s fefy;u esa½
	ikjfHkd 'ks"k	0-105	dksbZ ugha
	buoslVjh dk LFkkukarj.k	0-67	¼0-105½
	,lvkMh fcfyax	¼0-421½	&
	vafre 'ks"k ¼ØsfMV½	¼0-144½	¼0-105½

	M-½ ,vj bfM;k lSVl ,;jiksVZ lfoZlsl çk- fyfeVsM	2018&19 ¼#i;s fefy;u esa½	2017&18 ¼#i;s fefy;u esa½
	ikjfHkd 'ks"k ¼ØsfMV½	77-11	33-58
	O;; हैंडलिंग प्रभार	108-78	53-09
	भुगतान किया गया	&	¼9-56½
	vafre 'ks"k ¼ØsfMV½*	185-90	77-11
	çkoèkkuksa ds ekè;e ls cqd fd, x, fcy	2-02	&

*आकस्मिक देयताओं में 25.50 मिलियन रु. की राशि समाधान के बिना प्रदान की गई।

	p½ gksVy dkjiksjs'ku vkQ bfM;k	2018&19 ¼#i;s fefy;u esa½	2017&18 ¼#i;s fefy;u esa½
	ikjfHkd 'ks"k ¼ØsfMV½	dksbZ ugha	–
	O;;	0-0001 #-	–
	vafre 'ks"k ¼ØsfMV½ *	0-0001 #-	–

¼2½ Hkfo"; fuf/k VªLV ds lkFk ysu&nsu

fooj.k	2018&19		2017&18	
	o"kZ ds nkSjku ih,Q ;ksxnku	31-3-19 dks cdk;k	o"kZ ds nkSjku ih,Q ;ksxnku	31-3-18 dks cdk;k
,,,l,y ih,Q VªLV	10-40	dksbZ ugha	8-53	0-011

¼3½ lcfèkr ljdkjh lLFkkvk ls çe[k yunu

संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ कंपनी के राजस्व और व्यय के प्रमुख लेनदेन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

¼#- fefy;u e½

l-	bdkÃ dk uke	2018&19	2017&18
	0;;		
i)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (स्थान सहित)	251-67	223.66
ii)	तेल कंपनियाँ		
	इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड	1368-24	834.02
	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	406-27	250.35
	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	257-51	113.96
	jktLo		
i)	ljdkj ls ipkyu grq lfClMh	1225-43	888.71
	भारत सरकार		
ii)	pkVj jktLo & vU;		
	भारत सरकार	17-42	2.50

ukV % सरकार/सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेन–देन में वे लेन–देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ भी अन्य लेनदेन किया है। तथापि, ये लेनदेन व्यक्तिगत या सामूहिक रुप से महत्वहीन हैं और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

40½ fj&fMyhojh iHkkj

प्रचालनात्मक पट्टे के तहत रखे गए सभी विमानों पर अनुबंधित रखरखाव और वापसी की शर्तों को पूरा करने के लिए रि–डिलीवरी शुल्क का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के प्रावधान प्रबंधन द्वारा उड़ान घंटों व वापसी तक विमान द्वारा प्रचालित किए गए साइकल के आकलन, उस भावी तिथि पर आवश्यक बहाली कार्य करने की निष्पादन लागत, और अपेक्षित दायित्व परिपक्वता अनुसूची के अनुसार छूट की दर के आधार पर किए जाते हैं। प्रबंधन द्वारा प्रावधान के निर्धारण में निर्णय की दीर्घ अवधि प्रकृति को देखते हुए निर्णय किया जाता है। वर्तमान वर्ष के संबंध में की गई धारणाएं पिछले वर्ष के अनुरूप हैं।

किए गए प्रावधान में परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :

¼#- fefy;u e½

fooj.k	foÙkh; o"k 2018&19	foÙkh; o"k 2017&18
çkjfHkd 'k"k	383-48	286-14
जोडकरः वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	75-60	145.46
जोडकरः वर्ष के दौरान प्रावधान निर्वहन	**(294.17)**	(48.12)
		–
अंतशेष	164-92	383-48

पट्टे पर लिए गए सभी एटीआर विमानों के लिए रि–डिलीवरी लागत का आनुपातिक व्यय, पार्टियों के साथ किए गए समझौतों और प्रावधान के लिए किए गए करार के संदर्भ में विमान महीनों के आधार पर 31.03.2019 तक 164.92 मिलियन रु. (383.48 मिलियन रु.) हैं और इसके लिए खातों में प्रावधान किया गया है।

किए गए प्रावधान में परिवर्तन और विमानों की रि–डिलीवरी के कारण भविष्य की प्रतिबद्धताएँ निम्नानुसार हैं:

¼#- fefy;u esa½

o"kZ	foŸkh; o"kZ 2018&19		foŸkh; o"kZ 2017&18	
	foekuksa dh la[;k	jkf'k ¼#- fefy;u esa½	foekuksa dh la[;k	jkf'k ¼#- fefy;u esa½
2018–19			3	69.38
2024–25	2	229-56	2	231.43
2027–28	3	376-16	3	368.15
2028–29	3	386-40	3	376.21
2029–30	6	801-43	6	775.53
2030–31	4	552-58		

आर्थिक लाभ के परिणामस्वरूप आउटफ्लो का अपेक्षित समय वित्तीय वर्ष 2020 से 2031 है।

41- deZpkjh ykHk

i. भविष्य निधि जैसे परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान लाभ और हानि खाते को निम्नानुसार प्रभारित किया जाता है:

   भविष्य निधि 10-40 fefy;u #- (पिछले वर्ष 8.53 मिलियन रु.)

ii. कंपनी भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एएस 19 के अनुसार, स्वतंत्र एक्चूरीज़ द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र तिथि के अनुसार ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ भी प्रदान करती है।

   क. सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों की प्राधिकार छुट्टी का नकदीकरण सभी योग्य कर्मचारियों को देय है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए नगदीकरण देयता 5-50 fefy;u #- है।

   ख. परिभाषित लाभ योजना–ग्रेच्यूटी (अनफंडेड)

कंपनी की भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्यूटी योजना है (अनफंडेड)। कंपनी की परिभाषित लाभ ग्रेच्यूटी योजना कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित वेतन योजना है, जिसके लिए अलग से प्रशासित निधि में योगदान की आवश्यकता होती है। ग्रेच्यूटी का भुगतान कंपनी द्वारा देय होने पर और कम्पनी योजना के अनुसार वर्ष के दौरान कोई योजना संशोधन, कटौती और समझौते नहीं थे।

fuoy ifjHkkf"kr ykHk ¼ifjlaifÙk½@n;rk ea ifjorZu

क) निर्धारित लाभ दायित्व के शेष का समाधान

2-1 ¼d½ orZeku eY; nkf;Ro ea ifjorZu dk lkj.kh ea n'kkZ;k x;k gS

vof/k	01&04&2018 ls 31&03&2019	01&04&2017 ls 31&03&2018
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3]79]90]231	4,40,43,843
ब्याज लागत	29]44]243	34,13,398
चालू सेवा लागत	50]36]820	44,26,843
पूर्व सेवा लागत	0	0
लाभ भुगतान (अन्य कोई)	¼15]26]495½	(98,02,702)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि	¼18]66]432½	(40,91,151)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	4]25]78]367	3,79,90,231

2-1 ¼[k½ n;rkvksa ij dqy ,Dpfj;y ¼ykHk½@gkfu dk foHkktu

vof/k	01&04&2018 ls 31&03&2019	01&04&2017 ls 31&03&2018
जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	Ykkxw ugha	लागू नहीं
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	0	(10,81,458)
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	¼18]66]432½	(30,09,693)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	¼18]66]432½	(40,91,151)

2-2 izeq[k ifj.kke ¼rqyu i= ea ekU; jkf'k½

vof/k	31&03&2019 rd	01&04&2018 rd
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	4]25]78]367	3,79,90,231
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण	4]25]78]367	3,79,90,231
वित्तीय स्थिति – अधिशेष/(घाटा)	¼4]25]78]367½	(3,79,90,231)

2-3 ¼d½ ykHk vkj gkfu dh fooj.kh esa ekU; O;;

vof/k	01&04&2018 ls 31&03&2019	01&04&2017 ls 31&03&2018
ब्याज लागत	29]44]243	34,13,398
चालू सेवा लागत	50]36]820	44,26,843
पूर्व सेवा लागत	0	0
नियोजित परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन	¼0½	(0)
लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना	79]81]063	78,40,241

2-3 ¼[k½ vU; O;kid ¼vk;½@O;; ¼iquekiu½

vof/k	01&04&2018 ls 31&03&2019	01&04&2017 ls 31&03&2018
संचित मान्य एक्चूरियल (लाभ)/हानि आरंभिक शेष अग्रेषित	¼1]75]96]051½	(1,35,04,900)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – दायित्व	¼18]66]432½	(40,91,151)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – योजना परिसम्पत्तियां	0	0
कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि	¼18]66]432½	(40,91,151)
कुल संचित एक्चूरियल (लाभ)/हानि	¼1]94]62]483½	(1,75,96,051)

2-3 ¼x½ fuoy C;kt ykxr

vof/k	01&04&2018 ls 31&03&2019	01&04&2017 ls 31&03&2018
निर्धारित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	29]44]243	34,13,398
योजना परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय	0	0
निवल ब्याज लागत (आय)	29]44]243	34,13,398

2-4 vuqHko lek;kstu

vof/k	01&04&2018 ls 31&03&2019	01&04&2017 ls 31&03&2018
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	¼18]66]432½	(30,09,693)
योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि)	0	0

3-1 eY;kdu dh frfFk dk lnL;rk MkVk vkj mlds vk/kkj ij lkf[;dh dk lkjka'k

vof/k	31&03&2019 dks	31&03&2018 dks
कर्मचारियों की संख्या	556	482
कुल मासिक वेतन	93]84]094	82,64,269
औसतन विगत सेवाएं (वर्ष)	7-5	8.0
औसतन भावी सेवाएं (वर्ष)	24-1	23.4
औसत आयु (वर्ष)	35-9	36.6
वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर)	17	17
औसत मासिक वेतन	16]878	17,146

3-2 x.kukvks ds fy, fu;kftr /kkj.kk,¡ lkj.khc) gS%

	31&03&2019 dks	31&03&2018 dks
डिस्काउंट दर	7-75% izfr o"kZ	7.75% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	8-00% izfr o"kZ	8.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	vkb,,y,e 2006&08 vYVheV	आइएएलएम 2006–08 अल्टीमेट
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5-00% iz-o- ¼18 ls 30 o"kZ½	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	3-00% iz-o- ¼30 ls 44 o"kZ½	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2-00% iz-o- ¼44 ls 60 o"kZ½	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)

3-3 egRoiw.kZ ykHk%

सामान्य सेवा निवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन
निहित अवधि	5 वर्ष की सेवा	5 वर्ष की सेवा
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26* वेतन विगत सेवा (वर्ष)	15/26* वेतन विगत सेवा (वर्ष)
मृत्यु और विकलांगता के कारण जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।
सीमा	2000000.00	2000000.00

3-4 pkyw n;rk,a ¼*dEiuh vf/kfu;e 2013 dh vuqlwph III ds vuqlkj vxys o"kZ esa vis{kr Hkqxrku½

vof/k	31&03&2019 dks	31&03&2018 dks
चालू देयताएं (लघु अवधि)*	13,90,076	14,69,282
गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)*	4,11,88,291	3,65,20,949
कुल देयताएं	4,25,78,367	3,79,90,231

3-5 bdkbZ ds Hkfo"; ds udnh iokg ij ;kstuk ds iHkko

3-5 ¼d½ foŸk iza/ku vkSj foŸkh; ik"k.k uhfr & ykxw ugha

3-5 ¼[k½ vkxkeh o"kZ d fjiksfVZax vof/k ds nkSjku lHkkfor ;ksxnku

आगामी वर्ष के दौरान कंपनी के योगदान का सर्वोत्तम अनुमान	55,82,910	47,86,790

3-5 ¼x½ ifjHkkf"kr YkkHk nkf;Ro dh ifjiDork izksQkby

भारित औसत अवधि वर्ष में (डिस्काउंटेड नकद प्रवाह पर आधारित)	17	17

3-5 ¼?k½ vis{kr ykHk Hkqxrkuksa dk vuqeku ¼fuji{k :i ls ;kuh vfMLdkmUVM½

01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020	13,99,316
01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021	10,28,340
01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022	13,32,636
01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023	11,88,974
01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024	14,29,682
01 अप्रैल 2024 से आगे	3,55,24,874

3-6 vxyh vof/k ds fy, iwokZuqeku

अगली अवधि के दौरान योगदान के लिए सर्वोत्तम अनुमान	55,82,910	

3-7 laons'khyrk fo'ys"k.k% ifjHkkf"kr ykHk nkf;Ro ds fu/kkZj.k ds fy, egRoiw.kZ chekafdd /kkj.kk,a NwV nj vkSj vis{kr osru of) nj gSaA eR;q nj esa ifjorZu dk çHkko ux.; gSA uhps çLrqr laons'khyrk

fo'y"k.k ifjHkkf"kr ykHk nkf;Ro e okLrfod ifjorZu dk çfrfufèk ugÈ gks ldrk g D;kfd ;g lHkkouk ugÈ g fd èkkj.kk e ifjorZu ,d nlj d vyxko e ?kfVr gksxk D;kfd dN èkkj.kk,a lglEc) gks ldrh gA lonu'khyrk fo'y"k.k d ifj.kke uhp fn, x, g%

vof/k	31&03&2019 dks
परिभाषित लाभ दायित्व (आधार)	4,25,78,367 / वेतन वृद्धि दरः 8% और डिस्काउंट दरः 7.75%
देयताएं – X% डिस्काउंट दर में वृद्धि सहित	3,77,34,219 x = 1.00% [परिवर्तन (11)%]
देयताएं – X% डिस्काउंट दर में कमी सहित	4,83,11,173 x = 1.00% [परिवर्तन 13%]
देयताएं – X% वेतन वृद्धि दर में वृद्धि सहित	4,82,40,052 x = 1.00% [परिवर्तन 13%]
देयताएं – X% वेतन वृद्धि दर में कमी सहित	3,77,02,655 x = 1.00% [परिवर्तन (11)%]
देयताएं – X% निकासी दर में वृद्धि सहित	4,23,14,425 x = 1.00% [परिवर्तन (1)%]
देयताएं – X% निकासी दर में कमी सहित	4,28,60,541 x = 1.00% [परिवर्तन 1%]

3-8 rqyu i= e nq;rk dk lek/kku

vof/k	01&04&2018 ls 31&03&2019 dks	01–04–2017 से 31–03–2018 को
प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	3]79]90]231	4,40,43,843
लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय	79]81]063	78,40,241
ओसीआई–एक्च्यूरियल (वृद्धि)/हानि– कुल वर्तमान अवधि	¼18]66]432½	(40,91,151)
लाभ देय (यदि कोई हो)	¼15]26]495½	(98,02,702)
अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	4]25]78]367	3,79,90,231

42- LFkfxr dj nq;rk@lEifÙk& पिछली प्रवृत्ति और प्रक्षेपित बजट राजस्व और व्यय को ध्यान में रखते हुए, एएएसएल द्वारा अगले कुछ वर्षों में निवल लाभ उत्पन्न करने की संभावना नहीं है। संचित घाटे के कारण पूंजी क्षीण हो गई है। कंपनी के पास बहुत कम स्थिर संपत्ति है। उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, स्थगित परिसंपत्ति हेतु लेखाबहियों में प्रावधान नहीं किया गया है।

43- izfr 'ks;j vk;

fooj.k	31 ekpZ] 2019 dks	31 मार्च, 2018 को
कर पश्चात लाभ/(हानि)	¼2965-67½	(2709.25)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	4022-50	4022.50
Ãih,l cfld vkj Mk;Y;fVM ¼#i;s e½	¼73-73½	(67.35)

44- l{e] y?kq vkj e/;e m|e fodkl vf/kfu;e

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के संदर्भ में, इन उद्यमों के बकाया राशि का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है। SAP प्रणाली में वेंडर मास्टर में एक क्षेत्र, अल्पसंख्यक संकेतक होता है, जिसे विक्रेता को SSI के रूप में पहचानने के लिए अद्यतन किया जाता है। एसएसआई विक्रेताओं के अधिक विवरणों को रिकार्ड करने के लिए प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या जारी करने वाली एजेंसी, वैधता, आदि। हालांकि, एमएसएमई की पहचान परीक्षण चरण में है और पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (पहचानी गई सीमा तक) के तहत कवर किए गए अधिकतर उपक्रमों को आपूर्तिकर्ता के साथ निर्धारित समय सीमा / तिथि के भीतर भुगतान किया गया है। विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज देयता बहुत मामूली है और इसलिए प्रावधान नहीं किया गया है। अन्य मामलों में, नियत समय पर आवश्यक अनुपालन / प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

45- y[kk ijh{kdk dk ikfjJfed%

लेखापरीक्षा शुल्क और लेखा परीक्षकों के व्यय का विवरणः –

¼#- fefy;u e½

fooj.k	2018&19	2017&18
लेखा परीक्षा शुल्क–वर्ष के लिए	0-65	0.65
dqy	0-65	0.65

46- xkbix dlu

एअर इंडिया लिमिटेड ने अपने परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए अपनी समूह कंपनियों के लिए लागू, टर्न एराउंड प्लान (टीएपी) तैयार किया था। भारत सरकार द्वारा एअर इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के टर्न अराउंड हेतु फरवरी 2012 में टर्न एराउंड प्लान (टीएपी) को मंजूरी दे दी थी।

टर्न एराउंड प्लान के अनुपालन में, 2018–19 में 04 नए एटीआर –72–600 विमानों को बेड़े में शामिल करने के साथ कार्य जारी रहा। वर्ष के अंत में बेड़े में 20 विमान (02 एटीआर –42–320 और 18 एटीआर –72–600) शामिल थे। एएएसएल 15 और विमानों को शामिल करने पर विचार कर रहा है, जिनमें से 02 एटीआर –42–320 के प्रतिस्थापन के लिए हैं। दो प्रतिस्थापन विमान एटीआर –72–600 हैं और एएएसएल बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन दिया गया है। परिणामतः, पहले चरण और वित्त वर्ष 2020–21 में कम से कम 06 विमान शामिल करने के लिए आवश्यक अनुमोदन और प्रक्रियाएं की जा रही हैं। एएएसएल को आबंटित आरसीएस मार्ग प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विमानों को बेड़े में शामिल करने की आवश्यकता होगी।

एएएसएल द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान 1.60 मिलियन यात्रियों को वहन किया गया, वर्ष 2017–18 के दौरान वहन किए गए 1.28 मिलियन यात्रियों की तुलना में वर्ष 2018–19 में यात्रियों की संख्या में 25% की वृद्धि रही। इसी प्रकार नेटवर्क भी 48 गंतव्यों से 55 गंतव्यों तक विस्तारित हुआ, प्रतिदिन 100 प्रस्थान में वृद्धि होकर 109 प्रस्थान और प्रति सप्ताह 542 उड़ानों में वृद्धि होकर संख्या प्रति सप्ताह 607 उड़ानें प्रति सप्ताह रही। 2017–18 की तुलना में 2018–19 में 35% की वृद्धि के साथ विमान का उपयोग 38252 ब्लॉक घंटों से बढ़कर 51758 ब्लॉक घंटे हो गया है।

एलाइंस एअर का 2018–19 में 836 मिलियन रुपये के वास्तविक प्रचालन राजस्व की तुलना में वर्ष 2019–20 में 1200 मिलियन रु. का प्रोजेक्टिड राजस्व है। यह एएसकेएम में वृद्धि के अलावा एटीआर 72–600 में प्रतिदिन औसत 8.78 घंटे से 9.53 घंटे प्रतिदिन विमान के प्रभावी उपयोग में मुख्य रूप से यथोचित वृद्धि के कारण है। राजस्व प्रति किलोमीटर (आरपीके) में वर्ष 2017–18 के 570.335 मिलियन की तुलना में वर्ष 2018–19 में 679.873 में 19% की वृद्धि आई है और

यह उद्योग मानक के बराबर या उससे अधिक है।

कंपनी द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे असम में गुवाहाटी, लीलाबाड़ी, तेजपुर, मेघालय में शिलांग और अगाती और दीव हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) व्यवस्था के तहत एनईसी और एमएचए के अनुरोध पर प्रचालन जारी रखा गया। ये मार्ग परिचालनात्मक दृष्टि से लाभप्रद हैं।

कंपनी भारत सरकार की प्रमुख योजना 'उड़ान' में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरी है, जो गैर–सेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों के विकास के साथ विभिन्न टायर II और टायर III शहरों को जोड़ती है। टायर II और टायर III शहरों में वृद्धि अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है और एलाइंस एअर के, इन छोटे हवाई अड्डों पर प्रचालन के लिए उपयुक्त एटीआर 72–600 बेड़े के साथ सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना है।

कंपनी ने भारत सरकार की उड़ान योजना में प्रमुख संसाधनों का निवेश करने के लिए योजना बनाई है। उड़ान के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसमें कंपनी का प्रचालन सकारात्मक रहा है। कंपनी 31 मार्च 2019 तक 29 उड़ान मागो: पर प्रचालन कर रही थी जिसमें वृद्धि होकर यह संख्या वर्तमान में 39 मागो: पर पहुंच गई है। एयरलाइन अगले 2–3 महीनों में उड़ान योजना के तहत और अधिक मागो: पर प्रचालन आरंभ करने की ओर अग्रसर है। एएएसएल ने गत वर्ष 2017–18 में 17% के मुकाबले 2018–19 में 19% "UDAN" मागो: पर प्रचालन किया। वर्तमान में, एएएसएल वर्ष 2018–19 से 68% की वृद्धि पर लगभग 32% उड़ान मागो: पर प्रचालन कर रही है। उड़ान क्षेत्रों पर अधिक संसाधनों को तैनात करके एलाइंस एअर लाभप्रदता की ओर बढ़ रही है।

कंपनी लगातार हानिप्रद मार्गों का मूल्यांकन भी कर रही है और सोच–विचार कर इन मार्गों से परिचालन को उच्च राजस्व आय वाले मार्गों में स्थानांतरित कर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी ने उड़ान दौर 3 और 3.1 में भाग लिया है और फलस्वरूप कंपनी को 52 और मार्ग आबंटित किए गए। ऐसे मार्गों पर कंपनी की कुल पात्रता अब 95 है।

एयरलाइन सतर्कतापूर्वक यील्ड में वृद्धि कर रही है और वर्षान्त में औसत यील्ड 4179 रुपए प्रति यात्री है जो पिछले वर्ष (2017–18) की तुलना में लगभग 8% अधिक है। इसके अलावा कम्पनी ने लागत में कमी लाने हेतु लागत में बचत उपायों को लागू किया है।

विमान पट्टे, आरक्षण प्रणाली, सूची प्रबंधन, एसएपी इत्यादि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने और कंपनी की प्रचालन और वित्तीय गतिविधियों में सुधार के लिए किए गए अन्य विभिन्न उपायों के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के समर्थन से, यह उम्मीद की जाती है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति में भविष्य में सुधार होगा।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड के प्रारंभिक चरण में है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। एलाइंस एअर द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलट लाभ को और मजबूत करने की योजना बनाई गई है।

47- jkt Lo%

(i) कंपनी यात्री, कार्गो, बैगेज और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा के प्रसंस्करण के लिए एक बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है। टिकटों की बुकिंग आदि के लिए एआईएल की प्रणाली का उपयोग किया गया है। समूह से संबंधित राजस्व डाटा एआईएल द्वारा आउट सोर्स एजेंसी को उपलब्ध करवाया जाता है और संसाधित डाटा उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। एएएसएल से संबंधित राजस्व को एएएसएल को सौंपे गए कोड के आधार पर अलग किया गया है, और एफटीपी सर्वर पर अपलोड की गई रिपोर्टों के आधार पर लेखांकित किया गया है। एआईएल द्वारा एएएसएल के राजस्व को मान्य करने के लिए रिपोर्ट के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए डाटा, जो एएएसएल राजस्व की मान्यता के लिए आधार है, का रखरखाव किया जाता है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी

द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डाटा की प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ii) कार्गो रेवेन्यू 2.82 मिलियन रु., कार्गो कमीशन 0.14 मिलियन रुपये, पैक्स कमीशन 97.98 मिलियन रुपये, पीजीपी को एमएसएफ कमीशन 15.33 मिलियन रुपये, क्रेडिट कार्ड पर बैंक प्रभार 51.24 मिलियन रु. की राशि को एआईएल द्वारा आबंटित राशि के आधार पर लेखांकित किया गया है जो आउटसोर्स एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई उपरोक्त जीएसटी को रिकॉर्ड किए बिना और टीडीएस की कटौती के बिना लेखांकित किया गया है।

48- {k=h; lEid ;ktuk

31.3.2019 तक आरसीएस के तहत एएएसएल को (बोली प्रक्रिया के माध्यम से) 83 मार्ग आंबटित किए गए, जिनमें से 29 परिचालन में हैं। आने वाले महीनों में शेष मार्गों का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आबंटन के दूसरे दौर में प्रदान किए गए 14 मार्ग शामिल हैं, जो 31.03.2019 तक परिचालन में नहीं हैं, हालांकि एलओआई की शर्तों के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान इन्हें चालू करना आवश्यक है । प्रबंधन का विचार है कि मार्गों को परिचालनात्मक करने में विलम्ब विभिन्न कारकों पर आधारित है, देरी एएएसएल की ओर से नहीं है। अतः इन मार्गों को परिचालनात्मक करने में होने वाले विलम्ब के लिए एएएसएल की कोई देयता नहीं है।

49- e l l xfr

एअर इंडिया लि. व मैसर्स गति के बीच मालवाहक चार्टर प्रचालन (एएएसएल द्वारा किए जा रहे) हेतु करार गति द्वारा मार्च, 2009 में समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप गति के पास जमा करवाए गए 300 मिलियन रु. की बैंक गारंटी एअर इंडिया द्वारा इन्वोक की गई। मध्यस्थता अभिकरण द्वारा अधिनिर्णय दिया गया जिसके विरूद्ध एअर इंडिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में अपील दायर की गई है जिन्होंने मध्यस्थता अभिकरण के निर्णय को मान्य ठहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय (डबल बेंच) में इस आदेश के विरोध में अपील फाइल करने हेतु एअर इंडिया लि. द्वारा 17/11/2015 को माननीय उच्च न्यायालय में डिपॉजिट मनी के रूप में 220 मिलियन रु. जमा करवाए गए हैं। मामला न्यायाधीन है तथापि इस जमा के विरुद्ध आवश्यकतानुसार संदिग्ध रक्षा जमा के रुप में 220.0 मिलियन रु. का प्रावधान किया गया है। सुनवाई की अगली तिथि 22.07.2019 है।

50- चार्टरित लेखापाल की फर्म को प्राप्तियों और भुगतानों के सत्यापन का कार्य आउटसोर्स किया गया है। उनके निष्कर्षों के आधार पर 80.37 रु. की राशि को वसूली हेतु संदेहास्पद मान कर उपलब्ध कराया गया है और किसी अन्य विसंगतिपूर्ण खाते में पार्टियों के साथ समाधान की प्रक्रिया में है। प्रबंधन का मत है कि अंतर यद्यपि कम है परंतु अन्य पार्टियों के अंतशेष की पुष्टि या असंगत डेटा प्रविष्टि के समय अन्तराल के कारण है।

51- मैसर्स डीएई और मैसर्स एवीएपी वेंडरों को भुगतान किए गए आरक्षित रखरखाव के संबंध में समाधान कार्य जारी है। वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, न्यूनतम होगा और इसका लेखाकरण विक्रेता से पुष्टि के बाद किया जाएगा।

52- कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ कम्पनी के 2683.03 मिलियन रु. (पिछले वर्ष 2601.46 मिलियन रु.) के पंजीकृत प्रभार हैं। कंपनी कार्य प्रणाली का पालन कर इन प्रभारों को चुकाने की प्रक्रिया में है।

53- iwth çcaèku%

कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखते हुए शेयर धारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना है। प्रबंधन पूंजी पर रिटर्न तथा ऋण इक्विटी अनुपात को मॉनीटर करती है तथा व्यापार के विकास के लिए पूंजीगत

संरचना में आवश्यक समायोजन करती है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना के प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए।

_.k bfDoVh vuqikr% ¼#- fefy;u e½

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks	31 मार्च, 2018 को
उधार	16373-26	15432.94
dqy _.k ¼d½	16373-26	15432-94
इक्विटी शेयर पूंजी	4022-5	4022-5
अन्य इक्विटी	¼24027-72½	(21061.23)
dqy bfDoVh ¼[k½	¼20005-22½	¼17038-73½
_.k bfDoVh vuqikr ¼d@[k½	¼0-82½	¼0-91½

कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग कर पूंजी की निगरानी करती है जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित शुद्ध ऋण है। शुद्ध ऋण में गैर–चालू और वर्तमान उधार कम नकदी और नकद समतुल्य सम्मलित हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व शामिल हैं जिन्हें पूंजी के रूप में प्रबंधित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गियरिंग अनुपात इस प्रकार था :

54- Qs;j oSY;west jesaV rFkk Qkbusaf'k;y bLVªwesaV

¼d½ Qkbusaf'k;y bLVªwesaV & Js.kh rFkk fu"i{k ewY; Øe dk vuqlkj

नीचे दी गई तालिका आगे ले जाने योग्य राशि तथा वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के निष्पक्ष मूल्य, जिसमें निष्पक्ष बाज़ार मूल्य क्रम के अनुसार उनके स्तर शामिल है, दर्शाती है:–

i) 31 ekpZ 2019 dks

¼jkf'k #- e½

fooj.k	j[kko ewY;				mfpr ekiu ewY;		
	,QohVhih,y	,QohVhvkslhvkbZ	vekVZjkbTM ykxr	dqy	yoy 1	yoy 2	yoy 3
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर चालू							
अन्य			1093774522	1093774522			
चालू							
व्यापार प्राप्य*			986853534	986853534			
नकद और नकद समकक्ष*			38484203	38484203			

उपरोक्त (ख) के अलावा* बैंक शेष			219824920	219824920			
ऋण*			175379282	175379282			
अन्य			138257454	138257454			
foÙkh; ns;rk,a							
xSj pkyw							
vU;							
Pkkyw							
उधारी			16373261144	16373261144			16373261144
व्यापार देय			5747913463	5747913463			
अन्य			811253112	811253112			

ii) 31 ekpZ 2018 dks

¼jkf'k #- eas½

fooj.k	j[kko eY;				mfpr eku eY;		
	,QohVhih,y	,QohVhvkslhvkbZ	vekVZjkbTM ykxr	dqy	yoy 1	yoy 2	yoy 3
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर चालू							
अन्य			1280294155	1280294155			
चालू							
व्यापार प्राप्य*			914992077	914992077			
नकद और नकद समकक्ष* (ख)			269737944	269737944			
उपरोक्त* (ख) के अलावा बैंक शेष			12656696	12656696			
ऋण*			103609809	103609809			
अन्य			690011180	690011180			
वित्तीय देयताएं							
गैर चालू							
अन्य							
चालू							
उधार			15432941765	15432941765			15432941765
व्यापार देय			3199178705	3199178705			
अन्य			1593488778	1593488778			

*व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, नकदी एवं नकदी तुल्यों, नकदी एवं नकदी समकक्ष को छोड़कर बैंक शेष तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रखाव राशि अपनी अल्पावधि प्रकृति के कारण उचित मूल्य के बराबर होती है।

55- foÙkh; tkf[ke izca/ku mn~ns'; vkSj uhfr;k

क. कंपनी अपने व्यवसाय और वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से प्रभावित होती है:–

i क्रेडिट जोखिम

ii लिक्विडिटी जोखिम

iii बाज़ार जोखिम – (i) विदेशी मुद्रा और

ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और डेरिवेटिव शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्षों को वित्त उपलब्ध करवाना है जो सीधे इनके परिचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी क्रेडिट जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन देखता है जिसकी सहायता एक ट्रेजरी (सरकारी) टीम द्वारा की जाती है। यह ट्रेजरी टीम कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंध कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए समस्त डेरिवेटिव गतिविधियां विशेषज्ञ टीमों द्वारा कराई जाती है जिनके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव और पर्यवेक्षण होता है। यह कंपनी की नीति है कि सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए डेरिवेटिव में कोई ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम का प्रबंध करने के लिए नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन करते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(i) ØfMV tkf[ke

किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का कोई ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष अपने कॉन्ट्रेक्ट के दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम, क्रेडिट जोखिम कहलाता है।

कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्यों) और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में जमा विदेशी विनिमय लेन–देनों एवं अन्य वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सहित, निवेश गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम से प्रभावित है।

रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट में अधिकतम एक्सपोज़र मुख्यतः व्यापार प्राप्यों से होता है। व्यापार प्राप्य आरक्षित हैं व ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी उस आर्थिक वातावरण को मॉनीटर करती है जिसमें यह प्रचालन करती है। कंपनी अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन क्रेडिट अनुमोदनों के माध्यम से, क्रेडिट

सीमाएं निर्धारित कर तथा उन ग्राहकों, जिन पर कंपनी व्यवसाय की सामान्य स्थिति में क्रेडिट शर्तें लगाती है, की क्रेडिट योग्यता को निरंतर मॉनीटर करके करती है।

कंपनी अपनी अधिकांश यात्री सेवाओं को एजेंटों (ग्राहकों) को जमा योग्यता द्वारा ऑन लाइन माध्यमों से बेचती है।

इंड एएस 109 को स्वीकार करने पर, कंपनी लाभ या हानि की क्षति का निर्धारण करने के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। व्यापार प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करने के लिए कंपनी एक प्रोविजन मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रोविजन मैट्रिक्स उपलब्ध आंतरिक क्रेडिट जोखिम घटक (फैक्टर), जैसे ग्राहकों के लिए कंपनी का ऐतिहासिक अनुभव पर विचार करती है। जिस व्यावसायिक वातावरण में कंपनी प्रचालन करती है उसके आधार पर प्रबंधन यह मान लेता है कि यदि भुगतान 36 महीनों से अधिक समय से देय हैं तो व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्त प्राप्यों को छोड़कर) डिफाल्ट में है।

वर्षान्त में व्यापार प्राप्य में यात्री सेवाओं से उत्पन्न राजस्व के 986-85 fefy;u #- (914.99 मिलियन रु.) शामिल है।

व्यापार प्राप्य के लिए कंपनी का क्रेडिट जोखिम निम्नानुसार है:

¼jkf'k fefy;u e½

fooj.k	31@03@2019 rd		31@03@2018 rd	
	ldy j[kko jkf'k	gkfu HkÙkk	ldy j[kko jkf'k	gkfu HkÙkk
अदेय ऋण				
अतिदेय ऋण	986.85	(50.20)	914.99	(2.73)

व्यापार प्राप्यों के संबंध में क्षति हेतु भत्तों में परिवर्तन :

¼jkf'k fefy;u e½

fooj.k	o"kZ 31 ekpZ] 2019 dh lekfIr dh fy,	o"kZ 31 ekpZ] 2018 dh lekfIr dh fy,
वर्ष के आरंभ में शेष	914-99	801.49
वर्ष के दौरान परिवर्तन	71-86	113.50
वर्ष के अंत में शेष	986-85	914-99

(ii) fyfDofMVh tkf[ke

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को डिलीवर करके निपटाया जाता है।

लिक्विडिटी का प्रबंध करने के लिए कंपनी की पद्धति यह है कि अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की प्रतिष्ठा

को क्षति का जोखिम उठाए बिना सामान्य और दबाव वाली दोनों प्रकार की परिस्थितियों में उचित समय पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी रखी जाए।

कम्पनी यह मानती है कि इसकी लिक्विटी की स्थिति जिसमें (अभारित बैंक जमा प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज को छोड़कर) नकदी, प्रत्याशित भविष्य में प्रचालनों से आंतरिक रूप से सृजित निधियों तथा इसकी पूर्णतः उपलब्ध रिवॉल्विंग अन–आहरित 'kU; #- (31 मार्च 2017: शून्य रुपए) की क्रेडिट सुविधा इससे व्यवसाय की सामान्य स्थितियों में इसके भविष्य के निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बनाएगी तथापि यदि लिक्विटी को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी हो तो, कम्पनी यह मानती है कि उसके पास मूल कम्पनी के साथ वित्त पोषण, व्यवस्था करने का मार्ग है जिससे वह इसकी वर्तमान ऑनगोईंग पूंजीगत, प्रचालनात्मक और लिक्विटी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगी। कम्पनी जरूरत के अनुसार लिक्विटी को बढ़ाने और नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उधारियों अथवा लिज़िग विकल्पों पर विचार करना जारी रखेगी।

प्रबंध वर्ग द्वारा किए गए मॉनीटरिंग के अनुसार कंपनी की लिक्विडिटी प्रबंधन प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

- भावी नकदी प्रवाह की मॉनीटरिंग द्वारा दिन प्रतिदिन की फंडिंग का प्रबंध किया जाता है जिससे आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती हो।
- अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति के रोलिंग (अनवरत) पूर्वानुमान को मेंटेन करना।
- विविध क्रेडिट लाइनों को मेंटेन करना।

fyfDofMVh tkf[ke esa ,Dlikstj

रिपोर्टिंग डाटा में वित्तीय देयताओं की बकाया संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नानुसार है। संविदात्मक नकदी प्रवाह राशि समग्र हैं एवं छूट प्राप्त नहीं है और इनमें उपार्जित ब्याज सम्मिलित है।

¼jkf'k fefy;u esa½

31 ekpZ 2019 rd	j[kko jkf'k	lafonkRed udn ¶yks			
		1 o"kZ rd	1&5 o"kZ	5 lky ls vf/kd	dqy
होल्डिंग कंपनी को देय	16373.26	16373.26			16373.26
व्यापार देय	5747.91	5747.91			5747.91
अन्य वित्तीय देयताएं	811.25	811.25			811.25
विमान लीज़		2070.89	8283.59	9917.82	20272.30
अनुरक्षण / अन्य		735.98	2943.90	3343.49	7023.37
जीएमएसए		325.58	0.00	0.00	325.58
dqy	22932-42	26064-87	11227-49	13261-31	50553-67

31 ekp] 2018 rd	j[kko jkf'k	lfonkRed udn ¶yk			
		1 0k"k rd	1&5 o"k	5 lky l vf/kd	d|y
होल्डिंग कंपनी को देय	15432.94	15432.94			15432.94
व्यापार देय	3199.18	3199.18			3199.18
अन्य वित्तीय देयताएं	1593.49	1593.49			1593.49
विमान लीज़		2014.28	7806.85	9347.03	19168.16
अनुरक्षण/अन्य		881.84	3295.98	4047.80	8225.62
जीएमएसए		300.60	947.68	1103.47	2351.75
d|y	20225-61	23422-33	12050-51	14498-30	49971-14

(iii) ckt kj tkf[ke

बाज़ार जोखिम वह है जिसमें बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य और भावी नकदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम सम्मिलित हैं, जिनके नाम हैं: मुद्रा (करेंसी) जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य लाभ को इष्टतम बनाने के लिए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाज़ार जोखिम का प्रबंध एवं नियंत्रण करना है।

d- C;kt nj tkf[ke

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नकदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के जोखिम का संबंध मुख्य रूप से कंपनी की फ्लोटिंग ब्याज दरों वाली उधारियों से होता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रबंध वर्ग को रिपोर्ट किए गए के अनुसार ब्याज दर परिवर्तनों के लिए कंपनी की उधारियों से संबंधित एक्सपोज़र निम्नानुसार है:–

¼#- fefy;u e½

ifjorZu'khy nj bULVªesaV	31 ekp] 2019 rd	31 ekp] 2018 rd
होल्डिंग कम्पनी को देय	16]373-26	15,432.94
d|y	16]373-26	15]432-94

C;kt nj laosnu'khyrk fo'y"k.k

रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज दरों में तार्किक रूप से संभव 0.50 प्रतिशत का परिवर्तन लाभ एवं हानि को नीचे दर्शाई गई राशि तक प्रभावित करेगा। विश्लेषण के अनुसार अन्य सभी परिवर्तनशील दरें (वेरियेबल्स), विशेष रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, अपरिवर्तनीय रहती हैं।

¼#- fefy;u e½

fooj.k	ykHk vkj gkfu dk fooj.k	
दूसरों से लिए गए विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण पर तथा वित्त लीज़ देयता पर ब्याज।	.50% तक बढ़ाए	.50% तक कमी
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	81.87	(81.87)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	77.16	(77.16)

[k½ e|nk tkf[ke

मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाहों पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दरों में उतार–चढ़ाव के प्रभावों से प्रभावित है। एक्सपोज़र मुख्य रूप से कार्यात्मक मुद्रा और कंपनी की प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण होता है।

56- bM ,,l 115 d vu|lkj idVu xkgdk d lkFk dkUVDV l ikIr jktLo %

राजस्व को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभावना हो और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सके भले ही भुगतान कभी भी किया जाए।

कंपनी का प्रमुख राजस्व सेवाओं (यात्री और कार्गो) से प्राप्त होता है। प्रमुख गतिविधि का विवरण निम्नानुसार है।

ç—fr] dk;l fu"iknu] nkf;Ro dh ifrl dk le; vkj egRoi.k Hkxrku 'krs

यात्री राजस्व को यात्रा करने वाले यात्रियों के आधार पर अर्थात् सेवाएं प्रदान करने पर, यात्रियों को दी गई छूट के पश्चात् निवल मान्यता प्राप्त राजस्व, लागू करों और यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि जैसे एयरपोर्ट करों के आधार पर मान्य किया जाता है।

कार्गो राजस्व को वस्तुओं के परिवहन एयरपोर्ट करों व लागू करों के निवल जैसी सेवाएं प्रदान करने पर मान्य किया जाता है ।

कॉन्ट्रक्ट की शर्तों के अनुसार संबंधित राशि के बिल तैयार किए जाते हैं एअर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस समझौते के तहत संविदात्मक आधार पर सहमत क्रेडिट अवधि के दौरान इनका भुगतान किया जाता है।

jktLo dk foHkktu

राजस्व मान्यता सेवाओं की प्रकृति व प्रकार के आधार पर राजस्व का विभाजन किया जाता है।

lokvk dk ifriknu

¼jkf'k #i, e½

Ø-l-	fooj.k	31 ekp 2019	31 ekp 2018
1	यात्री	6]915]988]203	4,942,793,462
2	अतिरिक्त सामान	488]432	1,513,906
3	डाक	42]552	15,237
4	कार्गो	2]821]845	3,382,425
5	चार्टर	205]83]626	2,501,250
6	सरकार से प्रचालन हेतु अनुदान	1]225]427]691	888,707,973
7	हैंडलिंग सेवाएं एवं आकस्मिक राजस्व	50]766]565	206,375,469
	dy	8]216]118]914	6,045,289,723

निम्नलिखित सारणी में व्यापार प्राप्य के प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष की सूचना प्रदान की गई है:

fooj.k	31 ekp 2019	31 ekp 2018*
व्यापार प्राप्य	986]853]534	914,992,077

* कंपनी द्वारा संचयी प्रभाव पद्धति का उपयोग करते हुए इंड एएस 115 लागू किया गया है। इस पद्धति के तहत, तुलनात्मक सूचना को पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है।

31 मार्च 2019 तक कंपनी 29 मार्गों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत प्रचालन कर रही है, यह मार्ग बोली प्रक्रिया के माध्यम से 3 साल की वैधता के लिए दो राउंड में कंपनी को प्रदान किए गए हैं। आरसीएस समझौते के अन्तर्गत, कंपनी को करों के समावेशी रियायती किरायों पर निर्दिष्ट सीटें बेचनी आवश्यक होती हैं। समझौते की शर्तों के अनुपालन पर, कंपनी वीजीएफ दावा राशि के लिए पात्र है।

चूंकि आरसीएस मार्ग 3 साल की अवधि के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किए जाते हैं, इसलिए यह मार्ग स्लॉट की उपलब्धता और अन्य आवश्यकताओं के अधीन इस अवधि के बाद सभी वाहकों के लिए खुले हैं।

bM ,,l 115 d vulkj ykx 0;kogkfjd leh{kd%

क. कंपनी ने शेष कार्यनिष्पादन दायित्वों के बारे में सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया है जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है।

ख. कंपनी को ऐसे किसी अनुबंध की अपेक्षा नहीं है जिसके लिए राजस्व को उस वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त है जहां ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो। परिणामतः कंपनी ने धन के समय मूल्य के लिए लेनदेन की कीमतों को समायोजित नहीं किया है।

कंपनी ने संचयी प्रभाव विधि का उपयोग करते हुए इंड एएस 115 को अपनाया और इसलिए तुलनात्मकों का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है और इंड एएस 18 के अनुसार रिपोर्ट किए गए। इंड एएस 115 को अपनाने के कारण, 1 अप्रैल 2018 को कोई संचयी समायोजन की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, इंड एएस़ 18 की तुलना में इंड एएस 115 लागू करने के परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष में कोई वित्तीय विवरण लाइन आइटम प्रभावित नहीं होते हैं।

57- ekud tkjh fd, x, ysfdu iHkkoh ugha g,%

bM ,,l 116& yht

मानक मौजूदा इंड एएस 17 "लीज़" को स्थानांतरित करता है। इंड एएस 116 द्वारा एकल लीज़कर्ता लेखा मॉडल का प्रारंभ किया गया है और 12 महीने से अधिक की अवधि वाले सभी लीज़ के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्य करने के लिए एक लीज़कर्ता की आवश्यकता होती है, जब तक कि अंतर्निहित संपत्ति कम मूल्य की नहीं हो और मान्यता, माप, प्रस्तुति के लिए सिद्धांतों और लीज़ के प्रकटन् के सिद्धांत को निर्धारित करती है।

कंपनी संशोधनों की आवश्यकताओं और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

bM ,,l 19 ^deZpkjh ykHk*

इंड एएस 19 'कर्मचारी लाभ' के मार्गनिर्देशों में संशोधन, योजना संशोधन के लिए लेखांकन के संबंध में, कटौती और निपटान हेतु एंटिटी आवश्यक हैः

- योजना संशोधन, कटौती या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज निर्धारित करने के लिए अद्यतन धारणाओं का उपयोग करना; तथा
- पिछली सेवा लागत के हिस्से के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि के रूप में मान्य करने हेतु, अधिशेष में कोई कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति अधिकतम सीमा के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली हो।

bM ,,l 109

संशोधन समाप्ति अधिकारों के संबंध में इंड एएस 109 में वर्तमान आवश्यकताओं से संबंधित है, ताकि नकारात्मक क्षतिपूर्ति भुगतान के मामले में भी परिशोधित लागत पर (या व्यवसाय मॉडल के आधार पर, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर) मापन की अनुमति दी जा सके। समूह इस संशोधन की अपेक्षा नहीं करता कि उसके वित्तीय विवरणी पर कोई प्रभाव पड़े।

bM ,,l 12] ifjf'k"V x vk;dj mik;ksa ij vfuf'prrk

इंड एएस 12 के परिशिष्ट ग, 'आयकर उपायों पर अनिश्चितता' कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर नुकसान, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों, जब इंड एएस 12 के तहत आयकर उपायों पर अनिश्चितता है, का

निर्धारण करते हुए लागू किया जाना है। परिशिष्ट के अनुसार, कंपनियों को प्रत्येक कर उपाय या कर उपाय के समूह को स्वीकार करने वाले प्रासंगिक कर प्राधिकरण की संभावना निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जो कंपनियों ने अपने आयकर फाइलिंग में उपयोग या उपयोग करने की योजना बनाई है, कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर घाटे, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण करते समय कर उपचार की सबसे अधिक संभावना राशि या कर उपचार के अपेक्षित मूल्य की गणना करने के लिए माना जाता है।

58- आंकड़े पूर्णांकों में दिए गए हैं।

59- पिछले वर्ष के आंकड़े इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार पुनः प्रस्तुत/पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरणी को भाग के रूप में शेड्यूल्स तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए हस्ताक्षर।

हमारी संलग्न समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

d'r ,e- oek ,M ,lkfl,Vl
pkVMZ ,dkmUVUVl
फर्म पंजीकरण सं.
एफआरएननं. 501433सी

gLrk-@&
(enu oekZ)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 080939
स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 24 जुलाई, 2019

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM ds
funs'kd e.My ds fy, rFkk mudh vksj ls

gLrk-@&
(v'ouh yksgkuh)
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 01023747

gLrk-@&
(foukn gstekMh)
निदेशक
डीआईएन सं. 07346490

gLrk-@&
(lh- ,l- lqczef.;k)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

gLrk-@&
(efLrjh ,e- o>s)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस16028

gLrk-@&
(dey jkmy)
मुख्य वित्तीय अधिकारी